लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवां सत्र
Fifth Session]

[खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 9 अगस्त, 1972/18 श्रावण, 1894, (शक)

No 8. *Wednesday, August* 9, 1972/*Sravana* 18, 1894 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1942 की क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि	**Homage to Martyrs of 1942 Revolution**	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q.No.		
141 बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा अनधिकृत क्षमता का उपयोग	Utilisation of Unauthorised Capacity by Larger Industrial Houses.	1-4
142 तारापुर आणविक संयंत्र को पुनः चालू करना	Recommissioning of Tarapore Atomic Power Plant . . .	4-5
143 चल चित्र बनाने वालों को चलचित्र वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता	FFC Financial Assistance to Movie Makers	5-8
144 वर्षा से दिल्ली में टेलिफोन व्यवस्था का अस्त व्यस्त हो जाना	Delhi Telephone Disruputed by Rain.	8-9
146 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी तथा प्रादिशिक भाषाओं की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अपनाया जाना	Adoption of Hindi and Regional Languages as Media of Examination by UPSC	10-13
147 विदेशों के साथ उपग्रह द्वारा सम्पर्क	Satellite link with Foreign Countries	13-14
148 भूतपूर्व शासकों को मुआवजे की अदायगी	Payment of Compensation to Former Rulers	14-15
154 स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, शिक्षा और कृषि को अखिल भारतीय सेवाएं बनाया जाना	Creation of All India Services in Health Engineering Education and Agriculture . . .	15-17
157 टेलीफोन "कालों" की दर में वृद्धि	Increase in Rate of Telephone calls	17-18
158 सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में नये उद्योगों की स्थापना	Setting up of New Industries in Public and Private Sectors .	18

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	SUBJECTS	
अ० सू० प्र० संख्या S.N.Q. No.		
1 मद्रास के सिम्पसन उद्योग समूह का बंद होना	Closure of Simpson Group 7 Industries, Madras	18-21

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.No.		
145 अगरतला आकाशवाणी केन्द्र पर त्रिपुरी कार्यक्रम	Tripuri Programme over AIR Agratala	21
149 नैनिताल में माइक्रो वेव केन्द्र की स्थापना	Micro Wave Station at Nainital	22
150 लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान कृषि श्रमिक के अन्तर्गत ग्राम्य शिल्पी विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Rural Artisans development scheme under SFDA/MFAL.	22
151 मोपला दंगों के सम्बन्ध में दण्डित व्यक्तियों को स्वतन्त्रता सेनानी माना जाना	Treatment of persons punished in connection with Mopla Riots as Freedom Fighter . . .	22
152 स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन का भुगतान	Payment of pension to Freedom Fighter	22-23
153 बायलरों और अनफायर्ड प्रेशर वैसल्स सम्बन्धी कानूनों के पुनर्विलोकन के लिये समिति	Committee for review of Laws on Boilers and Unfired pressure Vessels	23
155 आकाशवाणी का श्रवण अनुसन्धान एकक	Audience Research Unit of AIR .	23
156 टेल्को का विस्तार	Expansion of TELCO . . .	23-24
159 बड़े कारखानों और विदेशी कम्पनियों की क्षमता में विविधता	Diversification of capacities of larger units and Foreign Companies .	24
160 विशेष-रोजगार कार्यक्रम	Special Employment Programme .	24
अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.		
1401 यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया	Uranium Corporation of India .	24-25
1402 उत्पादकता मापने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for measuring productivity	25-26
1403 तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बार-बार बन्द हो जाने के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच	High level enquiry into frequent break downs in Tarapore Atomic Plant	26
1404 रीवां में ट्रंक टेलीफोन सेवा	Trunk Telephone Service at Rewa	26
1405 मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Madhya Pradesh	27

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1406	दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी	Delhi Telephone Directory. .	27
1408	पांचवीं योजना के दौरान लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था	Provision of basic needs to people during Fifth Plan . . .	27-28
1409	आसाम, मेघालय, नागालैण्ड, मनीपुर तथा त्रिपुरा से लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र	Applications for licences from Assam Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura	28
1410	पश्चिमी समुद्र तट से आसाम को नमक की ढुलाई के लिए सुविधाओं की मांग	Demand for facilities for Transportation of salt from Western Coast to Assam . . .	28
1411	आसाम सरकार की सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी	IAS Officers in Government of Assam	29
1412	विज्ञान और औद्योगिक विभाग में काम कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees working in the Department of Science and Technology	29-30
1413	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यरूप देने के लिए निर्देश	Instructions regarding implementation of the decision given by the Supreme Court on Seniority of Central Gevernment Employees .	30
1414	स्वतन्त्रता की 25वीं जयन्ती के अवसर पर कैदियों की सजा में छूट	Grant of remission to prisoners on the occasion of 25th Anniversary of Independence . . .	30-31
1415	देहरादून में टिकट छापने वाले प्रेस का पता लगाया जाना	Stamp Printing Press unearthed at Dehradun	31
1416	आवास सम्बन्धी नीति के लिये समिति की स्थापना	Setting up of Committee for Housing Policy . . .	31
1417	जमशेदपुर के निकट मोसेबानी में आदिवासी लड़कियों की बिक्री	Sale of Adivasi Girls in Mosabani near Jamshedpur . . .	32
1418	कम्प्यूटरों का आयात	Import of Computers . . .	32
1419	चीन से विद्रोही नागाओं की वापसी	Return of Rebel Nagas from China	32-33
1420	पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की विशेष योजना	Special Schemes for providing Employment to the Educated Unemployed in West Bengal .	33
1421	भारतीय राजनीति पर विदेशी धन का प्रभाव	Role of Foreign Money in Indian Politics	34
1422	बन्द मिलों और कारखानों का अधिग्रहण	Taking over of closed Mills and Factories	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
1423	रोजगार के लिए प्राथमिकता प्राप्त योजनायें	Priority Schemes for Jobs	34-36
1424	बांगला देश से बिहारी मुसलमानों का भारी संख्या में आगमन	Influx of Bhihari Muslims from Bengladesh	36
1425	विषेष रोजगार योजनाएं	Special Employment Schemes	37
1426	प्रति परिवार एक सदस्य को रोजगार	Employment to one Member for Family	37-38
1427	दिल्ली में ट्रक के टायरों की चोर बाजारी	Black Marketing of Truck Tyres in Delhi	38
1428	कार्य के लिये गारन्टी योजना	Guarantee for Work Scheme	38
1429	धनबाद, बिहार के केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र में विस्फोट	Explosion in Central Mines Research Station Dhanbad, Bihar	38-39
1430	बिहार में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Bihar	39
1431	उन औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्थानों को लाइसेंस तथा परमिट देना जिसमें श्री आर० पी० योयनका तथा उनके परिवार के सदस्य भागीदार हैं	Grant of Licences and Permits to Industrial/Commercial Establishments in which Shri R. P. Goenka and members of his family are partners	40
1432	नमक के मूल्य में वृद्धि	Increase inprices of Salt	40
1433	कम्पनियों द्वारा अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करना	Production of Goods by Companies in excess of their licenced capacities	41
1434	उत्पादकता आन्दोलन	Productivity Movement	41-42
1435	ग्रामीण एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States for Rural and Educated Unemployed	42
1436	आर्थिक मंत्रालयों का पुनर्गठन	Re-grouping of Economic Ministries	42
1437	बिहार विधान सभा द्वारा पारित टाटा जमोदारी उन्मूलन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति	President's Assent to Tata Zamindari Abolition Bill passed by Bihar Vidhan Sabha	42
1438	ट्रैक्टर बताने के लिए बिहार कृषि उद्योग निगम से आवेदन पत्र	Application from Bihar Agro-Industries Corporation for Manufacture of Tractors	42-43
1439	सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जन- जाति के कर्मचारी	Schedule Castes and Scheduled Tribes Employees working in Govt. offices	43
1441	ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की समस्याओं से निपटने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to tackle out break of fire in summer	44
1442	कोटा स्थित आणविक विद्युत संयंत्र के पहले एकक का परीक्षण	Trial of first unit of Atomic Power plant at Kota	44
1444	धर्मविहीन व्यक्ति	Persons who do not belong to any religion	44

	विषय	SUBJECT	
1445	अन्दमान के प्लाईवुड निर्माता संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from plywood Manufacturers Association of Andamans	44-45
1446	पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार कार्यक्रम	Employment Programmes during Fifth Plan	45-46
1447	महुआदोर में आदिवासियों की जन-संख्या	Population of Adivasis in Mahuadaur	46
1448	त्रिपुरा में सरकारी सेवाओं में जन-जातियों की भर्ती	Recruitment of Tribles to Government Service in Tripura . .	47
1449	हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में विलम्ब	Delay in Formation of Hindi Advisory Committee . . .	47
1450	उद्यमकर्ताओं को समूची जानकारी देने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा परमर्शदात्री पूल की स्थापना	Consultancy pool set up by CSIR to provide package know-how to entrepreneurs	47-48
1451	पश्चिम बंगाल फिल्म उद्योग को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal Film Industries .	48
1452	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समस्याओं का पता लगाने के लिये 'गडबडी खत्म करने वाले दल'	Trouble Shooting Squads to Sort out Problems of Public Sector Undertaking	48
1453	शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास	Development of Automic Energy for peaceful purposes . .	48-49
1454	शांति भंग करने का प्रयत्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध सर्तकता बर्तने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई हिदायतें	Instruction to Administrative Officer to keep Vigilance against Elements attempting to disturb Peace	49
1455	राज्यों में हुई राजनैतिक हत्यायें	Political Murders Committed in States	50
1456	दोषपूर्ण क्रास बार एक्सचेंज उपकरण की सप्लाई के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज से क्षतिपूर्ति की मांग	Damages asked of ITI for supply of Defective Crossbar Exchange Equipment	51
1457	खेती के ढांचे में परिवर्तन लाने में भूमि सुधार कार्यक्रमों की असफलता	Failure of Land Reform programmes in bringing about changes in the Agrarian structure . . .	51-52
1458	इलेक्ट्रोनिक्स कमीशन द्वारा टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु विदेशी सहयोग न लिया जाना	Foreign Collaboration for Manufacture of TV Sets Ruled out by Electronics Commission . .	52
1459	बकरी और भेड़ की रद्द की गई खालों से चमड़े की वस्तुएं बनाने का नया तरीका	New Technique for Producing Leather Articles from Rejected Goats and Sheep . . .	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1460	कलकत्ता में बढ़िया चमड़े से बनने वाली वस्तुओं के उद्योग में संकट	Crisis in Calcutta Fancy Leather Goods Industry . . .	53
1461	नौकरियों के लिए द्रुत योजना के प्रति राज्यों द्वारा कम उत्साह दिखाना	Poor Response from States to the Crash Plan for jobs . . .	53-54
1462	संचार सेवाओं का विस्तार करने में राज्य सरकारों का असहयोग	State Governments non-co-operation in Communication Expansion .	54
1463	उड़ीसा में भीमकुंड तथा रेनगाली बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को योजना आयोग की स्वीकृति	Planning Commission's approval of work on Bhimkund and Rengali Major Irrigation Projects in Orissa	54-55
1464	दृश्य प्रचार सलाहकार दल द्वारा दी गई सहायता	Assistance rendered by Visual Campaign Consultative Group .	55
1465	राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, बंगलौर	National Aeronautical Laboratory, Bangalore	55
1466	अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Station in Ahmedabad .	56
1467	गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापनार्थ केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for setting up Industrial projects in backward areas of Gujarat . . .	56
1468	सीमा सुरक्षा दल द्वारा बंगला देश से चोरी छिपे आये हथियारों का पकड़ा जाना	Alleged Seizure of smuggled Arms from Bangladesh by BSF . .	56-57
1469	भारत के पूर्वी भाग एक विदेशी गुप्तचर एजेन्सी की गतिविधियां	Activities of a Foreign Intelligence Agency in Eastern Part of India.	57
1470	औद्योगिक गृहों द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की मांग	Demand for Increasing Production Capacity by Industrial Houses .	57
1471	अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों में दंगे	Disturbances in Aligarh and Banaras Universities . . .	58
1472	भारत में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी राष्ट्रजन	Foreign Nationals overstaying in India	58
1473	मध्य प्रदेश में कम्पनियों की स्थापना के लिए लाइसेंस	Licences for Setting up of Companies in M.P. . . .	58
1474	मध्य प्रदेश के जिलों में ग्रामीण औद्योगिक परियोजना	Rural Industrial project in the Districts of M.P. . . .	58-60
1476	मैसूर में मध्यम श्रेणी के उद्योग	Medium Scale Industries in Mysore	60
1477	टेलीविजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रण	Invitation to Personalities for T. V. Programme	60

बता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1478	आकाशवाणी तथा टेलीविजन पर स्वाधीनता की 25वीं वर्ष गांठ सम्बन्धी कार्यक्रम	25the Independence Anniversary Programmes over AIR and T. V. .	60
1479	मोटर गाडियां उठाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा अधिकृत गैर-सरकारी कम्पनी	Private company authorised to lift vehicles by Delhi Traffic police .	60-61
1480	मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग	Use of Imported Cars by Ministers	61-62
1481	आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग की उपलब्धियां	Achievements of AIR Research Department	62-63
1482	बिहार के आदिवासियों द्वारा कथित प्रदर्शन	Alleged Demonstrations by Adivasi in Bihar	64
1483	विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारियों को उचित स्थान	Place for Indian Employees in Foreign Firms	64
1484	'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम	'Garibi Hatao' Programme . .	64
1485	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Backward Areas	65-66
1486	भूतपूर्व शासकों के अधिकार में हथियार	Arms in Possession of Former Rulers	66-67
1487	औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences .	67-68
1488	केरल विश्व विद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त अनुसंधान सम्बन्धी योजना	Research Scheme Received from the Physics Department of the University of Kerala . . .	69
1489	थुम्बा के राकेट निर्माण संयन्त्र में राकेटों का निर्माण	Production of Rockets in Rocket Fabrication Plant at Thumba .	69
1490	केरल में सीधी डायल प्रणाली	Kerala Direct Dialing System .	69-70
1491	केरल गैर-सरकारी कालेज (वेतन का भुगतान) विधेयक, 1972	Kerala Private Colleges (Payment of Salaries) Bill, 1972. . .	70
1492	समाचार पत्र मितव्ययिता विषयक समिति	Committee on Newspaper Economy	70
1493	अपना "टेलीफोन लगवाओ" योजना के अन्तर्गत दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending Applications for Telephone connections in Delhi on OYT Scheme in Delhi . . .	71
1494	स्कूटरों का उत्पादन और मांग	Production and Demand for Scooters	71
1495	मुअत्तिल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त	Guidelines for Action against Suspended Government Employees.	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1496	भारतीय दूतावास (अमरीका) में फोटो डिवीजन के फोटो ग्राफर द्वारा सामान की खरीद	Purchase of goods by a Photographer Posted in Indian Embassy (USA)	72
1497	फोटो डिवीजन के पास अप्रयुक्त फोटोग्राफिक सामग्री	Unused Photographic Material with Photo Division . . .	72
1498	अनुसूचित जातियों की जनसंख्या	Population of Scheduled Castes .	72-73
1499	महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद सम्बन्धी निर्णय	Decision on Maharashtra-Mysore Boundary Dispute . . .	73
1500	मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पिछड़े 'क्षेत्रों' में उद्योग	Industries in the Backward Areas of M.P., Rajasthan and U. P. .	73-74
1501	मध्य प्रदेश में औद्योगिक संयंत्रों के लिए मांग	Demand for Industrial Plants in Madhya Pradesh . . .	74
1502	अस्थायी आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने का मानदण्ड	Criteria for Sanctioning Telephone Connections on Temporary Basis	74-75
1503	पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाये गये उद्योगों की वहां पुनःस्थापना	Return of Industries to West Bengal	75
1504	सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Heads of Public Sector Industrial Undertakings .	75
1505	दिल्ली प्रशासनद्वारा नये सिनेमा गृहों के लिए जारी किए गए लाइसेंस	Licences issued to New Cinema Houses by Delhi Administration.	76
1506	दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित समितियां	Committees set up by Delhi Administration . . .	76
1507	भारतीय अधिकार में पाकिस्तानी क्षेत्रों से लोगों का प्रव्रजन	Migration of persons from Pakistan Areas under India Occupation .	76-77
1508	संकटग्रस्त मिलों के कार्य के बारे में विशेषज्ञों की समिति	Committee of Experts on the Working of Sick Mills . .	77
1509	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिज़ाईन, अहमदाबाद के निदेशक को हटाया जाना	Removal of Director of National Institute of Design, Ahmedabad	77
1510	द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में प्रगति	Progress made in creating Employment Opportunities under Crash Programme . . .	78-79
1511	रीवां (मध्य प्रदेश) का औद्योगिक सर्वेक्षण	Industrial Survey of Rewa (M.P.)	79
1512	मध्यप्रदेश में पिछड़े घोषित किये गये नये जिले	New Districts declared backward in M.P.	80
1513	डाक प्रणाली में आमूल परिवर्तन	Overhauling of Postal System	80

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1514	भारत में अत्यंन्त आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों का विकास करने में सोवियत प्रौद्योगिकी सहायता	Russian Technological Help in Developing Sophisticated Electrononic Equipment in India	80
1515	विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों को कर्मिदल (टास्क फोर्स) में भर्ती करने की योजना	Scheme to Draft Science and Engineering Students into a Task Force	81
1516	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने पुत्रपुत्रियों को इसी निदेशालय में रोजगार दिलाना	Employment secured by Senior Officers of National Sample Survey for their sons and Daughters in the Directorate . . .	81
1517	इलैक्ट्रोनिक्स आयोग/इलैक्ट्रोनिक्स विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी	Officers on Deputation in Electronics Commission/Electronics Department	82
1518	ईंटों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Bricks . .	82-83
1519	भारतीय चलचित्रों में रूस का प्रभाव	Russian penetration in Indian Films	83
1520	विदेश जाने वाले फिल्म प्रतिनिधि-मंडलों के गठन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिकायत	Complaint against procedure for constituting Films Delegation Sent Abroad	83
1521	आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता का स्वर्ण जयन्ती समारोह	Golden Jubilee Celebrations of Ananda Bazar Patrica of Calcutta	83
1522	नीमच में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लिए क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for CRP at Neemuch	83-84
1523	निर्वाह स्तर से नीचे के स्तर पर गुजर करने वाले व्यक्तियों की संख्या	Number of People Living Below Subsistence Level . . .	84
1524	हेवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल	Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal	84-85
1525	कलकत्ता पत्तन क्षेत्र की रक्षा का कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को सौंपा जाना	Handing over Security of Calcutta Port Area to Central Industrial Security Force	85
1526	पश्चिम बंगाल में सीमेंट उद्योग	Cement Industry in West Bengal.	85-86
1527	कलकत्ता के समाचार पत्रों में केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन	Central Government Advestisements to Calcutta Dailies . . .	86
1528	स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के सुझाव	Suggestions of State Governments for Enhancement of Pension to Freedom Fighters	87
1529	दिल्ली के समाचार पत्रों के प्रेस संवाददाताओं को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विदाई समारोह में भाग लेने की अनुमति देना	Delhi papers Press Correspondents Denied Coverage of Departure Ceremony of Pakistan President	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1531	सीमा पर प्रचार के बारे में अन्तर मन्त्रालयी अध्ययन दल	Inter Ministrial Study Steam on Border Publicity	87-88
1532	सूचना नीति संकल्प	Information Policy Resolution	88
1533	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रचार सेल	Publicity Cell in I & B Ministry	88
1534	कच्चे माल के मूल्य	Prices of Raw Materials	88-89
1535	दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध शिकायत	Complaint against behaviour of Delhi Police Officials	89
1536	इलेक्ट्रोनिकी आयोग में तकनीकी विशेषज्ञ	Expert Technical Panels in Electronics Commission	89-90
1537	साइकिलों के लिए आटो इंजिनों का निर्माण करने हेतु आवेदन पत्र	Applications for manufacture of Auto Engines for Cycles	90
1538	औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्र	Applications from U.P. for Industrial Licences	90
1539	मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए आवेदन पत्र	Applications for manufacture of motor cycles	90-91
1540	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सरकारी उपक्रमों में स्थानान्तरण	Transfer of class I officers to public Undertakings	91-92
1541	मैसूर से उद्योग के विस्तार तथा उनकी स्थापना के लिए लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र	Applications for licences from Mysore for expansion and setting up of Industries	92
1542	जर्लिक का कीटनाशकों के रूप में प्रयोग के बारे में अनुसंधान्	Research on application of Jarlic as Pesticides	92
1543	सिक्खों में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति	Persons belonging to Scheduled Castes among Sikhs	92-93
1544	मृत कर्मचारियों के परिवारों के प्रति डाक-तार विभाग का दायित्व	P & T Department's responsibility to families of deceased members of Staff	93
1546	दिल्ली में सीमेंट की कमी	Scarcity of cement in Delhi	93-94
1547	स्टेट बैंक आफ इंडिया के धोखा धड़ी के मामले के अभियुक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच	Inquiry into death of the accused in State Bank of India fraud case	94
1548	आकाशवाणी प्रशासन का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of AIR Administration	94
1549	अलीपुर रोड, दिल्ली पर एक घातक दुर्घटना होने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करना	Police inaction about a Fatal accident on Alipure Road, Delhi	95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1550	पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में डाक तार सुविधाएं	P & T facilities in District Purulia, West Bengal	95-96
1551	इस्पात की पाइपों का उत्पादन	Production of Steel Pipe	96
1552	आकाशवाणी के स्पाट लाइट कार्यक्रम में उड़ीसा के बारे में प्रसारण	Air Broadcast regarding Spotlight on Orissa.	96-97
1553	ट्रेक्टरों का उत्पादन तथा इनकी आवश्यकता	Production and requirement of Tractors	97
1554	डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की अदायगी	Payment of Project Allowance to P & T Staff	97
1555	अतिरिक्त विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट	Report of extra Departmental Enquiry Committee	97-98
1556	दिल्ली के वकीलों और एडवोकेटों द्वारा दिल्ली में दरियागंज के पुलिस थानी इंचार्ज को मुअत्तिल करने की मांग	Demand for suspension of SHO Daryaganj Police Station, Delhi, by Delhi Lawyers and Advocates	98
1557	बिहार के पतरातू तापिया बिजलीघर में और उसके चारों ओर ट्रान्समीटरों का फेंका जाना	Transmitters dropped in and around Patratu Thermal Plant Area in Bihar	99
1558	भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के बारे में सचिव समिति का भिन्न मत	Disagreement of Secretaries Committee on ARC Recommendations regarding the role of Indian Administrative Service	99
1559	पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रोनिक एककों की स्थापना	Setting up of Electronic Units in West Bengal	99
1560	उड़ीसा की आदिवासी लड़कियों की बिक्री के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Inquiry into Sale of Orissa Adivasi girls	99-100
1561	पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप	Draft outline of Fifth Five Year Plan	100
1562	बरौनी तेल शोधक कारखाने के निकट सेना की बटालियन का तैनात किया जाना	Stationing of Military Battalion near Barauni Oil Refinery	100
1563	कम्प्यूटरों का उत्पादन	Production of Computors	100-01
1564	उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Industry	101
1565	मानसून के दौरान आदिवासी जिलों में संचार सम्पर्क भंग होना	Adivasi Districts Communication Link cut off during monsoon	101
1566	क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना	Removal of Regional Imbalances	102
1567	लघु उद्योग क्षेत्र के माल के लिये व्यापार केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Trade Centres for Small Scale Sector Goods.	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1568	केरल में अखबारी कागज बनाने के संयंत्र की स्थापना	Setting up of News Print Plant in Kerala	102-03
1569	किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के बारे में तमिलनाडु के प्रतिपक्ष में नेताओं से अभ्यावेदन	Representation from leaders of Opposition in Tamil Nadu about Handling of Farmers Agitation	103
1570	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to National Institute of Design at Ahmedabad	103
1571	भारत में बने उपग्रह का रूस से छोड़ा जाना	Launching of an Indian made Satellite from Russia . .	103-04
1572	चम्बल यमुना के बीहड़ों में डाकू ग्रस्त क्षेत्रों को साफ करने की योजना	Scheme for clearing the Chambal-Jamuna Ravines in dacoit infested Areas	104
1573	टेलीफोन सेवा की बिगडती हुई दशा	Deteriorating Telephone Services .	104
1574	ग्राम स्तर पर योजना बोर्ड	Planning Boards at Village Level	104-05
1575	सिम्पसन कम्पनी को अधिकार में लेना	Take over of Simpson Co. . .	105
1576	गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेशकों द्वारा नियंत्रित औद्योगिक क्षमता	Industrial capacity in the Private Sector controlled by Foreign investors	105
1577	भारत में कम्प्यूटर बनाने के लिए रूसी सहयोग	Soviet collaboration in the manufacture of computers in India .	106
1578	दिल्ली में लगे टेलीफोनों में भारी गडबड़ी	Delhi Telephones in a mess . .	106
1579	दिल्ली में अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन	Temporary telephone connections in Delhi.	106-07
1580	टेलीफोन तथा तार उपकरणों (स्टोर्स) की कमी	Shortage of Telephone and Telegraph Equipment (Stores) . .	107
1581	दिल्ली में पुलिस थानों का पुनर्गठन	Reorganisation of Police Stations in Delhi	107
582	विभिन्न भारतीय बोलियों में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम	Programmes broadcast in various Indian Dialects. . . .	107
583	दिल्ली में दर्ज किए गए हत्या के मामले	Murder cases registered in Delhi.	108
584	कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों का वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के साथ विलय	Merger of Junior Staff Councils with Senior Staff Councils .	108
585	बन्द पड़े औद्योगिक कारखानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए निगम	Corporation for taking over of closed industrial Units. . . .	108
586	विदेशी मुद्रा का अवैध विनिमय करने वाले गिरोह	Rackets in illegal Exchange of Foreign Currency . . .	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1587	आन्ध्र प्रदेश की सेवाओं का क्षेत्रीय-करण	Regionalisation of services in Andhra Pradesh	109
1588	केरल में डाक, तार और टेलीफोन की शाखाओं का विकास	Development of Postal, Telegraph and Telephone Branches in Kerala	110
1589	राजस्थान में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Rajasthan	110
1590	आई० सी० एस० अधिकारियों के विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना	Abolition of Privileges of ICS Officers	110
1592	अन्तरिक्ष आयोग तथा रक्षा अनु-संधान और विकास संगठन के बीच समन्वय	Coordination between Space Commission and Defence Research and Development Organisation .	110-11
1593	परमाणु संयंत्रों के प्रयुक्त ईंधन से यू-233 को अलग करने में भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के वैज्ञानिकों को प्राप्त सफलता	Success achieved by Scientists of Bhabha Atomic Research Centre in Separating U-233 from used fuel of Atomic Plants . . .	111
1594	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की संख्या	Number of Members of National Committee on Science and Technology	111
1595	पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रयासों में समन्वय	Coordination of efforts of U.P. and M.P. for development of Backward Areas	112
1597	अभ्रक के कागज का निर्माण	Manufacture of Mica paper . .	112-13
1598	दिल्ली की एक मोटर गाड़ी फर्म द्वारा स्टीम कार का निर्माण	Manufacture of Steam Car by Delhi Automobile Firm . .	113
1600	"फोनी बिजनेस आफ बाम्बे टेलीफोन्ज"	Phony Business of Bombay Telephones	113
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
	उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के मछरिया गांव में दस हरिजनों को जिन्दा जला देने की घटना का समाचार—	Reported incident of burning alive of ten Harijans in Machhariya Village of Moradabad District in U.P.—	113-16
	श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	114
	श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha . .	115
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table . .	116-17
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	16 वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report . . .	118

विषय	SUBJECT	
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल के कथित दूराचरण के बारे में	Re. Alleged Misconduct of PAC in Firozabad District of U. P.	118-19
राजनयिक सम्बंध (वियना कन्वेंशन) विधेयक, 1971—	Diplomatic Relations (Vienna Convention) Bill, 1971—	
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by the Select Committee	119-23
डा० हरि प्रसाद शर्मा	Dr. H. P. Sharma	119-20
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	120
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	121-22
खंड 2 से 11 और खंड 1—	Clauses 2 to 11 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to pass, as reported by the Select Committee	123
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh.	123
उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1972—	Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	123-25
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary.	123
श्री माधुर्य्य हालदार	Shri Madhuryya Haldar	123
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandey	124
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	124
खंड 2 और खंड 1 —	Clauses 2 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	125
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	125
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1972—	Indian Telegraph (Amendment) Bill 1972—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	125-28
श्री हेमतीनन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	125, 127-28
श्री दिनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	125-26
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	126
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	127
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	127

विषय	SUBJECT	
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	127
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukum Chand Kachwai	127
खंड 2 और खंड 1—	Clauses 2 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	128
श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	128
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972—	Disturbed Areas (Special Courts) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	129-38, 143
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	129
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	130-31
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	131-32
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	132-33
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	133
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	134-35
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	135
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	135-36
चीनी की वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Current Sugar Situation.	139-40
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	139-40
मध्य प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा बोनस के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. Bonus by Sugar Mills in Madhya Pradesh	141-42
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandey	141
श्री बालगोविद वर्मा	Shri Balgovind Verma	141
सभा के अवमान के सम्बंध में प्रस्ताव	Motion Re. Contempt of the House	142-43

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 9 अगस्त, 1972/18 श्रावण, 1894 (शक)
Wednesday, August 9, 1972 / Sravana 18, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

1942 की क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजली
HOMAGE TO MARTYRS OF 1942 REVOLUTION

प्रो० मधु दंडवते : सभा की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व मैं आपके द्वारा सभा के सभी वर्गों से निवेदन करुंगा कि 9 अगस्त का दिन ऐतिहासिक होने के कारण आज हम 1942 की क्रांति तथा अन्य स्वातंत्र्य संग्राम के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक मिनट मौन खड़े हों ।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : हम इस वर्ष स्वतंत्रता की 25 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अतएव यह अपेक्षित है कि हम इस अवसर पर इसे भी मनायें ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे ।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The Members Then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बडे औद्योगिक गृहों द्वारा अनधिकृत क्षमता का उपयोग

*141. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बड़े औद्योगिक गृह अपने संयंत्रों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अनौपचारिक तौर पर पहले ही दो गुना उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई जांच करने का है ; और

(ग) क्या अनधिकृत क्षमता का अनौपचारिक उपयोग उद्योग में काला धन लगाने के सबसे बड़े माध्यमों में से एक है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) से (ग). समय समय पर सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आये हैं जहां कि बड़े औद्योगिक गृहों ने अथवा अन्य औद्योगिक उपक्रमों ने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से पर्याप्त अधिक उत्पादन किया है। औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस प्रकार के 45 प्रमुख मामलों का उल्लेख किया था जिसका विवरण रिपोर्ट के परिशिष्ट 4 एक में दिया गया है। प्रतिवेदन की प्रतियाँ सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं। बड़े औद्योगिक गृहों के जाँच सम्बन्धी आयोग, जिसके प्रधान भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री ए० के० सरकार हैं को उसके विचारणीय विषयों के अनुसार इस प्रतिवेदन की जांच करनी है तथा साथ ही उन परिस्थितियों का पता लगाना है जिनमें औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति द्वारा उल्लिखित मामलों में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन किया गया है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्षमता का अनधिकृत या अनियमित उपयोग करना उद्योगों में काला धन का सबसे बड़ा तरीका है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन की समस्या सरकार के ध्यान में लाई गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उन 45 मामलों में कोई कार्यवाही की है जिनका उल्लेख औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने किया है। यदि हाँ, तो क्या मैं उसका ब्यौरा जान सकता हूँ और यदि नहीं तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा उल्लेख किये गये मामले विशिष्ट तथा व्यापक जांच के लिए भारत के भूतपूर्व उच्च न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति को सौंपे गये हैं, भारत के भूतपूर्व उच्च न्यायाधीश इन प्रत्येक मामलों के ब्यौरों की जांच कर रहे हैं और जांच समिति का प्रतिवेदन मिलने के उपरान्त हम निश्चय ही समिति से प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय का यह उत्तर कुछ विचित्र सा है कि इस मामले को उच्च अधिकार प्राप्त समिति को पुनः सौंपा जा रहा है, हो सकता है कि सरकार इसे आगे उच्च अधिकार समिति की सौंप दे, परन्तु हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने उन मामलों पर अब तक कोई कार्यवाही की है। उत्तर के दूसरे भाग में सरकार कहती है कि सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि क्या स्वीकृत लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करना काले धन का स्रोत है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार के पास क्या सूचना है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न छोटा होना चाहिए।

सिद्धेश्वर प्रसाद : 'सरकार आयोग' की नियुक्ति औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की सिफारिश पर की गई है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि प्रत्येक मामले की जांच की जानी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिये कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन अथवा अनधिकृत उत्पादन किन परिस्थितियों में हुआ है। अतएव समिति की सिफारिशों पर यह कार्यवाही की गई है। प्रतिवेदन मिलने के उपरान्त हम ठीक-ठीक जान सकते हैं कि अनधिकृत अथवा गैर लाइसेंस प्राप्त उत्पादन किन परिस्थितियों में हुआ है और उसके उपरान्त कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है।

श्री० के० लकप्पा : क्या सरकार के ध्यान में यह सूचना लाई गई है कि कतिपय बड़े व्यापार गृह बिजली, पानी तथा भूमि का अनधिकृत रूप से उपयोग कर रहे हैं तथा लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं? यदि हाँ, तो उनकी जांच कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है और वे बड़े औद्योगिक गृह कौन-कौन से है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ऐसी कोई घटना हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इनमें से कतिपय औद्योगिक एककों ने, जो विदेशों में स्थित हैं, अधिक उत्पादन करके यहां के उद्योगों को प्रभावित किया है। समिति द्वारा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक सरकार ने स्वदेशी उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हम समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सरकार नहीं जानती कि इस प्रकार का अनधिकृत उत्पादन काले धन का लाभप्रद स्रोत है। यह भी जाँच की जा रही है कि उन मामलों में, जहां यह सिद्ध हो चुका है कि वे अपनी लाइसस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन की विवरणी, जो उन्हें प्रति महिने अथवा प्रति वर्ष देनी पड़ती है, लाइसेंस प्राप्त क्षमता से मिलती है अथवा उससे अधिक है और यदि यह विवरणी में नहीं दिखाई गई है, तो यह स्पष्ट ही काले धन का स्रोत है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम्) : यह सूचना कि वे क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तकनीकी विकास के महानिदेशालय के माध्यम स भेजी गयी विवरणी पर आधारित है। अतएव फर्म के लेखे में उत्पादन का ब्यौरा दर्ज हो गया है और यह काले धन का माध्यम नहीं हो सकता है। परन्तु यदि उन्होंने फर्म के लेखे में उत्पादन का ब्यौरा नहीं दिया है, चाह वे क्षमता से कम अथवा अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो यह काले धन का स्रोत बन सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इंडलको अपनी क्षमता से अधिक एल्युमिनियम 6 लाखों का निर्माण कर रही है तथा उसे अपने विवरणी में नहीं दिखा रही है। यह प्रश्न मैंने उठाया था और मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार इसकी जांच कर रही है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं जानता हूँ कि दूसरे सदन में यह आरोप लगाया गया था और खान मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है तथा इसकी जांच की जा रही है। मेरे मंत्रालय में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि कुछ बड़े औद्योगिक गृह वस्तुओं का मूल्य कम करने के उद्देश्य से अपनी अधिकृत क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है। यह प्रश्न क्षमता से अधिक उत्पादन से संबंधित है। ऐसे मामले हैं जो क्षमता से कम उत्पादन से संबंधित हैं परन्तु यह विभिन्न कारणों से हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या सरकार यह बता सकने की स्थिति में है कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जाएगी और इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसके बारे में बताया है, उन्होंने भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : यह सभा जानना चाहती है कि प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक समिति है और हम समिति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमने अध्यक्ष से शीघ्रता करने को कहा है।

श्री के० एस० चावड़ा : कतिपय कंपनियां, जिनके विस्तार के आवेदन पत्र सरकार ने अस्वीकार कर दिये हैं, अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं। उदाहरण के लिए मैसर्स फ़ीजर, बम्बई के पास 14 मीट्रिक टन की लाइसेंस प्राप्त क्षमता है। 1970 में उत्पादन 25 मीट्रिक टन हुआ

था और 1971 में यह बढ़कर 26 मीट्रिक टन हो गया था। इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया गया है। हम इसको जांच करेंगे।

तारापुर आणविक संयंत्र को पुनः चालू करना

*142. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या परमाणु उर्जा मंत्री तारापुर आणविक संयंत्र के पुनः चालू किये जाने के बारे में 24 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 963 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या तारापुर आणविक विद्युत केन्द्र का यूनिट संख्या। संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या यूनिट संख्या II को निर्धारित समय पर चालू कर दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). जी, हाँ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

श्री के० एस० चावड़ा : गुजरात में इस समय बिजली की कुल उपलब्धता 862 मेगावाट है जिसमें तारापुर परमाणु बिजली घर की 190 मेगावाट बिजली भी शामिल है। गुजरात में परमाणु बिजली घर के बंद होने तथा खराब होने और पुनः चालू करने और फिर बंद करने के कारण वहां बिजली की कमी है क्या माननीय सदस्य सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि सौराष्ट्र में एक और परमाणु बिजली घर स्थापित किया जायेगा जहां कोयले की सप्लाई तथा पन बिजली का कोई साधन नहीं है? यदि नहीं, तो क्या हम इस समाचार को सच समझें कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गुजरात से बाहर परमाणु बिजली घर स्थापित करने के पक्ष में है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : यह किसी मंत्री को व्यक्तिगत सनक का प्रश्न नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरे प्रश्न के भाग (क) का क्या उत्तर है जबकि प्रधान मंत्री ने भाग (ख) का उत्तर दे दिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुख्य प्रश्न यूनिट संख्या I और II से संबंधित है और अनुपूरक प्रश्न कुछ दूसरा है, मोट तौर पर जहां तक बिजली की उपलब्धता का प्रश्न है, जिसे मेरे माननीय मित्र ने पूछा था, यह यूनिट I से, जिसे पुनः चालू किया गया है, लगभग 87 प्रतिशत है। अतएव यह संतोषजनक है और मैं नहीं समझता हूं कि किसी को इसके लिए यूनिट I को दोष देना चाहिए। जहां तक यूनिट II का प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा है यह सितम्बर में चालू हो जाएगा। स्थानों का निर्धारण ऐसा प्रश्न है जिसे विशेषज्ञ समिति देखेगी। मैं नहीं समझता हूं कि विशेषज्ञ समिति ने समूचे मामले के सम्बन्ध में यहां तक कि पश्चिम क्षेत्र में भी, जांच की है।

श्री के० एस० चावड़ा : यूनिट संख्या I को पुनः ईंधन देने तथा उसकी देखरेख करने के अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि यूनिट संख्या एक और दो क्यों बंद हुए हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यूनिट संख्या I के मामले में, रिएक्टर के अंदर गाइडिंग ट्यूब पकड़े रखने की व्यवस्था है और कुछ गाइडिंग ट्यूब ढीले हो गये हैं। अतएव संपूर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ा था

तथा समूचे डिजाइन की जांच करनी पड़ी थी। बिजली का अधिक समय तक उपयोग न करने का यही मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त एक ट्रांसफोर्मर ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि उस ट्रांसफोर्मर को यूनिट संख्या II में लगे ट्रांसफोर्मर से बदला गया था और इस कारण भी यह काफी समय तक बंद रहा। पुनः ईंधन देने के अतिरिक्त, जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र ने किया था और जिसे चालू करने के पहले दो वर्षों के उपरान्त सामान्य रूप से पुनः ईंधन दिया जाता है, साधारण मरम्मत का भी कार्य है। इसमें कुछ समय लगता है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि यूनिट संख्या II में बिजली का कुल अनुपयोग काल 5 महीने था जब कि यूनिट संख्या I में यह 8 महीने था। उन्होंने अनुभव से सीखा है और वे बिजली के अनुपयोग काल को कम कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या तारापुर परमाणु संयंत्र के यूनिट संख्या I के खराब होने का एक कारण यह था कि 89 गाइड ट्यूब में से 20 गाइड ट्यूब ईंधन से भरे हुए नहीं थे और हल्के होने के कारण पानी के दबाव से वे बढ़ गए ? यूनिट संख्या II में इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कायवाही की गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन गाइड ट्यूब को भरने में विदेशों से यूरेनियम का आयात किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ब्लैंक के अन्दर यूरेनियम नहीं होता है। मैं नहीं समझता हूं कि ब्लैंक में भरने के लिए यूरेनियम मे आयात करने की आवश्शकता है। जहां तक यूनिट संख्या II का संबंध है गाइड ट्यब को पकड़े रहने की व्यवस्था की जांच की गई है और मरम्मत करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है।

Shri Arvind M. Patel : May I know whether Government smell any conspiracy in the unsatis factory functioning of the Tarapur Power Station since its commissioning and if so, whether Government propose to set up an enquiry committee for this purpose ?

Shri K. C. Pant : No Sir.

चलचित्र बनाने वालों को चलचित्र वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता

*143. **श्री बी० पी० नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चलचित्र वित्त निगम द्वारा चलचित्र बनाने वालों को कुल कितनी धन राशि की वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) इन वर्षों में कितनी धनराशि उक्त निगम को देय हो गई थी और कितनी धनराशि वास्तव में वसूल हुई ; और

(ग) इन वर्षों में कितनी धनराशि वसूल नहीं हुई और निगम द्वारा कितनी धनराशि को बट्टे खाते डाल दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा): (क) वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान फिल्में बनाने वालों को कुल 47,41,496 रुपये की राशि दी गई।

(ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) उपरि उल्लिखित गत तीन वर्षों के दौरान निगम ने कोई ऋण बट्टे खाते नहीं डाला है।

विवरण 1

1. ऋण की जो राशि निगम की देय थी

निगम को देय कुल राशि (वर्ष 1969 से पहले की अवधि में दिए गए ऋणों की देय राशि समेत)

तारीख के दिन	मलधन रुपयें	ब्याज रुपये	कुल रुपये
31-3-70 . .	55,10,158	8,66,929	63,77,087
31-3-71 . .	59,48,459	11,23,720	70,72,179
31-3-72 . .	69,02,859	11,14,804	80,17,663

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणों की जो राशि निगम को देय हो गई थी वह, जैसी कि ऊपर दी गई है, वसूलियों को समंजित करने के बाद निकाली गई है। 1969-72 की अवधि के दौरान मंजूर किए गए ऋणों के सम्बन्ध में 31-3-72 के दिन ऋणों की जो राशि (केवल मूलधन) निगम को देय थी वह 10,47,031 रुपये है ।

2. राशि जो वास्तव में वसूल की गयीं

कुल वसूल की गई राशि

वर्ष	(वर्ष 1969 की अवधि से पहले दिए गए ऋणों से वसूल की गई राशि समेत) मूलधन रुपय	ब्याज रुपये	केवल पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गए ऋणों से वसूल की गई राशि। कुल रुपये	केवल मूलधन रुपये
1969-70 . .	15,91,032	3,86,748	19,77,789	52,234
1970-71 . .	4,47,195	1,87,037	6,34,232	1,75,367
1971-72 . .	9,51,703	4,60,312	14,12,015	3,48,079
	29,89,930	10,34,097	40,24,027	5,75,680

श्री बी० वी० नायक : चूंकि वसूली संतोषजनक ढंग से नहीं हुई, मैं जानना चाहूंगा कि क्या चलचित्र वित्त आयोग काले धन से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, जिसे इस देश में मुख्य रूप से फिल्म उद्योग में लगाया जा रहा है ? क्या इस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा क्योंकि पुराने ऋण कुल धन के 80 प्रतिशत के बराबर है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आय० के० गुजराल) : चलचित्र वित्त आयोग का किसी भी प्रकार के सफेद अथवा काले धन का मुकाबला करने का विचार नहीं है। अच्छी प्रकार की फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिये यह एक अगला कदम है ।

श्री बी० वी० नायक : क्या मंत्री महोदय अच्छी प्रकार को फिल्में बनाने के प्रयत्न में सफल हुए हैं ? क्या वे हमें उन सफल फिल्मों के नाम बतायेंगे जिन्हें चलचित्र वित्त निगम ने पर्दे पर दिखाया तथा उनके लिये धन दिया था ।

श्री आई० के० गुजराल : मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र फिल्मों के पुरानेपन को परिवर्तित करने वाली फिल्मों की नई लहर के सम्पर्क में हैं । वर्तमान विचारधारा को प्रभावित करने वाली "सारा आकाश" "उसकी रोटी", "दस्तक", "अनुभव" जैसी बहुत कम फिल्में हैं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपनी नई नीति के अनुसार चलचित्र वित्त निगम ऐसी फिल्मों से सम्बद्ध है जिन्हें देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मान्यता मिली है ।

श्री राम सहाय पांडे : चलचित्र वित्त निगम को बनाने का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को भद्दे प्रेमालाप दिखाने वाली नहीं बल्कि अच्छी फिल्में बनाने के लिये प्रोत्साहित करना है । अच्छी समझी जाने वाली कितनी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं नहीं जानता वह किन लोगों की चर्चा कर रहे हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने उन फिल्मों की सराहना की है जिन्हें चलचित्र वित्त निगम ने प्रोत्साहन दिया है अब तक निगम ने 97 फिल्मों को वित्तीय सहायता दी है ।

श्री राम सहाय पांडे : मैंने कुछ फिल्मों के नाम दिये हैं । लगभग सभी फिल्मों ने एक अथवा दो पुरस्कार प्राप्त किये हैं । अभी हाल में "गुड्डी" तथा "अनुभव" को मान्यता प्राप्त हुई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : भारत में बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं । सिनेमा घरों में उन्हें इतनी सफलता न मिली हो तो भी लोगों ने उन्हें पसन्द किया है और वे अच्छी फिल्में हैं । बंगाल के फिल्म निर्माताओं को कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है । समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि वे गम्भीर संकट में हैं । उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि वे अच्छी फिल्में बना सकते हैं । बंगाल के फिल्म निर्माताओं को कितनी राशि दी गयी ?

श्री० आई० के० गुजराल : चलचित्र वित्त निगम ने 14 बंगाली फिल्मों को आर्थिक सहायता दी-है और 28 लाख रुपये की कुल राशि मंजूर की गई थी ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह मानते हुए के विभिन्न प्रकार की फिल्में बनायी गयी हैं, यद्यपि इन्होंने जिन फिल्मों के नाम लिये वे हम में से किसी ने नहीं देखी । क्या मैं जान सकता हूं कि इस चलचित्र वित्त निगम की कार्यचालन पूंजी कितनी है और कितनी राशि का ऋण वसूल न करने योग्य समझा जाता है क्यों कि बम्बई में यह धारणा है कि आप निगम से जो कुछ भी लें वापिस करने की जरूरत नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख विवरण में दिया गया है ।

श्री आई० के० गुजराल : बम्बई को पूंजी मार्केट की शायद माननीय सदस्य को अधिक जानकारी है जबकि मुझे इतनी नहीं है ।

चलचित्र वित्त निगम की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये और इसे सरकार से 95 लाख रुपये के ऋण मिले हैं । अत: इसकी कुल पूंजी 145 लाख रुपये की है । अब तक हमें 12.66 लाख रुपये की राशि बट्टे खाते में डालनी पड़ी ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : न वसूल किये जा सकने योग्य से क्या तात्पर्य है ? क्या इसका अर्थ बट्टे खाते में डालने से नहीं है ?

श्री आई० के० गुजराल : इसका तात्पर्य सामान्यत: ऐसी फिल्मों से है जिन्हें सिनेमाघरों में सफलता नहीं मिली और निर्माता पूंजी नहीं प्राप्त कर सके। फिर भी बट्टे खाते में डालने से पहले यथोचित कानूनी कार्यवाही की जाती है।

श्री समर गुह : यद्यपि अनेक बंगाली फिल्मों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। फिर भी, जैसे कि मेरे मित्र ने कहा है बंगाली फिल्म उद्योग इस सीमा तक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है कि कुछ फिल्म निर्माताओं ने तो फिल्म बनाने का काम छोड़ दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग के कार्य की जांच करने हेतु एक समिति का गठन करेगी और उन्हें आर्थिक सहायता देगी ताकि वे अच्छी फिल्में बना सकें।

श्री आई० के० गुजराल : बंगाल के फिल्म उद्योग पर हमें गर्व है क्योंकि वहां बहुत अच्छी फिल्में बनाई गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य वश अनेक कारणों से बंगाली फिल्म उद्योग संकट का सामना कर रहा है। बंगाल सरकार ने भी एक समिति का गठन किया है। हमने भी इस ओर ध्यान दिया है। लेकिन इसके लिये ऐसे उपचारों की आवश्यकता है जो बंगाल से बाहर से ही मिलने सम्भव हैं। उदाहरणत: एक उपाय यह हो सकता है कि बंगाली फिल्मों में अन्य भारतीय भाषाओं की आवाज़ें भरी जाये ताकि इनकी मार्केट खुल सकें। लेकिन इससे भी बढ़कर यह बात महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे क्षेत्रों के लिये फिल्म परिषद् स्थापित करें और संकट पर काबु पाने के लिये उपाय ढूंढे जायें।

वर्षा से दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था का अस्त-व्यस्त हो जाना

†

*144. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल की वर्षा के परिणामस्वरूप समस्त टेलीफोन व्यवस्था बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी ;

(ख) कितने टेलीफोन कनेक्शनों को ठीक किया जा चुका है ; और

(ग) इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Communications (Shri Jagannath Pahadia) : (a) No, but a large number of telephones were, however, affected.

(b) All affected telephones have been restored.

(c) Based on the recommendations of an enquiry committee constituted in the wake of the large scale failure a series of steps are proposed to be taken which include gas pressurisation of junction cables, use of electronic cable fault locators, etc.

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know whether the defects in telephone occurred probably due to rains for the first time in Delhi if not whether there occurred any defect earlier and if so, whether any enquiry had been made and whether the recommendation in the Enquiry Report were implemented?

Is it not fact that another main cause defects in telephone is that while digging of surface in connection with water supply etc. is done telephone cables are cut, if so do the Government propose to take some steps in this direction, if so, what are the details of those steps ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : The hon. member has asked two questions. First whether there occurred any defects in the past and enquiry was conducted ? No such enquiry was conducted before. This time we constituted a committee consisting of officers of the Directorate to look into the causes of these defects. The causes and the remedial measures suggested by them have been given in the reply. It is

a fact that roads in Delhi are being widened for the last eight or ten years and this work has been done with great speed. In addition, new sewer lines and water pipes are being laid which cause disruption of cables. Defects occurred in 220 cable junctions during the rains this years. The joints of 180 cables were disrupted due to the work of D.E.S.U. or other organisations. 40 defects occurred due to faults in connecting the cables. It has now been decided that we should remove our mistakes at the time as connecting the cables and we will ensure that the connection is upto the mark or not... (*Interruptions*)

I hope Mr. Banerjee will help us in every good work.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it not a fact that the prolonged defects in the telephone are also due to heavy work entrusted to the telephone employees and they cannot cope with so much work ? Is it also not a fact that there is general delay in getting the trunk calls which is also mainly due to heavy work load of the employees. In view of this, may I know whether Government propose to increase staff strength ?

Delhi is connected with many state capitals through the medium of telephones but the capital of Madhya Pradesh is not directly connected with Delhi. Are you proposing to connect it with Delhi ?

Shri Piloo Modi : No reply will be given.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Minister should say so.

Mr. Speaker : This question relates to the disruption of telephone in Delhi. Your question is not concernted with it. You may table a separate question and you will get the reply.

Shri Hukam Chand Kachwai : Reply to first part should be given which relates to defects. The Minister has got to give a reply.

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री किसी अप्रासंगिक प्रश्न के लिये खड़े हो जाते है तो मै क्या कर सकता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : He is ready ?

Mr. Speaker : Today I have a bad throat so you please keep silent today.

Shri Hukam Chand Kachwai : I do not have a bad throat. The hon. Minister is ready to answer the supplementary.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि यह नये क्रास बार उपकरण, जोकि दिल्ली के कई टेलिफोन केन्द्रों में लगाए गए हैं, भारी वर्षा का सामना करने में कहां तक समर्थ हैं क्योंकि यह अमरीकी डिज़ाइन के आधार पर बनाए गए हैं और वहां पर इतनी भारी मानसून वर्षा नहीं होती। क्या क्रास बार उपकरणों की जांच ऐसी जांचों में सम्मिलित है और क्या इस बात की भी जांच की गई है कि ये क्रास-बार उपकरण देश की स्थिति के अनुकूल हैं अथवा नहीं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक क्रास बार का सम्बन्ध है यह सच है कि इसमें काफी तकनीकी दोष हैं और इन दोषों का पता लगाया जा चुका है लेकिन इनका हाल ही में हुई वर्षाओं के साथ कोई सम्बन्ध नही है । वर्षा इसके कार्यकरण पर कोई प्रभाव नहीं डालती । आवर्ती खराबी के पता लगाए गए कारणों में यह कारण सम्मिलित नही हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्रास-बार उपकरण के काम न करने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह खराबी वर्षा या क्रास बार के कारण नही हैं । तारों और पारेषण प्रणाली के कारण यह दोष उत्पन्न हुआ है ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अपनाया जाना

*146. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने संबंधी सरकार के आदेश की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त निर्णय की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना को संभवत: कब तक पूर्णतया व्यावहारिक रूप दे दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग). संघ की राजभाषा के प्रश्न पर दिसम्बर, 1967 में संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

> "परीक्षाओं की भावी योजना और कार्यविधि तथा समय आदि के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के विचार मालूम करने के बाद अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाएं और अंग्रेजी का प्रयोग करने की अनुमति दी जायेगी "।

इस प्रकार, 1969 में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में शुरूआत की गई जब कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को दो अनिवार्य विषयों—निबन्ध और सामान्य ज्ञान के उत्तर लिखने के लिए, अंग्रेजी के साथ साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी का भी प्रयोग करने का विकल्प दिया गया । ऐसे विकल्प को और अधिक विषयों पर लागू करने का प्रश्न, अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है ।

इसके अतिरिक्त सन् 1964 से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सहायक ग्रेड परीक्षा में निबन्ध और सामान्यज्ञान के प्रश्नपत्रों के उत्तर देने के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग वैकल्पिक माध्यम के रूप मे प्रयोग करने की अनुमति दी गई है । वर्ष, 1971 से, आशुलिपिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को भी सामान्य ज्ञान के उत्तर लिखने और आशुलिपिक परीक्षा देने के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी का विकल्प दिया गया है ।

सरकार एवं साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं, साथ ही साथ अंग्रेजी को भी अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओ की परीक्षाओं में माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए, राजभाषा संकल्प में समाविष्ट निर्णयों को तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए इच्छुक है । विभिन्न भारतीय भाषाओं को आयोग की परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के प्रारम्भिक कार्य को चालू करने का कार्य बहुत बड़ा तथा जटिल है । ऐसा होते हुए भी, आयोग इसके प्रारम्भिक कार्य के सम्बन्ध में कार्रवाई करता रहा है । तथापि, इस समय यह निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है कि प्रादेशिक भाषाओं को परीक्षाओं के माध्यम के रूप में प्रयोग करने के निर्णय को कब तक पूर्णतया कार्यान्वित किया जाएगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : वक्तव्य से ज्ञात होता है कि साढ़े चार वर्ष पूर्व एक संकल्प पारित किया गया था जिसके अनुसार सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके कार्यवाही करनी थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग की राय प्राप्त करने में इतना विलम्ब क्यो हो रहा और इस मामले में आयोग की निश्चित राय क्या है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : 1967 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करने के तुरंत बाद हमने संघ लोक सेवा आयोग से संकल्प को क्रियान्वित करने के उपाय सुझाने के लिए कहा। हम अब भी उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं। आयोग ने विशिष्ट रूप म इसे क्रियान्वित किया है। उदाहरणार्थ अनिवार्य पेपरों, अर्थात् निबन्ध और सामान्य ज्ञान के पेपरों में प्रश्नों का उत्तर प्रादेशिक भाषाओं में देने का विकल्प है। जहां तक इस विकल्प को संघ लोक सेवा आयोग के अन्य विषयों में भी लागू करने का प्रश्न है इस में कई कठिनाईयां हैं और आयोग यह पता लगाने के लिये प्रयत्न कर रहा है कि इन कठिनाईयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। उदाहरणत: देश में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां स्नातकोत्तर स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं में अभी पठन-पाठन शुरू नहीं किया गया है। ऐसे कई राज्य लोक सेवा आयोग हैं जहां अब भी परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी है अत: संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं के प्रारम्भ करने से कई कठिनाईयां उत्पन्न हो जाएंगी फिर भी हम आयोग के परामर्श से इस संकल्प को शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित करने के उपाय खोज रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : हमें बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जा चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके मार्ग में क्या कठिनाईयां हैं तथा यह प्रारम्भिक कार्य पहले क्यों नहीं किया गया।

श्री राम निवास मिर्धा : संघ लोक सेवा आयोग को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है उनका मैंने कुछ संकेत दिया है क्योंकि आयोग चाहता है कि परीक्षा पत्रों के जांचने का स्तर एक समान होना चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं में उत्तर दिए गए पेपरों की जांच के लिए किस प्रकार के परीक्षकों की आवश्यकता होगी इस सम्बन्ध में आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्पर्क बनाए हुए है।

कई राज्यों में अभी प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम नही बनाया गया है अत: हम विधि मंत्रालय से यह परामर्श कर रहे हैं कि क्या कुछ विषयों के पेपरों का उत्तर कुछ विशेष प्रादेशिक भाषाओं में दिया जा सकता है अथवा कि सभी प्रादेशिक भाषाओ को एक साथ परीक्षा का माध्यम बनाना अनिवार्य होगा। यह कुछ व्यवहारिक और विधानी कठिनाईयां है जिन्हें हम दूर करने का यत्न कर रहे हैं।

श्री सक्सियान : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि कई राज्यों में प्रादेशिक भाषाएं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रारम्भ नहीं की गई हैं। ऐसी भाषाएं जो गृहीत कर ली गई है और उच्च शिक्षा का माध्यम हैं क्या सरकार ऐसी भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

तीसरी लोकसभा के दौरान 1966 में मैंने आधे घंटे की चर्चा उठाई थी, जिसके उत्तर में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जब आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओ पर विचार किया जाएगा तो उन पर खण्डश: विचार नही होगा अपितु सभी भाषाओ पर एक साथ विचार किया जाएगा ताकि एक भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा लाभान्वित न हो सके। मैं यह जानना चाहता हूं उस आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री राम निवास मिर्धा : वस्तुत: माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए दोनों प्रश्न परस्पर विरोधी हैं। एक ओर वह कहते हैं कि कम से कम वह प्रादेशिक भाषाएं जिनमें विश्वविद्यालय स्तर तक पठन पाठन होता है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अपनायी जानी चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने मंत्री महोदय के आश्वासन का हवाला दिया है कि सभी प्रादेशिक भाषाओं के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा जैसा कि मैंने पहले कहा, हम इस बात की जांच कर रहे है कि क्या कानूनी रूप से यह संभव है कि कुछ भाषाएं कम से कम वे भाषाएं जो सम्बद्ध राज्यों तथा उनके राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में परीक्षा के माध्यम के रूप में गृहीत कर लिए जाने के कारण विशेष स्तर तक पहुंच चुकी है परीक्षा के माध्यम के रूप में गृहीत की जा सकती हैं ?

Dr. Gobind Das : May I know the time required for such examination and whether there is any likelihood of regional language being made the media of examination in the near future.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not possible to give a definite time limit by which this resolution shall be enforced. As I stated earlier that certain legal complications are likely to arise in the making regional languages the media of examination. We are in touch with the Law Ministry to find out if it would be feasible to adopt only some of the regional languages as the media of examination to begin with or would it be necessary to include all the regional languages. We can make a definite statement only after the question is settled.

Dr. Govind Das : How much time will it take ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It will take quite some time.

Shri Bibhuti Mishra : This resolution was passed in 1967. We are now going to celebrate 25th anniversary of the Independence. Is it not a fact that the bureaucracy of this country has a bourgeois outlook and it does not want that the regional languages should develope. They think that if the common man comes to the forefront they will loose their importance. That is why they are not implementing the resolutions.

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have said earlier the regional languages can be made media of U. P. S. C. examinations after the universities adopt them as a media of examinations.

Shri Bibhuti Mishra : Regional languages are already the media of university examination.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is true only of a few universities. It is for this reason we are in consultation with the Law Ministry to know if those regional languages which are already the media of examination and Public Service Commission can be made the media of U. P. S. C. examination or if it would be essential to adopt all the regional languages for the purpose.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में शुरू करने के संबंध में विधि मंत्रालय से परामर्श करने के बजाय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों से परामर्श लें और उन्हें सभी विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में गृहीत करने पर जोर डाले। राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? अन्यथा सरकार अपने दिए हुए आश्वासन को पूरा न करने के लिए दोषी होगी और इससे कई राज्यों में भाषागत समस्याए उत्पन्न हो जाएंगी क्योंकि वह भाषाएं जो कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा का माध्यम बन गई हैं अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक लाभान्वित होंगी।

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार का काम यह नहीं है कि वह राज्य सरकारों को बताए कि वे शिक्षा संस्थानों में किस भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में गृहीत करे। यह देखना उनका काम है कि परीक्षाएं किस प्रकार ली जाएंगी। जहां तक एक भाषा वर्ग की अपेक्षा दूसरे भाषा वर्ग को प्राथमिकता देने तथा भेद-भाव बरतने का प्रश्न है इसे हम दूर करना चाहते हैं। यदि हम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कुछ भाषाओं को परीक्षा के माध्यम के रूप में शुरु करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि अन्य भाषाएं इससे नुकसान में रहेंगी। इसी कारण से हम विधायी और व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और हमने संघ लोक सेवा आयोग से सलाह मांगी है कि इस संकल्प को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या ढंग अपनाया जाए।

श्री माधुर्य हाल्दर : इस सम्बन्ध में राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है साथ ही आदिवासी लोगों की भाषाओं को किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप प्रारम्भ नहीं किया गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में यह आदिवासी लोग किस भाषा में उत्तर देंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : संसद द्वारा पारित किए गए संकल्प में केवल संविधान की 8 वी अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं का हवाला दिया गया है । इस समय हमारा सम्बन्ध इस संकल्प के क्रियान्वयन से है ।

Shri B. P. Maurya : May I know the arrangements made for those candidates who come from such states where the media of instruction right upto the university level is the regional language ?

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have said earlier we are examining whether legally it is possible to have only some languages adopted as media for examinations.

श्री बी० पी० मौर्य : उन विद्यार्थियों के साथ, जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ।

विदेशों के साथ उपग्रह द्वारा संपर्क

*147. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री के. मालन्ना

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र-पार संचार सेवाओं द्वारा संचालित उपग्रह सम्पर्क चैनलों के जरिए भारत का सम्पर्क विश्व के 45 देशों से हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेवा समुद्र पार के देशों के साथ तार, टेलीफोन, टेलेक्स और फोटो-टेलीग्राफ सुविधाएं प्रदान करती हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़ियां) : (क) भारत, अपनी विदेशी संचार सेवा द्वारा प्रचालित उपग्रह सम्पर्कों के माध्यम से, संसार के 16 देशों के साथ जुड़ा है ।

(ख) जी हां ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : उन देशों के नाम क्या हैं । जिनके साथ हमारे उपग्रह संपर्क है ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आस्ट्रेलिया, बहारेन, पूर्वी अफ्रीका, जापान, कुवैत, मलयेशिया, ब्रिटेन सिंगापुर, हांगकांग, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैंड, कनाडा, अमरीकी और आस्ट्रिया ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या यह सच है कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ने यह प्रस्ताव किया है कि सरकार को अंतरिक्ष संचार की तकनीकों का संभावनाओं का पता लगाना चाहिए और भारत 1980 तक शत प्रतिशत भारतीय उपग्रह का प्रक्षार कर सकता है ; और यदि हां तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : संचार मंत्री का इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नही है प्रश्न सम्बद्ध मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या आर्वी स्थित उपग्रह भूमि समूह की एक्सचेंज क्षमता को बढ़ाने में विलम्ब का कारण इंण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज और बेल्जियम स्थित उनके सहयोगियों से निवेदित मूल्य न मिलने के कारण हुआ है, और यदि हां तो इस विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ।

श्री हेमवति नन्दन बहुगुणा : औज़ारों की सप्लाई के मामलें में कोई विलम्ब नही है ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या उपग्रह संचार सेवा गैर सरकारी वाणिज्यिक फर्मों को उपलब्ध है और यदि हां तो उसके प्रयोग के लिए कितनी फर्मों का पंजीकरण किया गया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : टेलेक्स संचार सेवा गैर सरकारी वाणिज्यिक फर्मों को उपलब्ध है. सरकार इच्छुक व्यक्ति को कभी मना नहीं करती ।

भूतपूर्व शासकों को मुआवजे की अदायगी

* 148. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भूतपूर्व शासकों को उनकी निजी थैलियां बन्द कर देने के उपरान्त भी मुआवजा देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त निर्णय संसद की सलाह लिये बिना ही किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) भतपूर्व नरेशों के प्रिवी पर्स समाप्त कर देने के पश्चात् उन्हें मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता । किन्तु सरकार का विचार उन्हें नकद एक-मुश्त अनुग्रह-राशि देने का है ताकि वे अपने को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या यह निर्णय संसद के परामर्श के बिना लिया गया है । उत्तर में उनका कहना है कि उनका कुछ राशि का भुगतान करने का विचार है । इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व क्या सरकार इस सदन को विश्वास में लगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भुगतान इस सदन की अनुमति से किया जाय । हम चाहते हैं कि कोई मुआवजा न दिया जाय । क्या सरकार द्वारा सदन को विश्वास में लिया जायेगा ?

श्री पीलू मोदी : यह मुआवजा नहीं है । यह तो रिश्वत है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: वस्तुत: जो भी धन दिया जायेगा, संसद की अनुमति से ही दिया जायगा । इस का भुगतान करने से पूर्व अनुपूरक अनुदानें सदन के समक्ष लाई जायेंगी और सदन में उन पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा और तभी भुगतान किया जायगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री भी कुछ राजनीतिक दलों के विचारों को जानते हैं । क्या इस मामले में निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक की आयोजन किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने कहा, इस मामले पर चर्चा करने के लिए सदन को अवसर मिलेगा । अनुपूरक मांगे सदन के समक्ष लाई जायेंगी और उसी समय प्रश्न के सब पहलुओं पर विचार किया जा सकता है । किन्तु इस समय हमारा बैठक का आयोजन करने का कोई विचार नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कुछ राशि तो दी ही जायेगी । उस राशि का आधार क्या है ? हम उस आधार पर चर्चा करना चाहते है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : प्रत्येक पहलू पर चर्चा की जायेगी ।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या मैसूर के महाराजा को मैसूर राज्य में अपना महल बेचने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Sarjoo Pandey : The question was as to whether the matter regarding payment of compensation should in principle be decided by Parliament or not. But the hon. Minister has not given any reply to that.

From the reply given by the hon. Minister, it seems that Government has decided to give compensation. May I know whether, before taking a final decision on the matter of compensation, it would be discussed in Parliament; if it is decided to give compensation, how much money would be given ? Are the Government aware of the extent of money they have with them ? Most of the ex-rulers have assets worth crores of rupees. There is no need of giving them any compensation. Will this principle taken into consideration ?

Shri K. C. Pant : I have stated in my reply that the question of payment of compensation does not arise. There is proposal to pay them lump sum *ex gratia* amounts; which is not a compensation. All other matters will be brought here for discussion as to what should be its basis. At that time, all the hon. Members will be free to express their views.

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने कहा है कि एकमुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा । चूंकि थैलियां समाप्त कर दी गई हैं, अत: यदि कुछ राशि दी भी जायेगी, तो वह कहां से आयेगी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि मुआवजे के रूप में भूतपूर्व नरेशों को केवल एक रुपये का सांकेतिक भुगतान किया जाए ?

Shri Dinen Bhattacharya : This means that the Government wants to give compensation. The Ex-rulers would have transferred their assets to foreign countries by the time this principle is introduced. Has any investigation been made into this matter as to have much money has been transferred to foreign countries ?

Shri K. C. Pant : This is a general question as to how much money anybody has outside India. I have no knowledge about the figures which the Finance Ministry might have about foreign exchange holdings. But ordinarily...

Shri Dinen Bhattacharya : They have sent their holdings to foreign countries.

Shri K. C. Pant : It will remain there.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने कितना धन विदेशों में भेजा है ?

Shri K. C. Pant : Money, which has been transferred to foreign countries, will remain there. The figures regarding the amount of foreign exchange in foreign countries may be asked from the Ministry of Finance.

स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, शिक्षा और कृषि की अखिल भारतीय सेवाएं बनाया जाना

*154. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री पीलू मोदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग शिक्षा और कृषि की अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कब तक बनाई जायेंगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा तथा भारतीय इंजीनियरी सेवा के निर्माण की व्यवस्था के लिए, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) का वर्ष 1963 में

संशोधन किया गया था। अब भारतीय वन सेवा का 1 जुलाई, 1966 से गठन किया जा चुका है और सभी राज्य सरकारें इस सेवा में सम्मिलित हो रही हैं। अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा

इस सेवा के गठन सम्बन्धी औपचारिक आदेश 1 फरवरी, 1969 से जारी किये गए थे। विभिन्न राज्यों में अभी तक न तो, इस सेवा के संवर्गों के गठन के सम्बन्ध में कार्रवाई की गई है और न ही उनके सम्बन्ध में प्रारम्भिक भर्ती का कार्य ही हाथ में लिया गया है, क्यों कि 7 राज्य सरकारों अर्थात् तमिल नाडु, मैसूर, महाराष्ट्र, असम, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब जिन्होंने पहले सेवा में सम्मिलित होने की सहमति प्रकट की थी, बाद में असहमति प्रकट की या इस सेवा के गठन तथा उस में सम्मिलित होने के बारे में अपनी शर्तें पेश की। राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए मत को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में पुनर्विचार किया जा रहा है।

भारतीय इंजीनियरी सेवा

इस सेवा का गठन अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य सरकारें अर्थात् तमिल नाडु, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा केरल ने इस प्रस्तावित सेवा में सम्मिलित होनस इन्कार कर दिया है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शैक्षिक सेवा

संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अधीन राज्य सभा द्वारा, भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शैक्षिक सेवा के निर्माण के लिए, मार्च, 1965 में एक संकल्प पारित किए जाने के पश्चात् राज्य सरकारों से इन दो प्रस्तावित सेवाओं के निर्माण के लिए योजना की मुख्य रूपरेखा के बारे में और मूल प्रारूप नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के सम्बन्ध में परामर्श किया गया था। चूंकि बहुत से राज्यों ने शिक्षा तथा कृषि के क्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का विरोध किया है, इसलिए सरकार ने सन 1968 में यह निर्णय किया था कि इस समय अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में संशोधन करके इन दोनों सेवाओं को इसके अन्तर्गत लाने की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

श्री अर्जुन सेठी : विवरण में उल्लेख किया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के सुझाव के बारे में सात राज्यों ने नकारात्मक उत्तर दिया है। उनके द्वारा नकारात्मक उत्तर दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैंने अपने उत्तर में विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं और इस मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। जहां तक इस समय भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का सम्बन्ध है, इन विभिन्न राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के प्रकाश में मामले पर अग्रतर कार्यवाही कर रहे हैं। स्थिति यह है कि कुछ राज्य तो ये सेवाएं आरम्भ करने के लिए सहमत हो गये थे, किन्तु बाद में उन्हों ने कहा कि वे इन अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल होने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि कुछ राज्यों ने पदोन्नति कोटे अथवा इन सेवाओं में शामिल किए जाने वाले ऐसे पदों और ऐसे ही प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई। अतः उन टिप्पणियों और आपत्तियों को दृष्टि में रखते हुए हम इस प्रश्न की पुनः जांच कर रहे हैं। हम विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और हम उन्हें इन सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी : क्या वह इन अखिल भारतीय सेवाओं को यथाशीघ्र आरम्भ करना चाहते हैं अथवा इस प्रस्ताव को यही समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : जैसा कि मैंने कहा, भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य तथा इंजीनियरिंग सेवाएं क्रियान्विती की बहुत अग्रिम स्थिति पर है। किन्तु कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां की है। कुछ राज्यों ने तदुपरान्त अपनी मूल सहमति वापस ले ली है। हमने मामले को समाप्त नहीं किया है। हम अब भी इस सम्बन्ध में राज्य-सरकारों को प्ररित कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : मैंने प्रधान मंत्री से प्रश्न पूछा है, और चूंकि अन्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं इसलिए मेरा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर में रूचि न होकर केवल प्रधान मंत्री में ही रुचि है।

श्री बी० वी० नायक : केन्द्र और राज्यों के आपसी सम्बन्धों को दृष्टि में रखते हुए क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सेवाओं अथवा अखिल भारतीय संवर्ग का गठन करने के लिए स्वत: ही कहेंगी और क्या केन्द्र राज्यों के हमारे सम्बन्धों में यह बात सहज ही अन्तर्गत नहीं है कि राज्यों के साथ इस प्रकार के विवाद अथवा विरोधी भाव चलते रहेंगे, यदि हां, तो केन्द्र क्या उपाय करने का प्रयास कर रहा है?

श्री राम निवास मिर्धा : ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारा विचार है कि केन्द्र और राज्यों के आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं।

टेलीफोन कालों की दर में वृद्धि

*157. **श्री के० बालतन्डायुतम :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन कालों की दरों में वद्धि करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग). नये उपलब्ध सिक्कों के वजन को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक टेलीफोनों (पी० सी० ओ०) की यांत्रिक आवश्यकताओं के अनुसार यह जरूरी हो गया कि पी० सी० ओ० से किए जाने वाले स्थानीय कालों का चार्ज बदल कर 20 पैसे से 30 पैसे कर दिया जाए।

श्री के० बालतन्डायतम : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वह नय सिक्कों क बजन के अनुसार मशीनों को ही क्यों नहीं बदलते ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : यह काम असफल सिद्ध होगा, क्यों कि यदि हमने अन्ततोगत्वा मशीनें बदलने का विचार किया भी, तो इस कार्य में बहुत समय लग जायगा और इस अवधि में लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हम सम्भवत: इन्हें एक या दो वर्षों तक बन्द रख कर फिर एकदम आरम्भ नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोगों पर कर लगाने का यह बहुत बड़ा कार्य है।

श्री के० बालतन्डायुतम : क्या आपने केवल सार्वजनिक टेलीफोनों की काल दो की दरें ही बढ़ाई हैं। या सब टलीफोनों की दरें बढ़ाई हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगूणा : केवल सार्वजनिक टेलीफोनों कालों की दरें बढ़ाई गई हैं। निजी प्रयोक्ता तो टेलीफोन का किराया और टेलीफोन काल शुल्क का भुगतान करते हैं। किन्तु सार्वजनिक टेलीफोनों के मामले में कोई किराया नहीं लिया जाता है। वस्तुत: दोनों की दरें लगभग समान हैं।

Shri Hukum Chand Kachwai : Is the hon. Minister aware of the fact that if a person makes a call from a private telephone at a place where P. C. O. is not available, the owner of that private telephone would charge 50 paise from him instead of 20 paise ? At some places, the private telephone owners have made it a business. May I know whether attention of the Government has been drawn to this evil and whether Government have received any complaint in this regard and if so, what action has been taken thereon ?

Shri H. N. Bahuguna : That is why more and more public call offices are being installed, so that people may not have to pay more than 30 paise per call.

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में नये उद्योगों की स्थापना

***158. श्री बी० एन० रेड्डी :**
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में आरम्भ किये गये नये उद्योगों की, राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनके नाम क्या हैं और उन्हें कहां-कहां स्थापित किया गया है ; और

(ग) बड़े उद्योग गृहों द्वारा आरम्भ किए गए उद्योगों की संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 1-1-1972 से 30-6-1972 की अवधि में स्थापित नए एककों की एक सूची जिसमें संगत ब्यौरा दिया गया है और जो तकनीकी विकास के महा निदेशालय के रिकार्ड में दर्ज है, संलग्न है।
[ग्रंथालय में रखा गया, दे खिये संख्या एल० टी० 3314/72]

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

मद्रास के सिम्पसन उद्योग समूह का बन्द होना

अ०सू०प्र० संख्या 1. : श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास सिम्पसन उद्योग समूह, जिसमें लगभग 16,000 मजदूर कार्य करते हैं, बहुत दिनों से बन्द पड़ा है;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरुप रक्षा उत्पादन तथा मोटार गाडियों से सम्बन्धित बहुत से कारखानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो सिम्पसन उद्योग समूह को पुन: चालू कराने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार के प्रबन्धक वर्ग को सलाह दी है कि उनको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको जल्दी से हल करने के लिए वह राज्य सरकार से सम्बन्ध स्थापित करें जिससे बन्द एकक बिना अधिक विलम्ब किए फिर से खुल सकें, भारत सरकार भी इस मामले में राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : यह कारखाना पिछले एक वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। क्या सरकार को मालूम है कि गड़बड़ का मूल कारण क्या है और कि जब तक उसका निराकरण नहीं किया जाता तब तक कारखाने को पुनः खोलना कठिन होगा। मूल कारण यह है कि एक नया मजदूर संघ बन गया है, जिसके नेताओं ने प्रबन्धकों के साथ मिल कर और राज्य सरकार की सहायता से एक करार थोंप दिया जिसका अधिकांश श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया। इस प्रकार अक्तूबर, 1971 में वहां गड़बड़ आरम्भ हुई तथा यह पिछले लगभग एक वर्ष से चल रही है ...

श्री सी० चित्तिबाबू : श्रीमन्, क्या वह वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : मुझे केन्द्रीय सरकार को जानकारी देनी है क्योंकि उसे स्थिति की जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के उसे कैसे मालूम हो सकता है ?

श्री सी० चित्तीबाबू : यदि वे अनभिज्ञ है तो उन्हों ने उत्तर कैसे दिया ?

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : क्या माननीय मंत्री को आशा है कि अब यह कारखाना पुनः खुल जाएगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सरकार को इस कम्पनी के इतिहास तथा इस औद्योगिक समूह में हो रही गड़बड़ का पता है। इसे पुनः खोलने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं तथा आशा है कि इन प्रयासों में सफलता मिलेगी। अन्यथा केन्द्रीय सरकारको इस पर विचार करना होगा कि यहां से क्या और कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : जो लोग राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को देखते रहे हैं उन्हें वह आशा नहीं है जिसको अभिव्यक्ति मंत्री महोदय ने की है। इस समय हो यह रहा है कि द्रमुक के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है ...

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : मैं पहले जानकारी दे दूं, फिर मंत्री महोदय से प्रश्न पुछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई जानकारी मत दीजिए। अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेंगे कि मजदूर संघ के सभी नेताओं को फैसला करने के लिए साथ मिलाया जाये ताकि उस फैसले से श्रमिकों में विश्वास की भावना पदा हो सकें और यदि हां, तो उस दिशा में केंद्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? यदि वैसा करना संभव नहीं है तो क्या सरकार उन कारखानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने पर विचार करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस समय बातचीत हो रही है और मुझे सूचना मिली है कि मुख्य मंत्री ने भी मजदूरों के नेताओं के साथ दो बार बातचीत की थी। हम आशा करें कि कोई फैसला हो जाएगा। यदि फैसले की कोई संभावना न रही तो निश्चय ही अन्य कदम उठाने पर विचार करना पड़ेगा और आवश्यक कदम उठाने में हम नहीं हिचकिचाएंगे।

श्री सी० चित्तिबाबू : मंत्री महोदय यह कैसे कह रहे है कि यह संभव नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि इससे पहले कि आप बोले, आप मे अनुमति ले लें ?

श्री सी० चित्तिबाबू : मंत्री महोदय यह कैसे कह रहे हैं कि फैसला करना संभव नहीं है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैंने यह कहा है कि यदि फैसला करना संभव न हुआ तो हम हस्तक्षेप करन पड़ेगा ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह प्रबन्धकों तथा राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या मंत्री महोदय का विश्वास है कि फैसला हो सकेगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस मामले के बारे में मैं अपनी राय बताना सही नहीं समझता क्योंकि प्रयास जारी हैं । मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे फैसले के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो । मैं चाहता हूँ कि फैसला हो । मैं ऐसी आशा करता हूँ ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह समूचे देश के लिये चिंता का विषय है । सिम्पसन समूह के कारखानों में काफी लम्बे समय से गड़बड़ चल रही है । पिछले एक महीने से 14,000 श्रमिक बेरोजगार हैं क्या यह सच है कि प्रबन्धक कारखाने में मजदूर संघ के 249 उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये आमादा है और वहां ताला-बन्दी की घोषणा करने का यही कारण है तथा इस मामले पर फैसला नहीं हो रहा है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : प्रबन्धक कुछ ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं जिन्होंने अनुशासन भंग किया और हिंसात्मक कार्यवाही की ओर यह एक ऐसी बात है जिस पर इस समय चर्चा है और इस मामले में कोई फैसला किया जाना है । स्वाभाविक ही है कि मजदूर संघ नेता यह नहीं चाहते कि इन 250 व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाये जिनके बारे में प्रबन्धक इस बात पर बल दे रहे हैं कि उन्हें कारखानों में प्रवेश न करने दिया जाये क्योंकि वे ऐसा सोचता है कि यदि ऐसा किया गया तो वे कारखाने नहीं चला सकेंग ।

श्री के० गोपाल : क्या सरकार को पता है कि सिम्पसन उद्योग समूह के काफी समय से बन्द पड़े रहने का एक कारण यह है कि श्रमिक कारखानों में काम करने के लिए जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करते क्योंकि वहां सुरक्षा के पर्याप्त साधन नहीं है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : वहां कानून और व्यवस्था भंग होने की कुछ घटनाएं हुई हैं । दो श्रमिकों की हत्या कर दी गई है । यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटना घटी । कानून और व्यवस्था के पुनः ठीक हो जाने से हम श्रमिकों के मस्तिष्क में विश्वास की भावना भर सकेंगे ।

Shri Hukum Chand Kachwai : When did the hon. Minister receive information to the effect that strike is going on there for the last one year and what initiative the Central Government have taken to resolve the disputes? It is true that the troubles which have started there are due to the mutual differences among the unions, one union wants to have its hold and the other its own. What steps the Central Government are going to take to see that these disputes are resolved and the persons who are reportedly proposed to be removed from service, do not meet this fate ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : ज्यों ही यह हड़ताल आरम्भ हुई, हमें उसका पता चल गया । जून में पता चला । जैसा कि मैं पहले कह चूका हूँ, हम मजदूरों के नेताओं, प्रबन्धकों और राज्य सरकार के साथ

सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैं राज्य सरकार को एक अवसर देना चाहता हूं कि वह इस मामले से निपटें और फैसला करें। यदि ऐसा संभव न हुआ तो हमें उस समय स्थिति पर विचार करना होगा।

Shri Shashi Bhushan : May I know whether the Government propose to take over this concern in case strike is not called off and the unstable D.M.K. Government fails to resolve this dispute ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्री के० बालतन्डायुतम् : क्या सरकार को पता है कि जब वार्तालाप जारी है, और प्रबन्धक वर्ग वास्तव में कारखानों को अन्यत्र ले जाने का प्रयास कर रहे है और मशीनों आदि का अन्य स्थानों में विस्तार करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ समय मिल जाय। क्या सरकार को इस बारे में पता है अथवा नहीं ? यदि हां, तो वह इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस मामले में यह सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय रहेगी और हर संभव कदम उठायेगी कि इसे स्थानान्तरित नहीं किया जाए। परन्तु फिर भी यदि कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं इसे एक नासमझी का कदम ही समझूंगा।

श्री के० लकप्पा : मद्रास में सिम्पसन उद्योग समूह में संकट वहां की राज्य सरकार की श्रमिक-विरोधी नीतियों का परिणाम है। फिर भी केन्द्रीय सरकार इस संकट का समाधान करने के लिये सच्चा प्रयास कर रही है परन्तु राज्य सरकार इसका हल नहीं होने दे रही है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य से आगे कार्यवाही करेगी कि सिम्पसन उद्योग समूह को अपने हाथ में ले लिया जाए और संकट को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य को पता है कि इस बात का डर है कि हम द्रमुक सरकार को गिराने की कोशिश कर रहें हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग यह समझे कि हम द्रमुक सरकार को गिराने के लिये इस अवसर का भी लाभ उठा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अगरतला आकाशवाणी केन्द्र पर त्रिपुरी कार्यक्रम

*145. **श्री दशरथ देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता केन्द्र की बजाय अगरतला के आकाशवाणी केन्द्र से त्रिपुरी भाषा कार्यक्रम आरम्भ करने की मांग करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसे कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार त्रिपुरी कार्यक्रम यूनिट को कलकत्ता से अगरतला ले जाने का पहले ही निर्णय कर चुकी है। ज्यों ही स्थान का प्रबन्ध हो जाएगा, यूनिट काम आरम्भ कर देगी।

Micro-wave station at Nainital

*149. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a Micro-wave Station is being set up at Nainital ;

(b) if so, the date by which it would be commissioned; and

(c) the expenditure likely to be incurred in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) December, 1972.

(c) About Rs. 27 lakhs for the Barreilly-Nainital-Pilibhat Microwave Scheme.

लघु किसान विकास एजसी/सीमान्त किसान कृषि श्रमिक के अन्तर्गत ग्राम्य शिल्पी विकास योजना संबंधी प्रतिवेदन

*150. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से, लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान कृषि श्रमिक के अधीन एक ग्राम्य शिल्पी विकास योजना चालू करने के सम्बन्ध में कोई परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वह प्रतिवेदन स्वीकृत कर लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय को केरल सरकार से स्माल फार्मस डेवलपमेंट एजेन्सी कार्यक्रम के अन्तर्गत दो ग्रामीण दस्तकार विकास योजनाएं प्राप्त हुई थी। ये योजनाएं कैनानूर और क्वीलोन के लिए थीं। सीमान्त कृषक खेतिहर मजदूर कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) क्वीलोन सम्बन्धी योजना स्वीकार कर ली गई है जब कि कैनानूर सम्बन्धी योजना केरल सरकार के पास पुनर्विचार (संशोधन) के लिए वापस भेजी गई है।

Treatment of persons punished in connection with Mopla riots as freedom fighters

*151. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Kerala Government have recommended to the Central Government to treat the persons punished in connection with Mopla riots as freedom fighters; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का भुगतान

*152. **डा० रानेन सेन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों में पुराने देश भक्तों को पेंशन देने का कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, उनका चयन किस आधार पर किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेन्शन की एक योजना स्वीकृत की है जो 15 अगस्त, 1972 से लागू होगी। लगभग 75,000 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं; और भी अभी आ रहे हैं। इन पर योजना के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जा रहा है जिसकी मुख्य-मुख्य बातें सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दी गई हैं। अब तक लगभग 2,500 मामलों में पेन्शन की स्वीकृति दी जा चुकी है। **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए/संख्य एल०टी० 3315/72]**

बायलरों और 'अनफायर्ड प्रेशर बैसल्स' संबंधी कानूनों के पुनर्विलोकन के लिए समिति

*153. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बायलरों और "अनफायर्ड प्रेशर बैसल्स" सम्बधी विद्यमान कानूनों के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए एक 12 सदस्यीय समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कृत्य क्या है ; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) जी, हां

(ख) समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार उससे बायलरों तथा अनफायर्ड प्रेशर बेसलों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों की विशद रूप से समीक्षा करने तथा सिफारिश करने के लिए कहा गया है जो सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिये गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3316/72]**

(ग) एक वर्ष में।

आकाशवाणी का श्रवण अनुसंधान एकक

*155. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आकाशवाणी के श्रवण अनुसंधान एकक ने विगत तीन वर्षों में कितने अध्ययन किए और

(ख) उक्त अध्ययनों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर विगत तीन वर्षों में विभाग ने क्या कार्यवाही की

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गजराल) : (क) आकाशवाणी के श्रवण अनुसंधान एकक द्वारा वर्ष 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान किए गये अध्ययनों की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3317/72]**

(ख) श्रवण अनुसंधान एकक द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष आकाशवाणी के केंद्रों को उपलब्ध किए जाते हैं ताकि वे अपने कार्यक्रमों की योजना बनाते समय उन निष्कर्षों को ध्यान रख सकें।

'टेल्को' का विस्तार

*156. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव का विस्तार करने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 3318/72**]

बड़े कारखानों और विदेशी कम्पनियों की क्षमता में विविधता

*159. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े कारखानों और विदेशी कम्पनियों में विविधीकरण पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध को हटाने का है ताकि वे अपनी क्षमता में 25 प्रतिशत तक विविधता ला सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

(ख) सरकार की नीति आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने तथा मध्यम और लघु श्रेणी के उद्यमियों को अवसर प्रदान करने की है।

विशेष रोजगार कार्यक्रम

*160. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने एक विशेष रोजगार कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम कितने राज्यों में लागू किया गया है ; और

(ग) इस योजना से कितने लोगों को लाभ पहुंचने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). भारत सरकार ने 1972-73 में राज्यों में ग्रामों तथा शहरों में रोजगार तलाश करने वालों के लाभ के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित करने के लिए क्रमशः 26.5 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये की व्यवस्था इस शर्त पर की थी कि राज्य सरकारें भी विशेष स्कीमों के लिए कम से कम बराबर मात्रा में वित्त की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समान संसाधनों को जुटायेंगी। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे योजना आयोग द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों के साथ-साथ बेरोजगारी से सम्बद्ध विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर गांव और शहर, दोनों में रोजगार तलाश करने वालों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम तैयार करें। अधिकांश राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्कीमों का विस्तृत ब्यौरा दिखलाने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3319/72**]

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया

1401. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, जादूगुडा के 29 जून, 1972 के प्रेस विज्ञापन, जो नई दिल्ली के इण्डियन एक्सप्रेस में 13 जुलाई, 1972 की पृष्ठ 2 पर प्रकाशित हुआ था, की ओर दिलाया गया है जिसमें इस कारपोरेशन ने रबड़ लाइनर 'बी' के रिक्त स्थान के लिए विज्ञापन

दिया था और प्रत्याशी के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण, 10 वर्ष का अनुभव तथा 25 वर्ष से कम आयु की योग्यता निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरेनियम कार्पोरेशन जैसे अन्य सरकारी उपक्रम 25 वर्ष से कम आयु के लोगों से 10 वर्ष के अनुभव की आशा करते है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे सार्वजनिक विज्ञापनों को बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क), (ख) तथा (ग) रबर लाइनर 'बी' के पद के लिए निर्धारित आयु 35 वर्ष है। तथापि, प्रेस विज्ञापन में असावधानीवश यह आयु 25 वर्ष दे दी गई थी। सही आयु बताते हुए इस पद का विज्ञापन पुनः देने के लिए कम्पनी द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है।

उत्पादकता मापन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1402. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा हालही में उद्योगो में उत्पादकता मापने और अथवा उत्पादकता निर्धारित करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए थे और उनके मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित लोगों को भेजे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ? और

(ग) क्या उनके मार्गदर्शी सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने उद्योगों में उत्पादकता मापने और/निर्धारण करने हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नही बनाए हैं परन्तु उत्पादन से होने वाले लाभ में हिस्सा लेने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की उद्भावना की है।

(ख) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा बनाए गए प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे दिये जाते हैं :

(1) उत्पादकता के लाभों में हिस्सेदारी को अधिकतर औद्योगिक सम्बन्धों के रूप में लेना चाहिए न कि लाभ वितरित करने का सांख्यिकीय तकनीक अथवा गणितीय सूत्र।

(2) उत्पादकता बढ़ाने के कार्य की जिम्मेदारी प्रथमतः प्रबन्धक वर्ग की है प्रबन्धकीय अधिकारियों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे श्रमिकों के दृष्टिकोण को मोडें तथा कार्य में उनका सहयोग प्राप्त करें।

(3) अपेक्षाकृत बहुत कम उद्यमों के पास पर्याप्त प्रोत्साहन योजना है ; इसलिए जहां भी संभव हो उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाने और इसके परिणाम की व्यवस्था करने के लिए सप्रभावी प्रोत्साहन योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की योजनाओं के लिए उत्पादन के प्रतिमान और अन्य सम्बन्धित मानक संसदीय विधान द्वारा लागू करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वैज्ञानिक उत्पादकता तकनीक के आधार पर उद्यम स्तर पर लागू किए जाने चाहिए और अन्ततः प्रबन्धक और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक समझौते के जरिए निर्धारित किए जाने चाहिए।

(4) इस प्रकार अपनाई गई प्रोत्साहन योजनाएं साधारण लेकिन समन्वित होनी चाहिए और इनमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी बरबादी कम करने के लिए भी प्रेरित करनेवाली होनी चाहिए।

(5) ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के प्रभावी सहयोग से विकसित की जानी चाहिए।

(6) अपने कामगारों का उचित वर्गीकरण करने हतु कार्य मूल्यांकन प्रणाली चालू करने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(7) उद्यमों को कामगारों के साथ उत्पादकता करार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के करारों में उपभोक्ता के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(8) अनुसंधानिक योजनाओं को व्यवहार में लाने के कारण उत्पादिता के लाभ, उत्पादिता करार, छीजन में कमी आदि को प्रबन्धकवर्ग तथा श्रमिकों के आपसी सहमति द्वारा बांट लिया जाना चाहिए । ऐसे उद्योगों में जहाँ दैनिक मजदूरी कम है, वहां कर्मचारियों को इन लाभों का अधिक भाग मिलना चाहिए ।

(9) प्रारम्भ में उत्पादिता के लाभ में भाग लेने की योजना को शुरू करना चाहिए और संगठित क्षेत्र के उद्योगों में परीक्षा करनी चाहिए ।

(ग) "गाइड लाइन्स एण्ड इल्स्ट्रेटिव मॉडल्स आन शेयरिंग दी गेम्स आफ प्रॉडक्टीविटी" प्रतिवेदन की प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं ।

तारापूर परमाणु उर्जा संयंत्र के बारबार बंद हो जाने के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच

1403. **श्री ई० बी० विश्वे पाटील:** क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचार में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यांत्रिक कुशलता तथा संयंत्र के बार बार बन्द हो जाने के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच कराना वांछनीय है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच समिति कब तक बनाई जाने की आशा है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

रीवां में ट्रंक टेलीफोन सेवा

1404. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न पश्चात् 7.30 बजे रीवां की ट्रंक टेलीफोन सेवा से लोगों तथा पत्रकारों को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) क्या अधिकांशत: शहर के डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन बाक्स से सतना, कटनी तथा अन्य स्थानों पर सट्टा लिखाने वालों से ट्रंक लाइन घण्टों व्यस्त रहती हैं और पत्रकारों तथा जन साधारण की आवश्यकताओं को रोक दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उपभोक्ताओं से इस तरह की कोई खास शिकायत नही मिली ?

(ख) जी नहीं । ट्रंक कालें बुक करने के समय और प्राथमिकता के क्रम से लगाई जाती हैं । इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि उपभोक्ता किस टेलीफोन नम्बर से या किस उद्देश्य से काल बुक करते है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cement Factory in Madhya Pradesh

1405. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of the proposed sites for setting up cement factories in Madhya Pradesh and whether project reports thereof have since been received ;

(b) the order of priority for undertaking the construction work of these factories and the criteria adopted for fixing the said priority; and

(c) the approximate time by which construction work of all these factories is likely to commence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) Feasibility reports for the setting up of cement factories at Neemuch and Akaltara in Madhya Pradesh, have been received from the Cement Corporation of India Ltd. for consideration of the Government. Feasibility reports in respect of Jagdalpur and Maihar in Madhya Pradesh are being compiled by the Corporation. The order of priority for undertaking the construction work at these projects has not yet been decided. The priority will depend on the following factors :

(1) Availability of funds ;

(2) Demand in that region; and

(3) Economic viability and the profitability.

Actual construction work on the Project will be taken after the Projects are sanctioned.

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी

1406. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलिफोन डायरेक्टरी बहुत पहले प्रकाशित हो जानी चाहिए थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 की डायरेक्टरी अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं की गई है; और

(ग) इसे कब तक प्रकाशित तथा परिचालित कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) इसमें विलम्ब का कारण यह है कि देश में कागज की अत्यंत कमी है, जिसकी वजह से मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री डायरेक्टरी के लिए छपाई का कागज़ सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(ग) आशा है कि डायरेक्टरी का अगला संस्करण नवम्बर, 1972 में निकाल दिया जाएगा ।

पांचवीं योजना के दौरान लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था

1408. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के इस आशय के विचारों की ओर दिलाया गया है कि पांचवी योजना तभी सफल हो सकती है जब वस्तुओं के अधिक उत्पादन तथा सेवाओं को तीव्र प्रोत्साहन दिया जाये क्योंकि इन्हीं से लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना बनाते समय इन विचारों को ध्यान में रखा जाएगा ; और

(ग) चौथी योजना की शेष अवधि में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से बनाई जाने वाली मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चौथी योजना और 1972-73 की वार्षिक योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की ओर कृपया ध्यान दें, जो कि पहले ही सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है ।

आसाम, मेघालय, नागालैण्ड, मनीपुर तथा त्रिपुरा से लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र

1409. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा तथा संघ राज्य-क्षेत्र मिजोराम और अरुणाचल से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उन फर्मों तथा व्यक्तियों के, राज्यवार, नाम क्या हैं जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ; और

(ग) राज्यवार, कितने आवेदकों के आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इन राज्यों से 1970 से 1972 (306.72) तक के कलेण्डर वर्षों में प्राप्त आवेदनों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3320/72]

(ख) जारी किए गए सभी लाइसेंसों/आशय-पत्रों का विस्तृत ब्यौरा दि वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रिअल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, दि वीकली इण्डियन ट्रेड जर्नल तथा मंथली जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती है ।

(ग) 1-7-72 को वर्ष 1967 से 1971 तक के राज्य वार तथा वर्षवार अनिर्णीत पड़े आवेदनों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3320/72]

पश्चिमी समुद्र तट से आसाम को नमक की ढुलाई के लिये सुविधाओं की मांग

1410. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी समुद्र तट से आसाम को नमक की ढुलाई के लिए पर्याप्त सुविधा देने की आसाम सरकार तथा नमक के व्यापारियों की ओर से निरन्तर मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पश्चिमी तट से आसाम को समुद्र एवं सड़क मार्ग से नमक लाने ले जाने की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं अर्थात पश्चिमी तट के बन्दरगाह से कलकत्ता तक जहाज द्वारा तथा उसके आगे आसाम तक रेल द्वारा लाने लेजाने का यह काम समूचे देश में नमक वितरण की क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर होता है। मालगाड़ी के डिब्बे उपलब्ध होने पर सामान्य यातायात के समान नमक प० तट से आसाम को केवल रेल मार्ग से भी भेजा जाता है। फिर भी, आसाम सरकार तथा व्यापारियों ने प० तट से आसाम को केवल रेल मार्ग से ही नमक ले जाने में अपना अधिमान दिखाया है व उस पर जोर डाला है । केवल रेल से ही माल ले जाने में उसकी इतनी दूर तक ढुलाई तथा प० तट के बन्दरगाहों से कलकत्ता को उसे वापस लाने की आवश्यकता को देखते हुए नमक को आसाम ले जाने के वर्तमान तरीके में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं हो सकता है ।

आसाम सरकार की सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

1411. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में आसाम राज्य में कुल कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे; और

(ख) आसाम सरकार ने कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को वर्ष 1972 में आसाम से वापस बुला लेने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 1 जनवरी, 1972 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के आसाम संवर्ग में, उस सेवा के 116 सदस्य थे।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो सदस्य, जो पहले भूतपूर्व आसाम संवर्ग से सम्बन्धित थे तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों के पुनर्गठन के परिणामस्वरुप संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित किए गए, आबंटन के बाद, वे आसाम राज्य के मामलों से सम्बद्ध कार्य करते रहे। आसाम सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि इन दो अधिकारियों की आसाम के बाहर नियुक्ति के लिए आदेश जारी करें और इस पर अब कार्रवाई की जा चुकी है।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग में काम कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1412. **श्री अम्बेश :** क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कितने-कितने स्थान हैं ;

(ख) इनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कितने-कितने हैं ; और

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के न मिल सकने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कितने पद सामान्य रिक्त स्थानों में परिवर्तित करने के लिए उनके पास भेजे गए ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्). (क) और (ख). जहां तक विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग का संबन्ध है, इसकी स्थिति को बताने वाला विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) कोई नहीं।

विवरण

प्रश्न	वर्ग एक		वर्ग दो		वर्ग तीन		वर्ग चार	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	9	6	33	29	50	41	35	15
विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति	18	12	25	16	18	11	8	3
राष्ट्रीय पर्यावरण, आयोजन एवं समन्वय समिति	21	8	1	1	1	1	1	..
योग .	48	26	59	46	69	53	44	18

प्रश्न	वर्ग एक		वर्ग दो		वर्ग तीन		वर्ग चार	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	..		1	..	1	..	2	
विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति	..		2	..	2			
राष्ट्रीय पर्यावरण, आयोजन एवं समन्वय समिति	..	..	..	..	..	..	..	..
योग	..	..	..	3	..	3	..	2

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वरिष्ठता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यरूप देने के लिये निर्देश

1413. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **प्रधान** मंत्री उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों में संशोधन के सम्बन्ध में 19 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यरूप देने के लिए सरकार ने दिनांक 22 जुलाई 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/3/72 इस्टेब्लिशमेंट (डी) द्वारा कोई निर्देश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जारी किये गए निर्देशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/3/72—स्थापना (घ) दिनांक 22 जुलाई 1972 की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3321/72]**

स्वतंत्रता की 25वीं जयन्ती के अवसर पर कैदियों की सजा में छूट

1414. **श्री हरि सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वतंत्रता की 25 वी जयन्ती के अवसर पर संघ राज्य क्षेत्र के कैदियों की सजा में छूट दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे कैदी जो उन आदेशों के परिणामस्वरुप रिहाई के पात्र है तथा आजीवन कारावास वाले कैदी, जिन्हों ने अर्जित छूट सहित कारावास के 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 15 अगस्त 1972 को रिहा कर दिए जाएंगे और यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे किन-किन कैदियों को रिहा करने का विचार है ; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). उन बन्दियों के नामों का एक विवरण संलग्न है जो 25 वीं स्वतन्त्रता जयन्ती के अवसर पर छुट प्रदान करने के बाद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जेलों से मुक्त किए जाने के पात्र हो जाएंगे और 15 अगस्त, 1972 को मुक्त कर दिए जाएंगे (अनुलग्नक 1) ।

आजीवन कारावास के उन बन्दियों के नामों का विवरण संलग्न है जो 25 वी स्वतन्त्रता जयन्ती के अवसर पर स्वीकृत की गई विशष छूट का हिसाब लगाने के बाद अपनी सजा पूरी कर लेते हैं (अनुलग्नक 11) । **[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3322/72]**

दिल्ली में लागू पंजाब जेल नियम-पुस्तिका में उपबन्दों के अनुसार इन बंदियो के मामले पुनरीक्षण मण्डल के समक्ष रखे जाऐंगे । समय-पूर्व मुक्ति के लिए उनके मामले उस मण्डल की सिफारिशों पर तय किये जायेंगे । इस लिए बन्दी ये 15 अगस्त, 1972 को मुक्त नही किए जायेंगे ।

Stamp Printing Press unearthed at Dehradun

1415. Shri Lambodar Baliyar : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a Printing Press engaged in printing counterfeit stamps has been unearthed in Dehradun;

(b) if so, the number of counterfeit stamps seized; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in regard to printing of such counterfeit stamps ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No printing Press engaged in printing counterfeit postage stamps has been unearthed at Dehradun.

(b) & (c). Do not arise.

आवास सम्बन्धी नीति के लिये समिति की स्थापना

1416. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आवास नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए छः सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या उसकी सिफारिशों को पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाएगा; और

(ग) उक्त समिति अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : **(क) से (ग)**. योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के सम्बन्ध में नगर विकास, आवास तथा जल-आपूर्ति पर एक संचालन दल का गठन किया है । यह संचालन दल साथ ही साथ आवास नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को बनाने के तरीकों के बारे में भी सुझाव देगा । इस दल की सिफारिशों पर, पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाते समय योजना आयोग द्वारा विचार किया जाएगा ।

Sale of Adivasi girls in Mosabani near Jamshedpur

1417. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether three gangsters belonging to an Inter-state gang indulged in the sale of Adivasi girls have been arrested in Mosabani near Jamshedpur; and

(b) if so, the broad facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). One Adivasi girl of a village in P. S. MUSABANI was kidnapped by three residents of MUSABANI. The three accused have been arrested and the girl has been recovered from District Ludhiana, Punjab. There is no information to indicate that the three accused belong to an inter-State gang. Further investigation in the case is in progress.

कम्प्युटरों का आयात

1418. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार कम्प्यूटरों के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या अब तक अमरीका और ब्रिटेन में बने हुए कम्प्यूटर ही भारत में काम आ रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार रूस से कम्प्यूटर आयात करने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उससे क्या लाभ होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). भारतमें प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर अधिकतर अमरीका तथा ब्रिटेन में बने हुए हैं, यद्यपि कुछ रूस तथा स्वदेशी निर्मित कम्प्यूटर भी काम में आ रहे हैं।

फिर भी, नीति के रूप में अब यह निश्चय किया गया है कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में ही कम्प्यूटर तथा पेरीफिरल्स का स्वदेशी उत्पादन का किया जाय। इस उद्देश्य के लिए, इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ऐसे कौनसे विशिष्ठ क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी सहयोग तथा/अथवा सहायता प्राप्त की जा सके और किस देश अथवा देशों से इसे अनुकूल शर्तों पर प्राप्त किया जा सके ।

रूस अथवा पूर्वी यूरोपीय देशों से कम्प्यूटर पेरीफिरल्स के निर्माण की स्थापना की जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्भावना का पता लगाने हेतु, कम्प्यूटर विशेषज्ञों का एक दल वर्तमान में इन देशों का दौरा कर रहा है ; अपनी तत्काल आवश्यकताओं तथा स्वदेशी उत्पादन की मात्रा के अन्तर की पूर्ति करने के लिए इस क्षेत्र से कम्प्यूटरों के आयात की संभावना का भी इस दल द्वारा पता लगाया जा रहा है। यदि सफल हुए, तो इससे रुपये की मुद्रा द्वारा, सोफिस्टीकेटिड मदों का आयात सम्भव हो सकेगा, इस प्रकार मुक्त तथा दुर्लभ मुद्रा की बचत सम्भव होगी। साथ ही साथ, इस क्षेत्र में संतुलित-व्यापार के लिए निर्यात की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा सकेगा ।

चीन से विद्रोही नागाओं की वापसी

1419. श्री विक्रम महाजन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिस्टर टी० एच० मोबा, जो "फेडरल गवर्नमेंट आफ नागालैण्ड" के चीन में राजदूत हैं, लगभग 70 नागाओं के साथ वापस नागालैण्ड आ गए हैं ;

(ख) क्या स्वचालित हथियारों से लैस 50 विद्रोही नागा तामेंगलाग क्षेत्र में दाखिल हुए थे और उनकी सुरक्षा सनाओं से मुठभेड़ भी हुई थी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) इस बात की रिपोर्ट है कि लगभग 50 सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने एक-एक दो-दो करके मणीपुर में प्रवेश किया और बाद में मणीपुर के तामेंगलांग क्षेत्र के रास्ते नागालैण्ड के कुकीजालियंग क्षेत्र की ओर गय। सुरक्षा बलों और लौटते हुए नागा विद्रोहियों के गिरोह के बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई।

(ग) नागालैण्ड तथा मणीपुर की सरकारें और सुरक्षा बल स्थिति के प्रति जागरूक हैं तथा कड़ी गश्त लगा रहे हैं और अत्यधिक निगरानी रख रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की विशेष योजना

1420. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 10 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है तथा केन्द्र से पूरा वित्तीय दायित्व वहन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) योजना आयोग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि देहात और शहरों में रोजगार ढूंढ़नेवालों के हित के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम तैयार करें जिसमें कि 2.18 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता शामिल है। राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिसमें कि 2.18 करोड़ रु० का परिव्यय और 20,272 लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना शामिल है।

योजना का नाम	लाख रु०
1. रोजगार केन्द्रों का विस्तार	5.25
2. पोषाहार कार्यक्रम का विस्तार और मूल्यांकन	1.
3. नागरिक सुरक्षा और राहत कार्य, जिसमें आपात कालीन राहत भी शामिल है।	22.42
4. निम्न आय वर्ग, उदाहरणार्थ 3600 रु० प्रतिवर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकीय केन्द्र	2.50
5. राज्य में व्यापक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक पाठशाला	1.50
6. स्वत: रोजगार प्रशिक्षण-तथा-उत्पादन केन्द्र जिसमें पोलिटेक्निक, वृक्ष रोपण कार्यक्रम, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाये तथा कुटीर और लघु उद्योग शामिल हैं	45.99
7. देहाती वातावरण, मछली पालन, जनजातीय कल्याण, ईंट की भट्टी इत्यादि में सुधार लाने के सम्बन्ध में विभागीय तौर पर किए गए कार्य	117.13
8. सड़क कार्यक्रम	7.00
9. वृक्ष रोपण, सड़क आदि सम्बन्धी अनुश्रवण, मूल्यांकन और सर्वेक्षण	14.35

योजना आयोग में इन प्रस्ताओं की जांच कर ली गई है और स्वीकृति दे दी है बशर्ते कि उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएं।

Role of Foreign Money in Indian Politics

1421. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether entry of foreign money and missionaries would be banned to save Indian politics from foreign interference ;

(b) whether N. C. Sargeant, a foreign missionary had made an appeal to vote for a particular political party in Mysore State in the Lok Sabha Elections held in 1971; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Legislative proposals are being finalised for the purpose of imposing suitable restrictions on the receipt of funds from foreign organisations, agencies or individuals otherwise than in the course of ordinary and *bona fide* transactions. A bill will be introduced in Parliament at an early date. There is no proposal to ban the entry of foreign missionaries into the country. A watch is, however, kept to ensure that no such missionaries indulge in any objectionable activities. A foreign missionary, while seeking entry into the country, is also required to give an undertaking to abstain from participation in political affairs.

(b) and (c) A report had appeared to this effect in the 'Deccan Herald' of the 3rd March, 1971. However, the Government of Mysore has no information of Rev. N. C. Sargeant having issued any such appeal. Rev. Sargeant has since left the country.

बन्द मिलों और कारखानों का अधिग्रहण

1422. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बन्द पड़ी मिलों और कारखानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं । सरकार को बन्द मिलों का अपने हाथ में लेने के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है । किन्तु कुछ शर्तें पुरी होने की स्थिति में सरकार ऐसे कारखाने के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का विचार कर सकती है जो कम से कम तीन महीने से बन्द हो । इन शर्तों का उल्लेख उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 18 एए(1) (6) में किया गया है ।

रोजगार के लिए प्राथमिकता प्राप्त योजनाएं

1423. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के युवकों को रोजगार तथा अन्य काम देने से सम्बन्धित सरकार द्वारा बनाई गई उच्च प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं की क्रियान्विति की गति नगण्य है ;

(ख) क्या उक्त कार्य के लिए सरकार द्वारा नियत राशि का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया ;

(ग) यदि हां, तो रोजगार देने के कार्य को धीमी गति से चलाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) क्या देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार अधिक से अधिक रोजगार देने वाली योजनाओं के लिए अधिक से अधिक धनराशि का नियतन कर रही हैं ; यदि हां, तो अब तक कितने धनराशि का नियतन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) से (घ) शिक्षित बेरोजगारों और ग्रामीण बेरोजगारों की योजनाओं में हुई प्रगति से सम्बन्धित स्थिति, जो यह बताती है कि इस स्कीम के लिए स्वीकृत राशि के उपयोग में कमी आने के क्या कारण हैं, तथा इस योजना को अधिक प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए किए जा रहे उपायों का वर्णन नीचे किया गया है :—

(क) **शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्कीम :**

ये 1971–72 में शुरू की गयी थीं और निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 12.5 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकार की गई थी :—

1. प्राथमिक शिक्षा के स्तर का विस्तार तथा सुधार ;
2. ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण ;
3. कृषि सेवा केन्द्र ;
4. उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विस्तार ;
5. उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता ;
6. पांचवी योजना में शुरू किये जाने वाले केन्द्रीय सेक्टर से सड़क निर्माण कार्यों का अग्रिम अन्वेषण ;
7. ग्रामीण जल-आपूर्ति के लिए नमूना-इकाइयों की स्थापना ।

स्कीमों के नये होने के कारण मंत्रालयों ने कार्यक्रम बनाने में कुछ समय लिया और इसी कारण स्वीकृति भी नवम्बर 1971 के बाद ही प्रदान की जा सकी । अन्ततः राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष के दौरान कुल 10 करोड़ रुपया दिया गया । क्योंकि ये स्कीमें तैयार की जा चुकी है और इन पर काम चल रहा है अतः ऐसी सम्भावना है कि इन स्कीमों को 1972–73 के दौरान पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा सकेगा ।

उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत मंजूर धन का उपयोग न होने के मुख्य कारण थे—निर्देश तैयार करने केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम तैयार करने में समय लग जाना, कर्मचारियों की नियुक्ति में तथा प्रशासनिक मशीनरी गठित करने आदि में समय लग जाना। प्रगति की मंत्रालयों तथा योजना आयोग द्वारा सतत समीक्षा की जा रही है और कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।

1972–73 में इंजीनियरों, शिल्प-वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिकों जैसे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण के अवसर सुलभ करने के लिए 20 करोड़ रुपये और निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत अनुसंधान तथा विकास प्रयासों में वृद्धि, एक राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण तथा प्रोद्योगिकी आधार के सुदृढ़ीकरण और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की वृद्धि से संबंधित स्कीमें सम्मिलित होंगी। 20 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमें विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की जा रही हैं ।

विभिन्न राज्य सरकारों को 26.5 करोड़ रुपये का आबंटन इस धारणा पर किया गया है कि विशेष रोजगार कार्यक्रम तैयार करने के लिए कम से कम इतने ही संसाधन वे भी जुटायेंगी । इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए संघ शासित क्षेत्रों में भी 50 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में अधिकांश राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और वे मंजूर किए जा चुके हैं ।

(ख) ग्रामीण रोजगार का त्वरित कार्यक्रम :

यह कार्यक्रम 1971–72 में 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले में 1000 लोगों को एक वर्ष में 10 महीने के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। क्यों कि 1971–72 में यह योजना पहली बार शुरू की गयी थी, अतः इस सम्बन्ध में कई प्रारम्भिक कार्यवाहियां करनी पड़ी जिनके परिणामस्वरूप अधिकांश क्षेत्रों में वास्तविक काम का समय छः महीने का रहा। इस वर्ष के दौरान 32 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। आशा है कि 1972–73 के दौरान पूरी धनराशि अर्थात् 50 करोड़ रुपये का उपयोग होगा।

परियोजना के कार्य संचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्यक्रम को कारगर रूप से लागू करने के लिए रुकावटें दूर करने तथा सरल और कारगर प्रक्रिया अपनाने से लिए कदम उठाए जा रह है।

(ग) सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम :

1970–71 के दौरान निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए ग्रामीण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। 54 सूखाग्रस्त जिलों में उत्पादनशील और श्रम प्रधान कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करना है। तीव्र दुर्लभता की स्थिति में कमी लाने की दृष्टि से कृषि उत्पादन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन करना भी इसका उद्देश्य है। चौथी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि यह योजना केवल 1970–71 में शुरू की गई थी, इसलिए केन्द्र और राज्यों में कई प्रारम्भिक कार्य हाथ में लेने पड़े जैसे मार्गदर्शी विवरण जारी करना, परियोजना तैयार करना और समुचित प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय प्रक्रियाएं आदि तैयार करना। इसका परिणाम यह हुआ कि 1970–71 के दौरान 45 जिलों के लिए 13.85 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय, में से राज्य सरकारों ने केवल 6.5 करोड़ रुपये खर्च किए। 1971–72 के दौरान इस कार्यक्रम में सुधार हुआ। दिसम्बर 1971 के अन्त तक लगभग 14 करोड़ रुपये के खर्च तथा अन्तिम तिमाही में 12 करोड़ रुपये के प्रत्याशित खर्च की रिपोर्ट राज्य सरकारों से मिली है। 1971–72 के दौरान कुल 26 करोड़ रुपय खर्च होने का अनुमान है। 1972–73 के लिए 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था कर दी गई है।

बंगला देश में बिहारी मुसलमानों का भारी संख्या में आगमन

1424. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री हरि सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से बिहारी मुसलमानों के भारत में आने के समाचार प्राप्त हुए है ; और

(ख) यदि हां तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) बंगला देश से ऐसे मुसलमानों का, जो बंगाली नहीं हैं, आगमन नहीं हुआ है तथा ऐसे व्यक्तियों का बिना वैध पारपत्रों के भारत में केवल छुट-पुट प्रवेश हुआ है।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशियों के लिए अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। सीमा में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

विशेष रोजगार योजनाएं

1425. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 के दौरान कुछ विशेष रोजगार योजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो, योजना की मुख्य बातें क्या है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) विशेष रोजगार योजनाओं के लिए 1972–73 में 60 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसमें से 13 करोड़ रुपये 1971–72 में प्रारम्भ की गई निम्नलिखित योजनाओं को जारी रखने के लिए होंगे :—

(1) उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता।

(2) ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण।

(3) कृषि-सेवा केन्द्र ।

(4) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विस्तार।

(5) सड़क परियोजना की जांच।

(6) ग्रामीण जल सम्भरण के लिए डिजाइन यूनिटों की स्थापना।

इसके अतिरिक्त 1972–73 में 30 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के लिए रखे गए हैं। 60 करोड़ रुपये की राशि में से 20 करोड़ रुपये इंजीनियरों, शिल्पविज्ञानियों तथा वैज्ञानिकों जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने तथा उन्हें प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए रखे गए हैं। इस वर्ग की स्कीमों में अनुसंधान तथा विकास प्रयासों में वृद्धि, राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रोद्योगिक आधार के सुदृढ़िकरण तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की वृद्धि से सम्बन्धित स्कीमें सम्मिलित होंगी। 20 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन स्कीमों का कार्यान्वियन किया जाना है उनको विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग तैयार कर रहा है।

विभिन्न राज्य सरकारों को 26.5 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह व्यवस्था यह मानकर की गई है कि विशेष रोजगार कार्यक्रम तयार करने के लिए राज्य सरकारें कम से कम इसी के बराबर अतिरिक्त संसाधन स्वयं जुटा लेंगी। संघ शासित क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में अधिकांश राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं और उनको स्वीकार भी कर लिया गया है।

प्रति परिवार एक सदस्य को रोजगार

1426. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है जिसके किसी भी सदस्य के पास रोजगार नहीं है ;

(ख) क्या देश में किन्हीं राज्य सरकारों के पास ऐसी योजनाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) भारत सरकार ने ऐसी कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है जिसके अनुसार उस परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने का सुनिश्चय किया गया हो जिसका कि कोई भी सदस्य रोजगार पर न हो। महाराष्ट्र सरकार जैसी कुछ राज्य सरकारें इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही हैं।

फिर भी, अप्रैल, 1971 से शुरू की गई ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना में, कम से कम 1000 व्यक्तियों को रोजगार देने की परिकल्पना की गई है। यह रोजगार एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए है और जहां तक सम्भव हुआ ऐसे रोजगार के लिए उन लोगों को चुना जाएगा जिनके परिवार में कोई अन्य वयस्क सदस्य रोजगार पर न हो।

1971–72 के दौरान ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना को दादरा और नगर हवेली को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू कर दिया था। 1971–72 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 34 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकारों को दी गई थी। राज्य सरकारों के वास्तविक खर्चे का अनुमान लगभग 32 करोड़ रुपये का है और तकरीबन 740 लाख श्रम दिनों का रोजगार उत्पन्न हुआ है। 1972–73 के लिये भारत सरकार ने 48.5 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों को आबंटित की है।

दिल्ली में ट्रक के टायरों की चोर बाजारी

1427. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टायर्स डीलर्स एसोसिएशन, दिल्ली को आबंटित ट्रक के टायरों के कुल कोटे में से 50 प्रतिशत टायरों को काले बाजार में बेच दिया जाता है और नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन को आबंटित दिल्ली के कोटे में से केवल 50 प्रतिशत कोटे का ही उचित वितरण किया जाता है ; और

(ख) क्या टायर्स डीलर्स एसोसिएशन द्वारा टायरों को काले बाजार में बेचने की आम शिकायत को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार उनका कोटा रद्द करने और उसे वितरण हेतु नागरिक पूर्ति विभाग को आबंटित करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 12 जुलाई, 1972 तक दिल्ली में आटोमोबाईल टायरों की आपूर्ति का 50 प्रतिशत नियन्त्रित वितरण किया जा रहा था। 12-7-1972 से 9-00-20, 10-00-20 और 7-25-20 साइज के सभी रेयन टायरों तथा 11-00-20 और 8-25-20 साइज के अतिरिक्त सभी प्रकार और सभी साइजों के नाइलोन टायरों का वितरण नियन्त्रित कर दिया गया है तथा उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार दिल्ली सिविल सप्लाई प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए परमिट पर उपलब्ध होगा।

"कार्य के लिए गारन्टी" योजना

1428. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव किया है कि अखिल भारतीय पैमाने पर वर्तमान "द्रुत कार्यक्रम" की बजाय "कार्य के लिए गारंटी" योजना चालू की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और प्रस्तावित योजना के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Explosion in Central Mines Research Station, Dhanbad, Bihar

1429. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the building of the Central Mines Research Station, Dhanbad, Bihar was destroyed recently as a result of an explosion ;

(b) if so, the reasons of the explosion and the persons held responsible therefor ;

(c) the total loss suffered as a result thereof; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The Magazine Building of the Central Mining Research Station (C.M.R.S.), Dhanbad was destroyed as a result of an explosion occurred in the night of 12th June, 1972.

(b) The matter is under investigation of the Chief Inspector of Explosives, Nagpur. The investigation report is awaited.

(c) The estimated value of the Magazine building which was constructed in 1959-60 as per specifications of the Department of Explosives, Government of India, was Rs. 3,900/- and that of permitted explosives and detonators destroyed was Rs. 4,000/-.

(d) Further action in the matter will be taken on receipt of the investigation report from the Chief Inspector of Explosives, Nagpur.

Shortage of Cement in Bihar

1430. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether cement is in short supply in Bihar and because of that great difficulties are being faced in the construction of so many Government and private buildings in Bihar ;

(b) if so, whether the Bihar Government have sent any intimation, request or report to the Central Government in this regard ;

(c) whether shortage of cement in Bihar is due to short supply of wagons or indifference on the part of the Centre; and

(d) if the shortage is due to both these factors, the steps Government have taken to remove the shortage of cement in Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) Yes, Sir. Due to lack of sufficient communication facilities normally north Bihar does not receive adequate supplies. One of the main contributing factors is the absence of adequate rail links over the river Ganges connecting the north with the south Bihar. The closure of the Japla Cement Factory and pick up in the demand further aggravated the supply position. Supplies are being maintained at the previous year's level except to north Bihar Districts. In spite of these difficulties all demands from Government agencies for important construction work are being met.

(c) The shortage was mainly due to the short supply of railway wagons and the closure of the Japla Cement Factory and power cuts. The higher demand for cement by the river valley projects also contributed to the general scarecity.

(d) Suitable steps are being taken to augment supplies to these regions. These includes creation of cement dumps and terminal stations for rail-*cum*-road movements at Barauni, Patna and Varanasi, to facilitate road movements from these stations to north Bihar. The Government of Bihar have also promulgated a Cement Control Order in July 1972, by which the State Government now controls both appointment of stockists and their sales. As a result of the efforts made by the Central and State Government, the Japla Cement Factory has re-started production from the 5th July, 1972. To overcome movement difficulties the State Government has permitted higher retail prices for cement transported by road. It is expected that these measures will improve the supply position.

उन औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्थानों को लाइसेंस तथा परमिट देना जिन में श्री आर० पी० गोयनका तथा उनके परिवार के सदस्य भागीदार हैं

1431. श्री महादीपक सिंह शाक्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उन औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं को कितने तथा किस प्रकार के लाइसेंस और परिमट दिए गए हैं जिनमें कलकत्ता के उद्योगपति श्री आर० पी० गोयनका तथा उनके परिवार के सदस्य भागीदार हैं ; और

(ख) ये किन शर्तों पर दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) : औद्योगिक विकास मंत्रालय का सम्बन्ध उद्योग विकास (तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना है, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुमति पत्र जारी नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंस गोयनका समूह नामक औद्योगिक गृह से संबन्धित अथवा नियन्त्रित कम्पनियों को दिये गये हैं।

	नये उपक्रम/ नई वस्तुएं	भौतिक विस्तार	कार्य जारी रखना	योग
1969 . . .	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं	2
1970 . . .	कुछ नहीं	1	कुछ नहीं	1
1971 . . .	कुछ नहीं	1	2	3
1972 . . . (30-6-72 तक)	कुछ नहीं	..	..	..
योग .	कुछ नहीं	4	2	6

सभी लाइसेंस उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अनुरूप इस प्रकार के लाइसेंसों के लिए सामान्य शर्तों के साथ जारी किए गए हैं। सभी लाइसेंसों का विवरण, उत्पादन की वस्तु और लाइसेंस प्राप्त क्षमता समय-समय पर वीकली बूलटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, वीकली इण्डियन ट्रेड जरनल तथा मन्थली जरनल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित की जाती है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय को प्रेषित की जाती हैं।

Increase in Prices of Salt

1432. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the prices of salt in the country have registered cent per cent increase;

(b) the prices of the salt in various States during last three months; and

(c) the reasons for the increase and the steps taken by Government to check the increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (c) No reports of abnormal increase in prices have been received.

(b) Information is being collected and will be placed on the table of the House.

कम्पनियों द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति क्षमता से अधिक उत्पादन करना

1433. **श्री ज्योतिर्मय बसू :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी भारतीय और विदेशी कम्पनियों के अलग-अलग नाम क्या हैं जिन पर गत तीन वर्षों में अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक क्षमता पर गैर-कानूनी रूप से माल उत्पादित करने के आरोप लगाये गये ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाए गए थे ; और

(ग) सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) किसी भी औद्योगिक उपक्रम पर विगत तीन वर्षों में अवैधानिक रुप से अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक माल का उत्पादन करने के लिए न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया गया है। अभियोग के प्रश्न के प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के संदर्भ में परिवीक्षा की जाएगी।

उत्पादकता आन्दोलन

1434. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादकता आन्दोलन को अधिक सफलता नहीं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादकता आंदोलन के अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) उत्पादकता आंदोलन ने आर्थिक क्रिया कलाप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने में सफलता प्राप्त की हैं। इससे सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों से "उत्पादकता सेवाओं" की मांग में वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् अपने विशेषज्ञों की संख्या में प्रतिवर्ष 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि कर रही है।

1958-71 के बीच राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न तकनीकी प्रबन्धक विषयों में लगभग 3,500 प्रशिक्षण कार्यक्रम और ट्रेड यूनियन के अधिकारियों और कामगारों के लिए 252 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 63,000 से अधिक प्रबन्धक कार्मिकों और 4,500 से अधिक ट्रेड यूनियन अधिकारियों और कामगारों को प्रशिक्षित किया हैं। रा० उ० प० ने अपनी परामर्शदात्री सेवा के द्वारा 800 से अधिक संस्थाओं की उनके उत्पादकता के स्तर में सुधार करने में सहायता की हैं इसने औद्योगिक उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 10 से अधिक अध्ययन दलों/अनुसंधान परियोजनाओं का संयोजन किया है। रा० उ० प० ने विदेशों में प्रशिक्षण हेतु लगभग 700 प्रबन्धकों/तकनीशियनों को भी प्रायोजित किया है और 69 अध्ययन दलों को विदेश भेजा, है जिनमें 500 से अधिक तकनीशियनों और ट्रेड यूनियन के अधिकारियों ने भाग लिया।

देश के अन्दर के कार्यकलापों के अलावा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने 1970-71 में काहिरा में एक वर्ष का औद्योगिक इंजीनियरी पाठ्यक्रम चलाया और अरब संघ के देशों के 30 इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया। एशियन उत्पादकता परिषद कोलम्बो प्लान प्राधिकारियों और भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग के सहयोग से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है और अपनी क्षेत्रीय सेवाओं को अन्तराष्ट्रीय रूप से लोक प्रिय बनाया है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने उत्पादकता के लाभों की भागीदारी पर "मॉडल" और मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रकाशित किये हैं जो अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक एककों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इनके अलावा, देश में उत्पादकता के लिए नया वातावरण पैदा करने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने नई दिल्ली में मार्च में उत्पादकता पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी भी आयोजित की है।

ग्रामीण एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए राज्यों को सहायता

1435. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित बेरोजगारों तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना तथा गैर-योजना निधियों के आबंटन और उपयोग सम्बन्धी राज्यवार नवीनतम आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) नियत की गई निधियों का निर्धारित अवधि में उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3323/72]

आर्थिक मंत्रालयों का पुनर्गठन

1436. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मंत्रालयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

President's assent to Tata Zamindari Abolition Bill passed by Bihar Vidhan Sabha

1437. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Tata Zamindari Abolition Bill was passed unanimously by the Bihar Vidhan Sabha in its last budget session; and

(b) if so, whether the said Bill is awaiting assent of the President ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The Bihar Land Reforms (Amendment) Bill, 1972, as passed by the State Legislature, nas been received for obtaining the assent of tne President. Receipt of authenticated copies of the Bill is awaited.

Application from Bihar Agro-Industries Corporation for Manufacture of Tractors

1438. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Bihar State Agro-Industries Development Corporation has submitted any application to the Central Government for licence for setting up a tractor factory in Bihar in collaboration with a Japanese firm; and

(b) if so, the decision of Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) In April 1971 the Bihar State Agro-Industries Development Corporation had subm itted an application for licence for the manufacture of tractors

with foreign collaboration. In October 1971, the Corporation informed Government that they were negotiating collaboration terms with M/s. Kubota Ltd. of Japan. Recently, however, the Corporation has given up the proposal for foreign collaboration and instead decided to take up an indigenously available model for manufacture. This proposal is under consideration.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees working in Government offices

1439* **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Hari Singh :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Class I, II, III and IV employees working in Government offices at present and the number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them; and

(b) the extent to which their proportion is likely to be increased within one year after the 15th August, 1972 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) A statement showing the available information as on 1st January, 1971 is annexed.

(b) Reservations have been provided as a proportion of the vacancies arising from time to time and not in relation to the total strength of any cadre or service. There has however been a steady increase in the proportion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the total number of employees during the past years. The actual increase in the proportion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the total number of employees in future years would depend upon several factors such as the growth in the over-all employment under Government and the availability of suitable candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to fill the vacancies particularly those reserved for them in various categories of posts. From 1964 onwards, candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being recruited against all the vacancies reserved for them not only in I. A. S. and I. P. S. but also in Class I and II Central Services to which recruitment is made on the basis of I. A. S. etc. Examination. It cannot, however, be stated as to exactly how much increase would be achieved in the proportion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to total number of employees within the next one year.

STATEMENT

Statement showing the total number of Government employees and the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst them as on 1st January, 1971 in services under the Government of India

Class	Total number of employees	Number of Scheduled Castes	Number of Scheduled Tribes
I	27,169	706	113
II	43,056	1,775	189
III	12,88,023	1,27,257	22,995
IV (excluding sweepers)	10,54,900	1,90,850	41,488

N. B. : Information in respect of civilian staff in the lower formations under the Ministry of Defence as on 1st January 1971 is not yet available. However, the information in respect of such staff as on 1st January, 1970 is as follows :—

I	1,213	22	2
II	1,040	16	3
III	1,03,950	10,818	643
IV (excluding sweepers)	1,47,306	29,643	2,566

ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की समस्याओं से निपटने संबंधी प्रस्ताव

1441. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय ग्रीष्म ऋतु में राष्ट्रीय स्तर पर आग लगने सम्बन्धी समस्याओं से निपटने के लिये किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस ग्रीष्म ऋतु में कुछ राज्यों में आग लगने की अभूतपूर्व घटनाएं हुई थीं ?

गृह मंत्रालय म उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) जी हां, श्रीमान् । अग्निशमन सेवा को उन्नत बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) मार्च से जून, 1972 तक की अवधि में आग से बहुत हानि होने की कुछ राज्य ने रिपोर्ट की है ।

कोटा स्थित आणविक विद्युत संयंत्र के पहले एकक का परीक्षण

1442. **श्री के० लकप्पा :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा स्थित रावत भाटा आणविक विद्युत संयंत्र के पहले एकक को परीक्षण के लिए शीघ्र चालू कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या कनाडा के सहयोगियों ने संयंत्र के परीक्षण की मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संयंत्र पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हाँ ।

(ग) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट की कुल अनुमानित लागत 60.40 करोड़ रुपये है ।

Persons who do not belong to any religion

1444. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons in the country who do not profess any religion as per recent Census records ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : According to the data published in Census of India, 1971 Series 1—India, Paper 2 of 1972 —Religion, the number of persons who have been shown under the category "Religion not stated" is 36,083 (19,366 Males and 16,717 Females)

अन्दमान के प्लाई वुड निर्माता संघ की ओर से ज्ञापन

1445. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोर्ट ब्लेयर स्थित अन्दमान के प्लाईवुड निर्माता संघ की ओर से 31 मई 1972 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित प्रमुख मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) संक्षेप में उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) उद्योग को दी जाने वाली इमारती लकड़ी के मूल्य में कमी।

(2) इच्छुक उद्यमियों के लिए पानी व बिजली की पर्याप्त सुविधाओं के साथ विकसित भूमि की व्यवस्था करना।

(3) विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता।

(4) आर्थिक सहायता तथा उत्पादन शुल्क से छूट।

(5) उचित दरों पर विद्युत शक्ति का सम्भरण।

(6) जहाजरानी के भाड़े की दरों में रियायत।

(7) कम से कम 15 वर्षों के लिए स्वीकृत मूल्य पर इमारती लकड़ी के सम्भरण का आश्वासन।

(ग) संघ ने पहले भी कुछ सुविधाओं की मांग की थी और उनकी कुछ मांगों को पूरा करने के लिए कार्यवाही की गई थी जैसे बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले डीज़ल तेल के बिक्री मूल्य को कम करना। इमारती लकड़ी तथा इमारती लकड़ी से बनी वस्तुओं को परिवहन के भाड़े की दरों में हुई वृद्धि से छूट देने का प्रश्न भी विचाराधीन है। संघ की अन्य मांगों का परीक्षण किया जा रहा है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार कार्यक्रम

1446. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार कार्यक्रमों के लिए और मूल आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए 10,500 से 11,500 करोड़ रुपये खर्च करने की सरकार की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पांचवीं योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण में मुख्य बल बेरोजगारी, अर्ध रोजगारी तथा अत्यधिक गरीबी की समस्याओं पर सीधा प्रहार करने पर होगा। इस प्रहार के अनिवार्य पहलू ये होंगे—आवश्यकतानुसार पर्याप्त तथा विस्तृत स्तर पर रोजगार अवसरों की व्यवस्था करना तथा इस प्रयास को तकनीकी व प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव करना। विकास की रोजगार-प्रधान मदों में ये सम्मिलित होंगी :—

(1) लघु सिंचाई

(2) भूमि संरक्षण

(3) क्षेत्र विकास

(4) दुग्ध उद्योग तथा पशुपालन

(5) वन

(6) मीनक्षेत्र

(7) भण्डारण तथा विपणन

(8) कृषि उद्योगों सहित लघु उद्योग

(9) सड़कें

(10) विशेष कार्यक्रम जैसे एस० एफ० डी० ए०, एम० एफ० ए० एल०, सी० एस० आर० ई० तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रम।

विकास की इन मदों के लिए केन्द्र तथा राज्यों (संस्थागत वित्त सहित) के चौथी योजना के दौरान परिव्यय की राशि लगभग 3600-3900 करोड़ रुपये बैठती है। योजना के अन्तिम वर्ष इन रोजगार प्रधान कार्यक्रमों के लिए की गई व्यय-व्यवस्था की राशि लगभग 1075 करोड़ रुपये होगी। पांचवीं योजना के दौरान इन रोजगार प्रधान कार्यक्रमों पर तथा निर्माण, सड़क परिवहन, प्रोसेसिंग तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों पर होने वाले निवेश में काफी वृद्धि की जायेगी।

इनके अतिरिक्त आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित कार्यक्रमों से शिक्षकों डाक्टरों, पार्श्व चिकित्सा कर्मचारियों, इंजीनियरों, पशुचिकित्सकों, कृषि-विज्ञानियों तथा अन्य शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यक्रमों से भी शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है।

आशा है कि पांचवी योजना में अधिकाधिक रोजगार की व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रमों में एक राष्ट्रीय योजना के बनने से और वृद्धि हो जायेगी। यह राष्ट्रीय योजना 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा, परिवार नियोजन तथा बच्चों के पोषण सम्बन्धी सुविधाओं सहित न्यूनतम जन-स्वास्थ्य सुविधाओं, ग्रामीण जलसम्भरण, भूमिहीन मजदूरों के लिए वास भूमि, ग्रामीण सड़कों, ग्राम बिजली करण तथा बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों की सफाई जैसी कुछ मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में सामाजिक उपभोग की व्यवस्था के लिए बनाई जायेगी। न्यूनतम आवश्यकताओं सम्बन्धी कार्यक्रम को जिसके लिए पांचवीं योजना में लगभग 3000 रुपय से 3500 रुपये तक की व्यय-व्यवस्था होने का अनुमान है। समाज के सभी वर्गों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध होना होगा। पांचवी योजना में रोजगार प्रधान कार्यक्रमों के लिए विकास परिव्यय चौथी योजना के परिव्यय की तुलना में दूना होने की आशा है अथवा लगभग 7200 से 7800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की आशा है। अत: इस समय दोनों प्रकार के कार्यक्रमों पर पांचवीं योजना अवधि में 10,500 से 11,500 करोड़ रुपयों तक की व्यवस्था होने का अनुमान है।

ये अनन्तिम अनुमान हैं और विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाना है। एक समेकित रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस समय कई प्रयोग किए जा रहे हैं। मई, 1973 तक इसके तैयार हो जाने की आशा है जब इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट चित्र उपलब्ध हो सकेगा।

महुआदार में आदिवासीयों की जनसंख्या

1447. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महुआदार (बिहार) में आदिवासियों की जनसंख्या निरन्तर घटती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) 5 वर्ष पहले आदिवासी क्षेत्रों में अन्य समुदायों की जनसंख्या क्या थी और इस समय उनकी जनसंख्या का अनुपात क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मौहसिन) : (क) जनगणना में आदिवासियों के लिए कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किये जाते हैं, किन्तु इसमें सभी अनुसूचित आदिम जातिया आ जाती हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार महुआदार विकास खण्ड की अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या 32,906 है। सन 1961 में इसी क्षेत्र में उनकी जनसंख्या 27,096 थी। इस प्रकार 1961-71 दशक में 5,810 की अथवा 21.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनगणना हर दस वर्ष में की जाती है। उपरोक्त (क) में उल्लिखित क्षेत्र में अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों की कुल जनसंख्या 1961 में 5,293 और 1971 में 7,662 थी। 1971 में कुल जनसंख्या में उनका अनुपात 18.89 प्रतिशत था।

त्रिपुरा में सरकारी सेवाओं में जनजातियों की भर्ती

1448. **श्री दशरथ देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने त्रिपुरा सरकार को इस आशय के निर्देश दिये हैं कि वह त्रिपुरा में सरकारी सेवा में जनजातियों के अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद जैसे विभिन्न जातीय संगठनों को जानकारी देती रहे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के ऐसे निर्देशों का त्रिपुरा सरकार नियमित रूप से पालन कर रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान्। संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 के अधीन राज्य सरकारों के अन्तर्गत सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षणों का विषय तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। चूंकि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई अनुदेश जारी नहीं किये जा सकते। तथापि, केन्द्रीय सरकार तथा संघ शासित राज्य क्षेत्रों के अधीन आने वाले कार्यालयों में लागू अनुदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां, जिनके हेतु रोजगार कार्यालयों के आधार पर इन सम्प्रदायों के अभ्यर्थी प्राप्त नहीं हो पाते, उन्हें भर्ती प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए इस उद्देश्य के हेतु, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ध्यान में लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में विलम्ब

1449. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): प्रशासनिक कारणों से यद्यपि हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन में कुछ विलम्ब हो गया है, पर अब समिति के पुनर्गठन का कार्य अपने अंतिम चरण में है।

उद्यमकर्ताओं को समूची जानकारी देने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा परामर्शदात्री पूल की स्थापना

1450. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रक्रियाओं तथा तकनीकों से लाभ उठाने हेतु उद्यमकर्ताओं को समूची जानकारी देने के लिये एक परामर्शदात्री पूल स्थापित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पूल का गठन तथा कृत्य क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा निकाली गई विधियों/उत्पादों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने हाल में ही विशिष्ट क्षेत्रों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में परामर्शदात्री दल स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है। ये क्षेत्र हैं : (क) रासायनिक इंजीनियरी ; (ख) यांत्रिकी इंजीनियरी; और (ग) नागरिक इंजीनियरी। आशा है कि इन दलों का कार्य वैज्ञानिक तथा

औद्योगिक अनुसंधान परिषद्/एन० आर० डी० सी० को (1) प्रयोगशाला स्तर के परिणामों को प्रारंभिक संयंत्र पर लेने के लिये मूल्यांकन करने, और (2) उद्योगों को देने से पूर्व प्रक्रिया/उत्पाद का मूल्यांकन करने से सम्बन्धित मसलों पर सलाह देना होगा। सी० एस० आई० आर०/एन० आर० डी० सी० के लिये य दल आंतरिक हैं। ये आवश्यक होने पर विशेष रूप से उस समय जब कि उद्योगियों को समूची जानकारी प्रदान करनी हो, अन्य परामर्शदात्री फर्मों से भी सहायता लेंगे।

पश्चिम बंगाल फिल्म उद्योग को वित्तीय सहायता

1451. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल में फिल्म उद्योग की सहायता करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ वित्तीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि स्वीकार की गई है ; और

(ग) क्या उक्त राज्य सरकार ने और अधिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की समस्याओं का पता लगाने के लिए गड़बड़ी खत्म करने वाल दल

1452. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री हरी किशोर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रमों के समक्ष समस्याओं का पता लगाने के लिये गड़बड़ी खत्म करने सम्बन्धी दल बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दलों में उनके मंत्रालय अन्य मंत्रालयों तथा स्वयं सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) देश में मध्य सरकारी उपक्रमों के कार्यों में सुधार करने के लिए एक कार्य समिति योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। संबंधित मंत्रालयों और स्वयं उपक्रमों के अधिकारी इस समिति के कार्य से संबंधित हैं। इस समिति द्वारा की गई समीक्षा के फलस्वरूप कार्य संचालन की विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए जब कभी आवश्यक हुआ तो उपयुक्त ग्रुपों का गठन किया जायेगा।

शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास

1453. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांति पूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास सम्बन्धी कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कुछ देशों ने इस सम्बन्ध में सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अपेक्षित सूचना परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों में उपलब्ध है, जिनकी प्रतियां माननीय सदस्य को प्रसारित की जाती हैं तथा संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) तथा (ग). परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने जिन देशों के साथ द्विपक्षी करार किये हुए हैं उनके नाम हैं :—अफगानिस्तान, बेल्जियम, ब्राजील, कानाडा, चैकोस्लोवाकिया, डैनमार्क, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, हंगरी, फिलीपाइंस, रूमानिया, संयुक्त अरब गणराज्य, संयुक्त राज्य अमरीका एवम् सोवियत संघ ।

शांति भंग करने का प्रयत्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध सतर्कता बर्तने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई हिदायतें

1454. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने समस्त देश में प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि वे शांति भंग करने वाले देश के और विदेशी तत्वों पर लगातार निगाह रखें ;

(ख) क्या जिला प्राधिकारियों को भी हिदायतें दी गई हैं कि साम्प्रदायिक दंगों की आशंका होते ही अथवा समाज के कमजोर वर्ग के विरुद्ध दमन की किसी कार्यवाही को देखते ही वे कठोर कार्यवाही करें; और

(ग) क्या राज्य सरकारें इन हिदायतों के अनुसार कार्य कर रही हैं और क्या इन हिदायतों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह मंत्रालय विधि और व्यवस्था से संबंधित मामलों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पूरी तरह सम्पर्क बनाये रखता है । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी सचेत किया जाता है कि वे आवश्यकता पड़ने पर सावधान रहें और साम्प्रदायिक शांति को भंग करने वाले संभव प्रयत्नों के प्रति सतर्क रहें ।

(ख) और (ग). 14 जलाई, 1971 को लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 1114 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकारों को भेजे गये पत्र में गृह मंत्रालय ने उस नीति को स्पष्ट किया है जो साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिये बल प्रयोग के बारे में अनुसरण में लानी चाहिये । उसमें साम्प्रदायिक दंगो और अन्य विधि और व्यवस्था की स्थितियों के स्वरूप और परिणामों के बीच आवश्यक भेद पर बल दिया गया था । इसका संकेत किया गया था कि साधारणत: विधि तथा व्यवस्था से निपटने के वक्त बल प्रयोग का सही तरीका यही है कि जब इसका आश्रय लेना अनिवार्य हो जाय तो साम्प्रदायिक हिंसा को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले संकेत पर ही बल के कारगर प्रयोग में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए । यह पाया गया है कि साम्प्रदायिक दंगो को यदि प्रारम्भ में ही दृढ़ता से नहीं दबाया गया तो वह शीघ्रता से बढ़ते हैं जिससे निर्दोष लोगों के जीवन व सम्पत्ति की बड़ी हानि होती है । सभी राज्य सरकारो ने संभवता साम्प्रदायिक हिंसा में परिणत होने वाली स्थिति तथा अन्य स्थितियों के मूल अन्तर को समझा है । समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों की ओर सरकार की नीति के सम्बन्ध में लोक सभा में दिए गये तारांकित प्रश्न सं० 58 दिनांक 2 अगस्त, 1972 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है । इन उत्तरों में राज्य सरकार को भेज गये पत्र-व्यवहार का सारांश समाहित है तथा ऐसे पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपियां, जो राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार का विषय रहा है, सभा पटल पर रखना प्रचलित नहीं है ।

Political murders committed in States

1455. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of political murders committed during the last three years State-wise ; and

(b) the steps taken to check the recurrence of such incidents in future and the results achieved therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) As regards the number of political murders committed during the years 1969 and 1970, attention is invited to the answer given to unstarred question No. 101 dated the 31st March 1971. Information received from State Governments for the year 1971 and the first half of 1972 is furnished in the statement attached.

(b) Immediate, prompt and thorough investigation is undertaken in respect of all specific cases. Since the increase in the number of political murders had been largely due to a very unsatisfactory law and order situation in the States concerned, they had been assured of all reasonable assistance from the Central Government for restoring normal conditions. The improvement in the overall law and order situation in West Bengal has been accompanied by a sharp decrease in the number of political murders.

STATEMENT

Name of State/Union Territory	No. of murders	
	1971	1-1-72 to 30-6-72
Andhra Pradesh	16	17
West Bengal	1,169	85
Maharashtra	3	..
Goa, Daman & Diu	..	1
Gujarat	Nil	Nil
Haryana		
Himachal Pradesh		
Madhya Pradesh		
Manipur		
Mysore		
Nagaland		
Punjab		
Tripura		
Andaman & Nicobar Islands		
Arunachal Pradesh		
Chandigarh		
Dadra & Nagar Haveli		
Delhi		
Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands		
Pondicherry		

Information from the remaining State Governments/Union Territory Administrations is awaited.

Damages asked of I. T. I. for supply of defective crossbar exchange equipment

1456. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether defective crossbar exchange equipment was supplied by the Indian Telephone Industries, Bangalore ;

(b) whether damages have been claimed from the Company in this regard ; and

(c) if so, the reaction of the Company thereto ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Telephone Exchanges installed with crossbar type equipment supplied by M/s. Indian Telephone Industries, Bangalore are in service though their performance has not been quite satisfactory due to some deficiencies attributable to the faults in technology imported by the collaborators.

(b) and (c). M/s. I. T. I. was addressed to supply free of cost the materials required for and bear the expenses of rectifying the deficiencies noticed in the crossbar equipments supplied by them. They have denied the liability as the equipment was manufactured according to the know-how obtained from M/s. B. T. M. under a tripartite agreement between the Government of India, M/s. I. T. I. and M/s. B.T.M.

खेती के ढांचे में परिवर्तन लाने में भूमि सुधार कार्यक्रमों की असफलता

1457. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बताया है कि भूमि सुधार कार्यक्रम खेती के ढांचे में अपेक्षित परिवर्तन लाने में असफल रहे हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा सुधरी हुई कृषि प्रतिक्रियाओं के विस्तार कार्य में उन्होंने अनेक बाधाएं भी डाली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा तैयार किए गए 'स्थिति पत्र' (पौजिशन पेपर) में उल्लिखित अन्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख). योजना आयोग ने हाल में भूमि सुधार समस्या के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं किया है । बहरहाल, योजना आयोग के संबंधित प्रभाग ने 'स्थिति प्रलेख' नामक एक कार्यपत्र तैयार किया है जिसमें देश में भुमि सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई है । इस 'स्थिति प्रलेख' में उल्लिखित मुख्य बातें संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात् मध्यस्थ भू-पट्टेदारियों को समाप्त करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी गई । इस संबंध में जो कानून बने हैं लगभग सभी राज्यों में उनका व्यवहारतः कार्यान्वयन हो चुका है । केवल कुछ ही छोटी-मोटी मध्यस्थ पट्टेदारियां समाप्त करनी बाकी हैं और इन्हें भी समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं । जोतदार काश्तकारों द्वारा दिए जाने वाले लगान के संबंध में सभी राज्यों में कानून बन चुके हैं । केवल पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में पंचवर्षीय योजनाओं में सुझाये गए स्तरों तक अधिकतम लगान दरें निश्चित कर दी गई हैं । कई राज्यों में काश्तकार के लिए पट्टे की सुरक्षा की व्यवस्था हेतु भी कानून बनाए जा चुके हैं । वर्तमान कानून के अन्तर्गत बिहार, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, पंजाब तथा हरियाणा में काश्तकारों और विशेषकर बटाईदारों की स्थिति अब भी असुरक्षित है । कई राज्यों में काश्तकारों द्वारा भू-स्वामित्व के अधिकार हासिल करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं । इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा तमिलनाडु में आवश्यक कानून बनाना अभी बाकी है । हरियाणा और पंजाब के पूर्व पंजाब क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में कानून बनाए जा चुके हैं । पूर्व पंजाब क्षेत्रों में राज्य सरकार

को यह अधिकार पहले ही प्राप्त है कि वह भू-स्वामियों की एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि पर काश्तकारों को बसा सकती है। परन्तु अधिक सीमा बन्दी, कानून से अधिक छूट मिलने, जाली हस्तान्तरणों तथा विभाजनों और खराब कार्यान्वयन के कारण इसके परिणाम बहुत अधिक नहीं रहे हैं। अब तक केवल लगभग 10 लाख हैक्टर भूमि ही अतिरिक्त घोषित की जा सकी है। अधिकतम सीमा, आवेदनपत्रों की यूनिट, छूटों आदि के संबंध में विभिन्न राज्यों में काफी अन्तर हैं। जहां तक चकबन्दी का प्रश्न है 196: तक लगभग 340 लाख हैक्टर भूमि में चकबन्दी हुई। इस संबंध में भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार से प्रगति हुई है। हरियाणा और पंजाब में यह काम पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में अच्छी प्रगति हुई है तथा महाराष्ट्र में भी कुछ प्रगति हुई है। अन्य राज्यों में इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई।

यह प्रलेख वास्तव में योजना आयोग में विचार-विमर्श करने के लिए तैयार किया गया था। इस अनिवार्यतः भूमि सुधारों संबंधी योजना आयोग के विचार सन्निहित नहीं हैं।

इलैक्ट्रानिक्स कमीशन द्वारा टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु विदेशी सहयोग न लिया जाना

1458. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमीशन ने टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये इलैक्ट्रानिक्स विदेशी सहयोग लेने इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). जी हां, चार निर्माणकर्ताओं ने, दो संगठित क्षेत्र में तथा दो सहकारी क्षेत्र में, सीरी पिलानी द्वारा विकसित स्वदेशी जानकारी पर आधारित टी० वी० सैटों के निर्माण की स्थापना देश में कर ली है। अच्छी कोटि के लगभग 30,000 टी० वी० सैटों का उत्पादन पहिले ही किया जा चुका है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, पूर्ण रूप से सरकार के अधीन, इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, तथा रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत पूर्ण रूप से सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान एयेरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ने भारतीय डिजाइनों के टी० वी० सैटों का विकास स्वयं किया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इलैक्ट्रानिक्स सिस्टमस डिविजन ने इसी प्रकार प्रबल डिजाइन के ठोस टी० वी० सैटों का विकास साइट परीक्षण के साथ साथ कृत्रिम उपग्रह से सीधे अभिग्रहण के लिये किया है।

अनेक दूसरी संस्थाओं, उपक्रमों तथा व्यक्तियों ने भी टी० वी० सैटों के स्वदेशी डिजाइनों का विकास किया है।

जब से देश में टी० वी० सैटों के निर्माण करने की स्वदेशी तकनोलाजी पूरी तरह से स्थापित हो गई है, और अच्छी कोटि के टी० वी० सैटों का निर्माण किया जा रहा है, भारत में टी० वी० सैटों के निर्माण के लिये किसी भी विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है।

बकरी और भेड़ की रद्द की गयी खालों से चमड़े की वस्तुएं बनाने का नया तरीका

1459. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास ने भेड़-बकरियों की रद्द की गयी खालोंसे आकर्षक चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुयें बनाने का एक नया तरीका निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :(क) और(ख). केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी० एल० आर० आई०) , मद्रास ने घटिया किस्म की खाल का उपयोग करने के लिये दो विधियां विकसित की हैं : इनमें से एक 'टाई एण्ड डाई' अथवा दूसरे रुप में 'बन्धनी' नामक विधि है। जिसके द्वारा फैशन की सुन्दर वस्तुयें, जैसे हाथ के थैले, पाउच, कपड़े और चप्पलें आदि बनाने के लिये चमड़े को बहुरंगी प्रभाव प्रदान किया जाता है ।

दूसरी विधि द्वारा घटिया किस्म के अवशिष्ट चमड़े पर स्क्रीन और ठप्पे से छपाई की जाती है। यह विधि चमड़े के अवगुणों को ही केवल समाप्त नहीं करती, बल्कि उसको देखने में आकर्षक भी बनाती है ।

इन दोनों विधियों से लघु स्तर और बड़े स्तर के क्षेत्रों में चमड़ों का उत्पादन किया जा सकता है

कलकत्ता में बढ़िया चमड़े से बनने वाली वस्तुओं के उद्योग मे संकट

1460. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बढ़िया चमड़ा से बनने वाली वस्तुओं के उद्योग में संकट पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कलकत्ता के फैन्सी चमड़े के सामान बनाने वाले उद्योग मद्रास से होने वाले ई० आई० टैन्ड लेदर भेड़ और बकरी के चमड़े की आपूर्ति पर निर्भर है। पिछले महीनों में निर्यात्त में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप कलकत्ता को होने वाली इन चमड़ों की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है। इस कमी के परिणाम स्वरूप कलकत्ता में इस प्रकार के चमड़ों की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा इसका इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

नौकरियों के लिए द्रुत योजना के प्रति राज्यों द्वारा कम उत्साह दिखाना

1461. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वित्त वर्ष में नौकरियों के लिए द्रुत योजना के प्रति राज्यों का उत्साह कम पाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) योजना आयोग ने उक्त योजना की तुरन्त क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). ग्रामीण रोज़गार के लिए वित्त द्रुत (कैश) स्कीम 1971-72 में एक योजना–केन्द्रीय सैक्टर स्कीम के रूप में 50 करोड़ रुपये के परिव्यय से आरम्भ की गई थी। 1972-73 में यह एक योजनागत स्कीम के रूप में चालू है। स्कीम में यह अपेक्षा की गई है कि अनिवार्यत: श्रमोन्मुख परियोजनाओं को शुरू करने से उनके माध्यम से रोज़गार सीध उत्पन्न होगा। इस स्कीम के दो कार्य हैं। प्रथम तो यह कि प्रत्येक परियोजना एक जिले में एक वर्ष के 10 महीने के काम के सत्र में 1000 व्यक्तियों को लगातार रोज़गार उपलब्ध कराये। दूसरे, स्थानीय विकास योजना के साथ ताल-मेल रखते हुए प्रत्येक परियोजना काम या स्थाई प्रकार की परिसम्पत्तियां सुलभ कराये।

1971-72 के दौरान 34 करोड़ रुपये की राशि दी गयी। वास्तविक व्यय 32 करोड़ रुपये होने की संभावना है तथा श्रम-दिनों (मैनडेज़) के रूप में 740 लाख श्रम-दिनों के लिए रोज़गार उपलब्ध होगा।

परियोजनाओं के कार्य चालन से प्राप्त हुआ अनुभव के आधार पर 1972-73 में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। ये धन को एक जिले से दूसरे ऐसे जिले में भेजना जिसमें ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हों; राज्य सरकारों को अधिक अधिकार प्रदत्त करना ताकि वे विशिष्ट प्रकार की स्कीमों को बगैर केन्द्रीय सरकार को भेजे ही स्वीकार कर सकें, आदि से संबंधित हैं। प्रारंभ में केवल उन्हीं परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति दी गयी थी जो कृषि के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ातीं। हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि ऐसी परियोजनाओं को भी शुरू किया जाये जो जिले का विकास करती हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय भवनों में क्लास-कक्षों का निर्माण, समाज के कमजोर और दरिद्र वर्ग के लिए भवन निर्माण, ग्रामों में गोदामों का निर्माण, आदि। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई भी परियोजना जो श्रमोन्मुख हो तथा जिले के विकास के लिए उपयोगी हो उसको प्रारम्भ किया जा सकता है।

1972-73 के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए 48.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है प्रथम तिमाही की धनराशि, जो लगभग 12 करोड़ रुपये होती है, दी जा चुकी है।

इस प्रकार, परियोजनाओं के कार्य चालन से प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर गतिरोधों को दूर करने और कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को प्रवाहमय बनाने के लिए लगातार पग उठाए जा रहे हैं। ऐसी आशा है कि राज्यों द्वारा वर्तमान वर्ष में रोज़गारों के द्रुत कार्यक्रम के लिये आबंटित धनराशि का उपयोग पूरा-पूरा और उचित रूप से कर लिया जायेगा।

संचार सेवाओं का विस्तार करने में राज्य सरकारों का असहयोग

1462. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संचार सेवाओं के विस्तार करने के कार्य में राज्य सरकारें सहयोग नहीं दे रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा मे भीमकुंड तथा रेनगली बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को योजना आयोग की स्वीकृति

1463. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा की भीमकुण्ड तथा रेनगाली बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के प्रथम चरण के कार्य के लिए स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। रेनगाली बांध परियोजना रिपोर्ट केवल जुलाई के अन्त में ही प्राप्त हुई है और भीमकुण्ड परियोजना रिपोर्ट अभी राज्य सरकार से प्राप्त होनी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दृश्य प्रचार सलाहकार दल द्वारा दी गई सहायता

1464. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृश्य प्रचार सलाहकार दल ने जून, 1970 में अपने पुनर्गठन के पश्चात् साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक हिंसा के विरुद्ध थोड़ी अवधि के तथा लम्बी अवधि के प्रचारों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार को किस प्रकार की सलाह तथा सहायता दी है; और

(ख) जून, 1970 के पश्चात् सरकार ने इस संबंध में थोड़ी अवधि के तथा लम्बी अवधि के कितनी संख्या में प्रचार कार्यक्रम किये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). दृश्य अभियान सलाहकार दल जिसको मूलत: जून, 1970 में स्थापित किया गया था, को दिसम्बर, 1971 में पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित दल की पहली बैठक मई, 1972 में हुई थी जिसमें उसने कुछ सुझावों पर कार्रवाई करने के बारे में विचार किया था।

पुनर्गठित दल के कहने पर अभी तक कोई अभियान नहीं चलाया गया है।

राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलौर

1465. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला के अधीन भौतिक विज्ञान प्रभाग को भौतिक अनुसंधान केन्द्र बना दिया जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसे एक प्रथम एकक बनाया जायेगा, जिसका अलग निदेशक होगा; और

(ग) इसके विस्तार के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला का एक अंग होगा।

(ग) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलौर के लिये चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों में पहले ही भौतिक अनुसंधान केन्द्र चलाने से सम्बन्धित आवश्यकताओं को योजना के एक भाग के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। पांचवीं योजना अवधि की वित्तीय कठिनाइयों को राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला की कार्यकारी परिषद् के समक्ष यथासमय प्रस्तुत किया जायेगा।

अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र

1466. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन मंत्री श्री के० के० शाह ने घोषणा की थी कि अहमदाबाद में एक टेलीविजन केन्द्र खोला जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) श्री के० के० शाह की घोषणा की तिथि एवं स्थान के अभाव में यह जांच करना संभव नहीं है कि उन्होंने ठीक-ठीक क्या कहा था और किस सन्दर्भ में कहा था ।

(ख) देश में टेलीविजन के विकास का काम अगले दस या पन्द्रह वर्षों के दौरान एक क्रमबद्ध का क्रम के आधार पर किया जाएगा । अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के बारे में इस क्रमबद्ध कार्यक्रम के अंग के रूप में विचार किया जाएगा ।

गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापनार्थ केन्द्रीय सहायता

1467. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों को इन औद्योगिक परियोजनाओं की रूप रेखा क्या है जिनके लिये केन्द्रीय सहायता दी जा रही है और उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ये उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) अपना उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात् इन उद्योगों की रोजगार क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). चौथी योजना के अधीन राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन इकट्ठे ऋण और अनुदान के रूप में किया जा रहा है न कि राज्य योजनाओं के अधीन विशिष्ट योजना/कार्यक्रमों के लिए । जहां तक 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजना, 1971 का संबंध है, गुजरात का पंचमहल जिला इस सहायता के लिये पात्र है, और यह समझा जाता है कि राज्य सरकार ने इस जिले में स्थित 12 एककों के लिये कुल 21,556 रु० की इस सहायता से सम्बन्धित राशि को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है । रोजगार के अवसर की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सीमा सुरक्षा दल द्वारा बंगला देश से चोरी छिपे आये हथियार का पकड़ा जाना

1468. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री पी० के० देव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल ने हाल में बंगला देश में चोरी छिपे आये बड़ी मात्रा में हथियार पकडे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये तस्करों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सीमा सुरक्षा दल ने पश्चिम बंगाल असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाओं पर कुछ हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटक पकड़े हैं ।

(ख) पांच भारतीय तथा आठ बंगला देश के नागरिकों को हथियारों की तस्करी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है। सम्बन्धित राज्य अधिकारियों द्वारा कानून के उपबन्धों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

भारत के पूर्वी भाग में एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी की गतिविधियां

1469. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1972 के नवभारत टाइम्स के बंबई संस्करण में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के पूर्वी भाग में एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी वर्षों से सक्रिय रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख). सरकार इस समाचार से परिचित है जिसके केन्द्रीय गृह सचिव को एक भेंट पर आधारित होने का आभास मिलता है। किन्तु यह समाचार सही नहीं है। 24 जून, 1972 को कलकत्ता में गृह सचिव से प्रेस प्रतिनिधियों ने वार्तालाप के दौरान नागा तथा मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में प्रश्न पूछा था। गृह सचिव ने इन तत्वों को सन् 1950 के उपरान्त पाकिस्तान से मिली सहायता तथा समर्थन का उल्लेख किया। तब सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में एक खास प्रश्न पूछा गया था। गृह सचिव ने कहा कि विश्व के विभिन्न देशों में सी० आई० ए० के सक्रिय होने का ज्ञान है तथा सरकार देश में ऐसी आसूचना एजेन्सियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में सतर्क है।

(ग) सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों पर सरकार निरन्तर नज़र रखती है। इसके महत्व को समझा जायगा कि सरकार को उपलब्ध सूचना प्रकट करना अथवा सरकार उनकी गतिविधियों का प्रतिकार कैसे करती है इसका ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

औद्योगिक गृहों द्वारा उत्पादन क्षमता में वृध्दि करने की मांग

1470. श्री पम्पन गौडा :
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारतापूर्ण नई नीति के फलस्वरूप कितने औद्योगिक गृहों ने सरकार से अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उसका औद्योगिक उत्पादन पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पैंतालीस।

(ख) उपयुक्त 45 औद्योगिक गृहों सहित कुल 600 आवेदन पत्र विद्यमान क्षमता को पूर्ण रुपेण प्रयोग करने के लिये प्राप्त हुए हैं। इनमें से 100 आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया है जिसमें से 43 स्वीकृत हुए हैं और 57 आवेदन पत्र रद्द किये गये हैं। कुछ समय पश्चात् जबकि पार्टियां स्वीकृति के अनुरुप आवश्यक कार्यवाही कर लेगी। तब ही दी गई स्वीकृति के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि लक्षित होगी।

अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों में दंगे

1471. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों में हाल ही में दंगे हुये हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस से जान माल की क्षति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी राष्ट्रजन

1472. **श्री पम्पन गौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार विभिन्न देशों के उन राष्ट्रजनों की संख्या कितनी है जो परिपत्र नियमों का उल्लंघन यहां पर कर रहे हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Licences for Setting up of Companies in M. P.

1473. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of persons to whom licences have been granted for setting up new companies in Madhya Pradesh during 1971-72;

(b) whether Government have also given financial assistance to these companies and

(c) if so, the amount of assistance provided ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Details of all licences/letters of intent issued, are regularly published in 'the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences' the weekly 'Indian Trade Journal' and the monthly 'Journal of Industry and Trade' Copies of these publications are supplied to Parliament Library.

(b) and (c). Government of India does not directly give any financial assistance to industrial concerns.

Rural Industrial Project in the Districts of M. P.

1474. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of Districts in Madhya Pradesh covered under the rural industrial project programme ;

(b) the progress made for the completion of various works initiated under the said programme in each of the said Districts; and

(c) whether any proposal to cover the remaining Districts under the said programme during the current year is also under consideration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Centrally sponsored Rural Industries Projects Programme was initiated in 1962-63. Madhya Pradesh was allotted three Rural Industries Projects namely, Bhind in Bhind District, Sarguja in Ambikapur District and East Nimar in East Nimar District. One more project in Bhillai in Durg District was set up in 1964-65. Upto March, 1971, these projects covered 3 C. D. Blocks in Bhind District ; 4 C. D. Blocks in Ambikapur District, 6. C. D. Blocks in East Nimar District and 4 C. D. Blocks in Durg District. However, from 1st April, 1971, the area of operation of these Rural Industries Projects have been extended to the entire districts, excluding towns above 15,000 population. These projects will continue to receive 100% central assistance upto the end of the Fourth Five Year Plan.

For the Fifth Five Year Plan, five new Rural Industries Projects have been approved. Of these 4 Districts of Damoh, Senoi, Chattarpur and Jhabua have been selected while the proposal for the Fifth Project has not yet been received from the State Government. Preliminary work in these new projects such as appointment and training of staff in the projects and detailed techno-economic surveys for preparing a detailed development programme has been taken in hand. It is expected to be completed by the end of the Fourth Five Year Plan period so that the implementation of the programme starts right from the beginning of the Fifth Plan. These new projects will continue to receive 100% Central assistance upto the end of the Fifth Plan.

(b) The programme in the existing four projects includes provision of training facilities, setting up of common facility centres, drawing up of commercial schemes, providing technical guidance, making available extension services and advance of loans to industrial units for investment. Central assistance amounting Rs. 95.98 lakhs was provided to the Madhya Pradesh Government comprising Rs. 34.41 lakhs as grant and Rs. 61.57 lakhs as loan during the period 1962-71 for the industrial development programme of the 4 existing projects. The detailed physical achievements upto March, 1971 in these projects are given below :—

(i) *Bhillai Rural Industries Project :* The project was started in 1965. During the period 1965-71 a total expenditure of Rs. 12.64 lakhs was incurred on various schemes. By March 1971, 380 industrial units of which 130 were new, were assisted by the project providing employment opportunities to 1800 persons.

(ii) *Bhind Rural Industries Project :* During the period 1962-71, a total expenditure of Rs. 21.20 lakhs was incurred on various schemes. By March, 1971, 770 industrial units of which 518 were new, were assisted by the project providing employment to about 1633 persons. The industrial units set up include industries like carpet and newar making, carpentry, blacksmithy, etc. The units had made an investment of Rs. 20.23 lakhs during 1970-71. The gross value of production from the various industrial units which reached production stage is reported to be Rs. 24.25 lakhs during 1969-70. The Project organised training centres in dyeing and printing, rope making etc.

(iii) *East Nimar Rural Industries Project :* During the period 1963-71, a total expenditure of Rs. 19.60 lakhs was incurred on various schemes. By March, 1971, 524 in industrial units, of which 193 were new, have been assisted financially or otherwise by this project, generating employment to 1482 persons. The units assisted include those engaged in gas welding, petromax repairs barbed wire, bucket, rolling shutters, agricultural implements etc. These units made an investment of Rs. 14.07 lakhs in 1970-71. The gross value of production of the various units is reported to be Rs. 26.00 lakhs during 1970-71.

(iv) *Sarguja Rural Industries Project :* During the period 1962-71, a total expenditure of Rs. 15.15 lakhs was incurred. By March, 1971, 841 industrial units have been assisted financially or otherwise. Of these 515 were new, providing employment to 2500 persons. Development in this project centred round traditional industries. Attempts have, however, been made to set up rice and flour mills, ready-made garments, powerlooms etc. By March, 1971, 668 artisans were trained in these centres. Of these 463 trainees were settled in the trade.

(c) The Government of India have decided to cover the entire country with this programme in the next 20 to 25 years. Some new proects will be taken up in each successive Five Year Plan period till all the districts of Madhya Pradesh are covered. The backward districts of the State will first be taken up for inclusion under the programme. Except for 5 new projects for the fifth Five Year Plan, no other proposal for taking up more projects is under consideration of Government for the present.

मैसूर में मध्यम श्रेणी के उद्योग

1476. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) मैसूर राज्य में मध्यम श्रेणी के उद्योगों की संख्या कितनी है, वे कहां कहां पर स्थित हैं तथा उनमें किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है ;

(ख) इन उद्योगों पर कुल कितनी धन-राशि लगी हुई है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री. सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मध्यम श्रेणी उद्योगों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते है। इसके अलावा बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों का अलग से कोई वर्गीकरण नहीं है ।

टेलीविजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को आमन्त्रण

1477. **श्री लालजी भाई :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के टेलीविज़न केन्द्र पर विभिन्न सामयिक मामलों संबंधी कार्यक्रमों के लिए विभिन्न व्यक्तियों को आमंत्रित करने संबंधी मापदण्ड क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : सामान्यतया अपनाए जानेवाले मापदण्ड है विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति में प्रवाह तथा टेलीविजन योग्य व्यक्तित्व ।

25th Independence Anniversary Programmes over A. I. R. and T. V.

1478. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the types of special programmes to be relayed by All India Radio and Television of the occasion of the 25th Anniversary of the Independence and the duration of these programmes along with their dates ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : AIR programmes on the 25th Anniversary of Indian independence are being planned for the entire year beginning August 1972 and will include talks, discussions, features, music etc. covering themes related to some important dates and occasions of the freedom struggle.

Some of the highlights of the programmes planned for the month of August are indicated in the attached statement. [*Placed in Library, see* No. L. T. 3324/72].

मोटर गाड़ियां उठाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा अधिकृत गैर-सरकारी कम्पनी

1479. **श्री लालजी भाई :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने किसी गैर-सरकारी कम्पनी को इस बात का अधिकार दिया है कि वह उन सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों को उनके मालिकों को कोई सूचना दिये बिना उठाकर ले जाए जिन्होंने गाड़ी खड़ी करने के नियमों का उल्लंघन किया है ;

(ख) क्या यातायात पुलिस द्वारा नियमित चालान किये जाने के अतिरिक्त यह गैर-सरकारी कम्पनी हल्की मोटरगाड़ियों से 40 रुपया तथा भारी मोटर गाड़ियों से 80 रुपये वसूल करती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) इस प्रकार के अधिकार किसी गैर-सरकारी कम्पनी को नहीं है। किन्तु जब उनको ब्रेक-डाउन वैन सरलता से उपलब्ध नहीं होते हैं तो दिल्ली पुलिस गैर-सरकारी कम्पनियों से ब्रेक-डाउन वैनों की सेवाएं प्राप्त करती हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) दिल्ली मोटर वाहन नियमों के नियम 6 के उपनियम (3) के साथ पठित नियम 6 के उप नियम (1) की धारा (क) तथा (ख) के अधीन यह आरोप लगाया जाता है जो इस प्रकार है :—

यदि किसी मोटर वाहन को बाकायदा ठहराने के निर्धारित स्थान से किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार ठहराया जाता है जिससे दूसरे यातायात में बाधा अथवा किसी व्यक्ति के लिए खतरे का कारण बने तो कोई भी पुलिस अधिकारी :—

(क) अपने स्वयं के अधिकार से उस वाहन को तुरन्त उस स्थान से हटा सकता है अथवा अन्यथा समीप के स्थान जहां वह अनावश्यक बाधा अथवा खतरे का कारण न बने ठहरा सकता है।

(ख) जब तक उसे किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जाता, जहां उससे बाधा या खतरा न हो, सभी ऐसे यथोचित पूर्वोपाय कर सकता है, जिससे यह पता लगे कि वहां पर वाहन विद्यमान है।

(ग) .....

2. .....

3. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 81 अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा बाकायदा नित्य वाहन ठहराव स्थानों से सम्बन्धित उपबन्धों के उल्लंघन के लिए जो दोष सिद्ध होने पर किसी व्यक्ति पर कोई भी अर्थ दण्ड अथवा दण्ड किया जायेगा उसके बावजूद किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उपनियम (1) तथा (2) के अनुसार वाहन को अन्यत्र ले जाने, प्रकाश करने, देख भाल करने तथा हटाने अथवा उसकी वस्तुओं के संबंध में किया गया यथोचित व्यय मोटर वाहन के मालिक अथवा उसके उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि से लिया जायगा और किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी पुलिस अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति को जिसके नियंत्रण में वाहन को रखा गया है तदनुसार किए गए व्यय का जब तक भुगतान न किया जाये वाहन को अपने नियंत्रण में रखने का अधिकार होगा तथा इस प्रकार किए गये भुगतान की रसीद भुगतान करने वाले व्यक्ति को देनी होगी।

मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग

1480. श्री लालजी भाई : क्या **प्रधान मंत्री** मंत्रियों द्वारा आयातित कारों के प्रयोग के बारे में क्रमशः 22 मार्च तथा 31 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 997 तथा 8166 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गयी है ; और

(ख) मंत्रियों को उनके प्रयोग हेतु आयातित तथा भारत में बनी कारों का आबंटन किस आधार पर किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सभी मंत्रालयों/विभागों से सूचना प्राप्त हो गयी है। उसे सभा-पटल पर रखने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) मंत्रियों को केवल अपने उपयोग के लिए भारत अथवा विदेश में निर्मित कोई कार नहीं दी जाती है। वे अपने मंत्रालयों/विभागों की स्टाफ कारें इस्तेमाल करते हैं।

आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग की उपलब्धियां

1481. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग ने जो कि रेडियो प्रसारण और टेलिविजन प्रसारण में प्रयोग में लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों और पुर्जों के विकास और सुधार के कार्य में संलग्न हैं, विगत तीन वर्षों में क्या कार्य किया है ; और

(ख) इस अनुसंधान विभाग ने उपरोक्त अवधि में लघु उद्योग स्तर के कितने उपकरण तैयार किए और उनका मूल्य क्या था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) विभाग द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के 167 उपकरण पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्मित किए गए जिनका अनुमानित मूल्य 2 लाख रुपए था ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी का अनुसंधान विभाग निम्नलिखित मुख्य कामों में लगा रहा :—

(क) अनुसंधान तथा विकास कार्य :—

(1) मैनुअल आयनेस्फीरिक प्ल्स साउंडिंग ट्रांसमिटर का रुपांकन तथा विकास ;

(2) स्टुडिओ की शीघ्र परीक्षा के लिये मापक ;

(3) ट्रांजिस्ट्राइज्ड व्याकर्षण तथा ध्वनिस्तर मीटर ;

(4) सिलिकॉन ट्रांजिस्टरों के साथ वाले कम मूल्य के मीडियमवेव रिसीवर ;

(5) टेलिविजन के एक दर्शन चैनल के साथ दो ध्वनि चैनलों के ट्रांसमिशन तथा रिसैप्शन के लिय उपकरण (द्विवभाषी प्रसारण के लिये) ;

(6) एफ० एच० ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का संशोधित रूपान्तर ;

(7) औसत अपरिवर्तन के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिये ट्रांसमिटर चेन के लिये पीक क्लिअर ;

(8) वैण्ड्विप तथा हस्तक्षेप को सीमित करने के लिये 5 के० एच० जैड० फिल्टर ;

(9) क्रिस्टल नियन्त्रित मास्टर क्लाक ;

(10) टेलिविजन ट्रान्सलेटर—2 वाट के पावर आउटपुट के लिये विकसित;

(11) 12" ट्रांजिस्ट्राइज्ड टेलीविजन रिसीवर ;

(12) टेलीविजन स्टुडिओ के लिये विडियो डिस्ट्रिब्यूशन एम्पलिफायर तथा पल्स डिस्ट्रिब्यूशन एम्पलिफायर ;

(13) स्प्रिग टाइप कृत्रिम प्रक्षेपण जैनरेटर ;

(14) स्टुडियो में स्वचालित स्तर नियन्त्रण के लिये सुविधाओं समेत इलैक्ट्रानिक फेडर ;

(15) एफ० एम० स्टीरियो प्रसारण के लिये कोडर यूनिट ;

(16) समय के दृश्य प्रदर्शन के लिये लोजिक सर्किट ;

(17) वी० एच० एफ०बैण्ड 3 में पावर एम्पलिफायर तथा, टेलीविजन ट्रांसलेटर को पावर आउट-पुट से वृद्धि करना ।

(ख) अध्ययन परियोजनायें :—

(1) लम्बी दूरी के मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की रात के समय क्षेत्र शक्ति का माप कार्य ;

(2) सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बाद मीडियम वेव संकेतों के बिल्डअप का अध्ययन करने के लिये दिल्ली से कलकत्ता के मीडियम वेव ट्रांसमिटर की रात्रि के समय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन ;

(3) वी० एच० एफ० बैंड में उत्तापन हस्तक्षेप ;

(4) सी० सी० आइ० आर० अध्ययनों के अंग के रूप में लिए गए प्रसारित कार्यक्रमों का विसयागत वैपुल्य ;

(5) कलकत्ता के अति उच्च शक्ति के ट्रांसमिटर से आयनोस्फैरिक क्रास माडलेशन ;

(6) सोलर फ्लेअर पैट्रोल के अध्ययन तथा निअौ मैगनैटिक हस्तक्षेपों के दौरान शार्ट वेव रिसैपशन के अध्ययन के लिये 164 के०एच० जैड० पर रडियो ताश्कन्द की फील्डस्ट्रेन्थ रिकार्डिंग ;

(7) वी० एच० एफ० बैण्ड में टेलीविजन पर स्पौरेडिक ई से हस्तक्षेपों का अध्ययन ;

(8) लखनऊ, श्रीनगर, टेलीविजन केन्द्र (दिल्ली), ब्राडकास्टिंग हाउस (दिल्ली), दिल्ली विश्वविद्यालय हाल, फिल्म संस्थान (पूना), से आडिटोरियम, तथा अन्तरराष्ट्रीय टेलिफोन एक्सचेन्ज (बम्बई) तथा आकाशवाणी आडिटोरियम (बम्बई) के स्टुडियों में श्रवण मापन ;

(9) आकाशवाणी के केन्द्रों तथा उद्योगों के लिये माइक्रोफोनों, लाउडस्पीकरों, सामग्री के श्रवण गुणों इत्यादि का परीक्षण ;

(10) आकाशवाणी के केन्द्रों के लिये मानक टैपों को बनाना ।

(ग) अध्ययन परियोजनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास कार्य पर आधारित कई नोट एशियन ब्राडकास्टिंग यूनियन्स कानफ्रेन्स, कामनवैल्थ ब्राडकास्टिंग कानफ्रैन्स, इत्यादि में प्रस्तुत किये गये ।

2. विगत तीन वर्षों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपकरण इस प्रकार हैं :—

12" ट्रांजिस्ट्राईज्ड टेलीविजन रिसीवर ;

2 वाट टेलीविजन ट्रांसलेटर ;

एफ० एम० ट्रांसमिटर तथा रिसीवर ;

कम लागत का मीडियम वेव रिसीवर ;

ट्रांजिस्ट्राईज्ड डिस्टोरेशन तथा ध्वनि स्तर मीटर, आदि ।

Alleged Demonstrations by Adivasis in Bihar

1482. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the adivasis held demonstrations in Bihar with bows and arrows in their hands in favour of their demand 'Santhal Paragana will remain integrated'; and

(b) if so, the reasons therefor and the decision taken on their demand ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). According to information received from Government of Bihar, meetings and demonstrations were held at some places in the district against dividing Santhal Pargana into two districts. However, there is no information that demonstrators were armed with bows and arrows.

State Government have not taken any decision to divide santhal Pargana into two districts.

Place for Indian Employees in Foreign Firms

1483. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representations requesting them to secure proper places for the Indian employees in foreign firms; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) :(a) & (b). Representations requesting Government to secure proper places for Indian employees in foreign firms are received from time to time by Government. Government policy aims at early Indianisation of superior executive and technical posts held by foreign nationals, taking into account technical and administrative needs of these firms.

The percentage of Indians occupying posts carrying salaries of Rs. 3,000 and above has shown a continuous upward trend over the past few years. Today practically all post in foreign firms with a monthly salary of upto Rs. 3000 are held by Indian nationals.

'Garibi Hatao' **Programme**

1484. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any plan for a three point *'Garibi Hatao'* programme; and

(b) if so, the outlines thereof and the time by which poverty would be eradicated from the country as a result of the implementation of the said programme ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). The Paper entitled 'Towards an Approach to the Fifth Five Year Plan' prepared by the Planning Commission and approved by the National Development Council at its meetings held in Delhi on 30th-31st May, 1972, which has been placed on the Table of the House, contains the broad outlines of the Fifth Plan strategy for a development programme whose central theme is *'Garibi Hatao'*. The thrust of such a programme would consist in a direct attack on the problems of unemployment, under-employm ent and massive low-end poverty. Detailed exercises are being done at present towards the preparation of a draft outline of the Plan. Considering the magnitude of the problem of poverty, it will be premature to specify a time by which poverty would be eradicated from the country.

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

1485. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में कितने उद्योग स्थापित किए गए और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) योजना की शेष अवधि में इस क्षेत्र में क्या प्रगति करने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) स (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े चुने हुए जिलों क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र की 10 प्रतिशत राज सहायता और परिवहन राजसहायता योजनाओं के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र में 5 करोड़ रु० का कुछ प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में से 10 प्रतिशत केन्द्रीय राजसहायता योजना के अन्तर्गत तीन राज्य सरकारों और एक संघ राज्य-क्षेत्र ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 62 औद्योगिक एककों को अब तक 9,87,691 रु० की राशि स्वीकृत की है (अभी तक वितरित नहीं की) जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

तमिलनाडु	रु० 5,86,667	(12 एकक)
गोवा, दमन और दीव	रु० 3,50,358	(31 एकक)
मैसूर	रु० 29,110	(7 एकक)
गुजरात	रु० 21,556	(12 एकक)

इसके अलावा, पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एककों को उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रकार से लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं :

	1969	1970	1971
आसाम	1	1	4
आन्ध्र प्रदेश	2	1	5
बिहार	1	6	4
गुजरात	1	3	4
हरियाणा	..	2	1
जम्मू तथा काश्मीर	..	..	1
मध्य प्रदेश	..	..	9
महाराष्ट्र	3	15	6
मैसूर	1	4	6
उड़ीसा	1	1	1
पंजाब	..	2	..
राजस्थान	..	2	7
तमिलनाडु	2	13	12
उ० प्रदेश	..	1	4
प० बंगाल	5	8	12
	17	59	76

सरकार ने हाल ही में 10 प्रतिशत राजसहायता योजना के पात्र जिलों की संख्या बढाने का निश्चय किया है। यह आशा है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढावा देने के लिये पहले से ही प्रारम्भ किए गए विभिन्न अभ्युपायों, उद्यमियों की पहल और उनके उद्यम से चौथी योजना की शेष अवधि में इस विषय में पर्याप्त प्रगति होगी।

भूतपूर्व शासकों के अधिकार में हथियार

1486. **श्री इन्दजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री भूतपूर्व शासकों द्वारा हथियार वापस करने के बारे में 10 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 762 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व शासकों से उनके अधिकार में हथियारों की पूरी सूची अब प्राप्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हथियारों को सरकार को लौटाने, उनके निपटाने तथा विनियमन के संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों द्वार भूतपूर्व नरेशों तथा उनके परिवारों के छूट-प्राप्त भूतपूर्व सदस्यों के हथियारों की पूरी सूची एकत्र की जा रही है, किन्तु वह अभी तक समस्त राज्यों की सरकारों से प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि भारत सरकार ने इस विषय पर हाल ही में एक निर्णय किया है जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) सभी भूतपूर्व नरेशों और उनके परिवारों के छूट प्राप्त सदस्यों को हथियार व गोलाबारूद रखने के नियमित लाइसेंस प्राप्त करने पड़ते हैं। जहां तक हथियारों व गोला बारूद, जिनके लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, की संख्या का सम्बन्ध है, यह मामला लाइसेंस प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है जैसा कि जनता के दूसरे लोगों के मामले में होता है।

(ii) भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जहां भूतपूर्व नरेश अथवा उसके परिवार के छूट-प्राप्त सदस्य के पास अतीत में छूट के अन्तर्गत 3 से अधिक हथियार हैं, वहां उसे आवेदन करने पर स्वाभाविक रूप में एक राइफल, एक बन्दूक, एक रिवाल्वर/पिस्तौल के लिए एक लाइसेंस दिया जा सकता है और किसी फालतू हथियार तथा हथियारों के लिए की गई प्रार्थना पर पूर्णतया प्रमाणित आवश्यकता के आधार पर विचार किया जा सकता है। भूतपूर्व नरेशों और उनके परिवारों के छूट-प्राप्त भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क लाइसेंस की वैसी ही छूट दी जानी चाहिए, जैसा कि सामान्य कानूनी नियम 991 दिनांक 13 जुलाई, 1962 से संलग्न सारणी के मद सं० 7 के अन्तर्गत जनता के दूसरे भूतपूर्व छूट-प्राप्त सदस्यों के लिए शस्त्र नियमों के अधीन इस समय उपलब्ध हैं।

(iii) यह भी निर्णय किया गया है कि प्रत्येक भूतपूर्व नरेश अथवा उसके परिवार के छूट-प्राप्त सदस्य को किसी श्रेणी का एक बोर वाला निषिद्ध हथियार रखने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसा हथियार अतीत में छूट के अन्तर्गत भूतपूर्व छूट-प्राप्त सदस्य द्वारा पहले से ही रखा जा रहा हो और निषिद्ध बोर के हथियार रखने की छूट उस पुरुष/महिला के लिए निजी होनी चाहिए और उस पुरुष/महिला के मरने पर अपने आप समाप्त हो जायेगी।

(iv) जहां तक पुराने और काम में न लाने योग्य हथियारों का संबंध है, उन्हें भूतपूर्व नरेशों आदि द्वारा रखा जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे हथियार शस्त्र अधिनियम, 1956 की धारा 45(ग) के अधीन लाइसेंस अपेक्षा से निकाल दिये गये हों। किन्तु राज्य सरकार यह शर्त लगा सकती है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 45(ग) के अधीन बिना लाइसेंस किसी हथियार को रखने की केवल तब अनुमति दी जायेगी यदि लाइसेंस प्राधिकारी से यह प्रमाणित करते हुए एक

प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाता है कि वे हथियार जिन्हें इस प्रकार रखे जाने का इरादा है, शस्त्र अधिनियम की धारा 45(ग) के क्षेत्राधिकार में आते थे और बाद में लाइसेंसिंग अपेक्षा से निकाल दिये गये थे। ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भूतपूर्व नरेशों द्वारा अन्य लोगों को ऐसे पुराने तथा काम में न आने योग्य हथियारों को बेचने अथवा हस्तान्तरण करने के लिए भारत सरकार को विचार करने या न करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(v) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि "पुरावशेष" की परिभाषा में आने वाले हथियार शस्त्र अधिनियम की धारा 45(ग) के अन्तर्गत भारत से बाहर निर्यात नहीं किये जा सकते, यह स्पष्ट किया गया है कि पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और शस्त्र अधिनियम, 1962 के नियम 33 के उप-नियम (2) के अधीन आने वाले हथियारों के निर्यात पर पहले से ही प्रतिबन्ध है और यह कि आग्नेस्त्रों के निर्यात के लिए प्रत्येक प्रार्थनापत्र के साथ इस बारे में केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग के महा निदेशक का एक प्रमाणपत्र होना चाहिए कि वे हथियार जिन्हें निर्यात करने का इरादा है, "पुरावशेष" की परिभाषा में नहीं आता। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी को उस स्थान के लाइसेंस प्राधिकारी से एक ऐसा प्रमाण-पत्र भी देना पड़ता है, जहां से हथियारों का निर्यात करने का इरादा है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वे हथियार, जिन्हें निर्यात करने का इरादा है, अन्य बातों के साथ-साथ "पुरावशेष" की श्रेणी में नहीं आते।

(vi) भूतपूर्व नरेशों तथा उनके परिवारों के छूट-प्राप्त भूतपूर्व सदस्यों को उनके स्वामित्व में हथियारों व गोलाबारूद के अनिवार्य स्वामित्व लाइसेंस के सम्बन्ध में बिक्री को नियंत्रित करने वाले शस्त्र अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में बिक्री अथवा भेंट आदि द्वारा निपटाने के लिए आवेदन करने की अनुमति देने वाले आदेश जारी होने की तारीख से 3 महीने का समय दिया जाये। अग्नेस्त्रों और गोला-बारूद के सम्बन्ध में, जिनके लिए कोई भूतपूर्व नरेश अथवा उसके परिवार का छूट-प्राप्त कोई भूतपूर्व सदस्य उपयुक्त लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने अथवा हथियारों का निपटान करने में असमर्थ है तो उसे शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में तीन महीनों की नियत अवधि समाप्त होने पर बिना अनावश्यक विलम्ब के ऐसे सभी हथियार निकटतम पुलिस थाने अथवा लाइसेंस प्राप्त व्यापारी इत्यादि के पास जमा करने चाहिए। इसके बाद जमा किये गये ऐसे हथियारों का आगे निपटान कानून की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियमित किया जायेगा जैसी कि उक्त अधिनियम के अधीन बने शस्त्र नियम, 1962 के नियम 46 के साथ गठित उक्त अधिनियम की धारा 21 में व्यवस्था है।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

1487. श्री इन्दजीत गुप्त :
श्री वयालार रवि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1972 से जून 1972 तक, राज्यवार, कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए; और

(ख) औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में क्षत्रीय असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है

(ख) सरकार द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस के सभी आवेदनों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर यथाशीघ्र निर्णय करने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है। किन्तु

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने सम्बन्धी औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता से विचार किया जाता है। इसके लिये सरकार ने अनेक रियायतों और प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

विवरण

1-1-1972 से 30-6-72 की अवधि में जारी किए गये (राज्यवार और किस्मवार) लाइसेंसो की संख्या दिखाने वाला विवरण

राज्य	एन०यू०	एस०ई०	एन०ए०	सी०ओ०	शिपिंटग	एन०ए० एस०ई०	योग
1. आन्ध्र प्रदेश	5	3	3	1	..	..	12
2. अरुणाचल	..	..	..	..	..	..	..
3. आसाम	5	..	..	..	..	..	5
4. बिहार	1	1	..	1	..	..	3
5. चंडीगढ	..	..	..	..	..	..	..
6. दिल्ली	1	1	1	..	..	..	3
7. गोवा	..	..	..	..	..	..	..
8. गुजरात	6	5	5	11	..	..	27
9. हरियाणा	5	2	5	5	..	..	17
10. हिमाचल प्रदेश	..	..	..	..	..	..	..
11. जम्मू और कश्मीर	..	..	..	..	..	..	..
12. केरल	3	1	2	..	..	..	6
13. मध्य प्रदेश	1	1	..	..		.	2
14. महाराष्ट्र	8	14	19	15	..	..	56
15. मनीपुर	..	..	..	..	..	..	..
16. मेघालय	..	..	..	..	..	..	..
17. मिजोराम	..	..	..	..	..	..	..
18. मैसूर	6	4	4	3	..	..	17
19. नागालैण्ड	..	..	..	..	..	..	..
20. उड़ीसा	1	1	..	..	..	..	2
21. पाण्डेचेरी	..	..	..	..	..	..	..
22. पंजाब	1	..	1	..	..	..	2
23. राजस्थान	1	2	2	3	..	..	8
24. तमिलनाडु	7	6	1	6	..	1	21
25. उत्तर प्रदेश	8	5	5	5	..	..	23
26. पश्चिम बंगाल	2	10	5	4	..	..	21
27. एक से अधिक राज्य	..	..	..	..	1	..	1
योग	61	56	53	54	1	1	226

केरल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त अनुसंधान संबंधी योजना

1488. श्री वयालार रवि : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को केरल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से स्वीकृति और वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुसंधान सम्बन्धी योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सुझाव का अध्ययन किया जा रहा है ।

थुम्बा क राकट निर्माण संयंत्र में राकेटों का निर्माण

1489. श्री वयालार रवि : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा स्थित राकेट निर्माण संयंत्र में अब तक कुल कितने राकेटों का निर्माण किया गया है और विभिन्न प्रकार के राकेटों की संख्या एवं उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उपग्रह छोड़ने के कार्यक्रम की बढ़ रही मांग की पूर्ति के विचार से राकेट निर्माण संयंत्र का विस्तार करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) थुम्बा स्थित राकेट निर्माण संयंत्र में अब तक निर्मित राकेटों का विवरण निम्नलिखित है :—

(i)	सैन्चोर राकेट	5
(ii)	रोहिणी 125-राकेट	440
(iii)	रोहिणी 100-राकेट	20
(iv)	मौसम विज्ञान सम्बन्धी डार्ट राकेट	30
	योग .	495

(ख) राकेट मोटर के लिए 600 मि० मी० तक के व्यास के कलपुर्जों का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। 1.25 मीटर तक के व्यास के पुर्जों के प्रोटो-टाइप तैयार करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फाइबर ग्लास का सामान बनाने तथा स्ट्रिप वाउन्ड मोटर बनाने के उद्देश्य से विस्तार कार्य के प्रथम चरण पर कार्य चल रहा है और आशा है कि यह कार्य सन 1972 के अन्त तक समाप्त हो जाएगा ।

केरल में सीधी डायल प्रणाली

1490. श्री वयालार रवि :
श्री ए० क० गोपालन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रमुख नगरों को तथा एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम और मद्रास के बीच सीधी डायल प्रणाली लागू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उपकरणों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण केरल में सीधी डायल प्रणाली के कार्य में विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्य की गति तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) कोएक्सल केबल प्रणाली का विस्तार कोयम्बतूर से अर्नाकुलम और त्रिवन्द्रम तक कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा ट्रंक डायल करने की सेवा चालू करने के लिए आवश्यक उपस्कर लगाने का काम भी कोट्टायम, अलेप्पी और क्विलोन के स्थानों पर पूरा हो चुका है। अर्नाकुलम और त्रिवन्द्रम में इसी तरह के उपस्कर लगाने का काम चल रहा है। अर्नाकुलम के लिए ट्रंक आटो-एक्सचेंज उपस्कर प्राप्त हो गया है। इसे अभी लगाया जाना है। त्रिवेन्द्रम के लिए ट्रंक आटो एक्सचेंज उपस्कर का आर्डर दे दिया गया है और यह सप्लाई किया जा रहा है। कोट्टायम और अलेप्पी के बीच माइक्रोवेव लिंक की स्थापना की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) त्रिवेन्द्रम के लिए उपभोक्ता द्वारा ट्रंक डायल करने की सेवा के उपस्कर की व्यवस्था कर दी गई है। आशा है कि तीन महीने के समय के बीच यह तयार हो जाएगा। त्रिवन्द्रम-कोट्टायम और त्रिवेन्द्रम क्विलोन मार्गों पर आशा है कि वर्ष 1973 के शुरू में उपभोक्ता द्वारा ट्रंक डायल करने की सेवा चालू कर दी जाएगी। अलेप्पी में भवन के निर्माण और अलेप्पी और कोट्टायम में टावर खड़े करने का काम तेजी से किया जा रहा है। अलेप्पी और कोट्टायम के बीच 1973-74 में माइक्रोवेव प्रणाली के चालू होने की संभावना है। इसके पूरा हो जाने पर अलेप्पी और कोट्टायम के बीच उपभोक्ता द्वारा ट्रंक डायल करने की सेवा चालू कर दी जाएगी। अर्नाकुलम में उपस्कर लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आशा है कि अर्नाकुलम-कोट्टायम और अर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम मार्गों पर उपभोक्ता द्वारा ट्रंक डायल करने की सेवा 1974-75 में चालू कर दी जाएगी।

अर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम को मद्रास से जोड़ने वाले ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के 1974-75 और 1975-76 के दौरान काम शुरू कर देने की संभावना है।

केरल गर–सरकारी कालेज (वेतन का भुगतान) विधेयक, 1972

1491. **श्री वयालार रवि** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल गैर-सरकारी कालेज (वेतन का भुगतान) विधेयक, 1972 गृह मंत्रालय में सहमति के लिये विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). 24 जून, 1972 को राज्य सरकार को विधेयक की स्वीकृति की सूचना भेज दी गई थी।

Committee on Newspaper Economy

1492. **Shri Ishwar Chaudhary :**

Shri Chintamani Panigrahi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have received the Report of the Committee on Newspape Economy;

(b) if so, the findings thereof ; and

(c) the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Boardcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No Sir.

(b) & (c). Do not arise.

Pending Applications for Telephone Connections in Delhi on O. Y. T. Scheme in Delhi

1493. **Shri Ishwar Chaudhary :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of application out of total number of applications pending for providing Telephone Connections under the O.Y.T. scheme, Social Workers and General category in Delhi ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : The waiting list for telephones at Delhi under the different categories on 1-7-72 was as under :—

O. Y. T.	6686
Special . . . . . (including Social workers)	4959
General	45961

Production and Demand for Scooters

1494. **Shri Iswar Chaudhary** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated for increasing the production of scooters in view of their increasing demand in the country and if so, the main features thereof; and

(b) the total number of persons in the country at present who have got their names registered for purchase of scooters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) In addition to the setting up of a Scooter Project in the Joint Sector for the manufacture of scooters with an annual capacity of 100,000 units at Lucknow, Government have issued twenty-three letters of intent and one Industrial Licence to parties in the private sector for the manufacture of scooters for a total auunal capacity of 5,17,200 Nos.

(b) The total number of orders pending for scooters as on 30th June, 1972, is 4,47,571 Nos.

मुअत्तिल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त

1495. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग ने मुअत्तिल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 14 तथा 15 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा मुअत्तिली पर रखे गये सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाती है, इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी नहीं किये गए हैं। तथापि मुअत्तल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में देरी से बचने की दृष्टि से, 4 फरवरी, 1971 को अनुदेश जारी किए गए हैं कि सरकारी कर्मचारी को मुअत्तिली की तिथि के तीन माह के अन्दर, आरोप-पत्र देने के लिए हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिए और ऐसे मामले जिनमें ऐसा करना सम्भव न हो सके, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा, अन्य उच्च प्राधिकारी को देरी के लिए स्पष्टीकरण देते हुए, मामले की रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

भारतीय दूतावास (अमरिका) में फोटो डिवीजन के फोटोग्राफर द्वारा सामान की खरीद

1496. **श्री टी० सोहन लाल :**
श्री रामजी राम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोटो डिवीजन के एक फोटोग्राफर की एक प्रस सहचारी के रूप में वाशिंग्टन स्थित भारतीय दूतावास (अमरीका) में नियुक्ति की गई थी ; जैसा कि 1 जुलाई, 1972 के 'करट' साप्ताहिक में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या उसी फोटोग्राफर ने फोटो डिवीजन में रहते हुए फोटो डिवीजन के लिए कई लाख रुपये के मूल्य का स्थानीय तथा आयातित फोटोग्राफी का सामान खरीदा था जो उस के वहां से स्थानान्तरण के बाद बेकार पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फोटो प्रभाग के एक उप-निदेशक 26 अक्टूबर, 1971 से वाशिंगटन स्थिति भारतीय दूतावास में प्रतिनियुक्ति पर प्रथम सचिव के पद पर नियुक्त किये गए हैं ।

(ख) उप-निदेशक फोटोग्राफी उपकरण प्राप्त करने तथा उपभोग योग्य स्टोर के इंचार्ज थे और खरीददारी के लिये निर्धारित नियमों तथा प्रक्रिया के मुताबिक खरीददारी के लिए उत्तरदायी थे ।

प्रभाग के कार्य के लिए इनकी आवश्यकता होती है और आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

फोटो डिवीजन के पास अप्रयुक्त रोटोग्राफिक सामग्री

1497. **श्री टी० सोहनलाल :**
श्री रामजी राम :

क्या **सूचना और प्रसरण** मंत्री फोटो डिवीजन में अप्रयुक्त पड़ी फोटोग्राफिक सामग्री तथा उस के क्रय-मूल्य की मदवार ब्यौरे की एक सूची सभा पटल पर रखेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): फोटो प्रभाग की वास्तविक जरूरतों और काम की आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर फोटोग्राफिक सामान खरीदा जाता है । इस स्टोर का बचा हुआ सामान अलग अलग समय पर अलग अलग होता है । सदन की मेज पर एक सूची रख दी गई है जिसमें वह फोटोग्राफिक सामान, जो 1-8-72 को स्टाक में था, तथा उसका मूल्य दर्शाया गया । **(ग्रंथालय म रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3325/72)** ।

जहां तक उपकरण का सम्बन्ध है, हाल ही में प्राप्त कुछ उपकरणों जिनको स्थापित किया जाना है अतएव, इस्तेमाल में नहीं है, को छोड़कर प्रभाग में जो भी उपकरण हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है । इस प्रकार के उपकरणों का विवरण सूची में दिया गया है । ये उपकरण अक्टूबर, 1972 तक चालू कर दिय जायेंगे ।

Population of Scheduled Castes

1498. **Shri T. Sohan Lal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the population of Scheduled Castes did not register any increase on the basis on 1971 census as compared to other castes; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) The population of scheduled castes has gone up from 64,449, 275 in 1961 to 79,995,896 in 1971 *i.e.* an increase of 24.12% over 1961 population. Cast wise enumeration other than for Scheduled Castes/Scheduled Tribes is not done at the Census, hence no such comparison is possible.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद संबंधी निर्णय

1499. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर निर्णय लेने का प्रश्न पूर्णतया प्रधान मंत्री पर छोड़ दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की कब तक घोषणा कर दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमन ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

1500. श्री राम सहाय पांडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में उद्योगों का जमाव बढ़ता जा रहा है जब कि देश के कुछ अन्य भागों में विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जिन में प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, उद्योगों की कमी है और वे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योगों के उस असमान आधार पर विकास के कारणों की जांच की है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसी कोई कार्यवाही कर रही है जिस से समस्त देश में सन्तुलित औद्योगिक विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों में अधिक संख्या में नए उद्योगों की स्थापना की जाए ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). हमारे आर्थिक आयोजन का एक महत्वपूर्ण नीति विषयक उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास करना रहा है, जिससे विभिन्न क्षत्रों का क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और उसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर ऊंचा होगा। पांडे तथा वांचू समितियों के दो कार्यकारी दलों ने पिछड़े क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन किया था और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को तेज करने के लिये वित्तीय तथा राजकोषीय उपाय सुझाये हैं ।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिय सरकार ने देश के चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के लिये 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजना तथा परिवहन सहायता देने की योजना तैयार की है । पिछड़े क्षत्रों में केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रियायती दर पर वित्त देने की योजनाएं भी चलाई गई थीं । इसके साथ ही राज्य सरकारों से पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिक विकास करने के लिये प्रोत्साहन देने की ऐसी इकट्ठी योजनाएं भी बनाने के लिये कहा गया था । जिनमें पर्याप्त अवस्थापना (इन्फ्रा-स्ट्रक्चर) की व्यवस्था करने पर बल उसमें दिया जाये । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य वित्तीय अभिकरणों के सहयोग से इन राज्यों का औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण किया है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिनमें इन स्थानों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिये सुझाव दिया गया है । राज्य सरकारों तथा अन्य से परामर्श करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की निर्देशन समिति द्वारा बाद की कार्रवाई की जा रही है । सरकार ने अभी हाल ही में पिछड़े जिलों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है जिससे वे 10 प्रतिशत राज्य सहायता पाने के हकदार हो जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों के लिये आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी देने में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है जैसा कि नीचे दिये आंकड़ों से पता चलेगा :—

राज्य	1969		1970		1971	
	लाइसेंस	आशय-पत्र	लाइसेंस	आशय-पत्र	लाइसेंस	आशय-पत्र
राजस्थान	7	7	8	16	31	
मध्य प्रदेश . .	3	2	2	9	20	31
उत्तर प्रदेश . . .	8	24	26	29	48	100

आशा है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी उद्यमियों द्वारा किये गये विभिन्न संयुक्त उपायों से इन राज्यों में आगामी वर्षों में औद्योगिक विकास में तेजी आ जायेगी।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक संयंत्रों के लिए मांग

1501. श्री राम सहाय पांडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह मांग की है कि राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन को हटाने के लिए वहां और अधिक औद्योगिक एककों की मंजूरी दी जाए और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : न तो औद्योगिक विकास मंत्रालय न योजना आयोग में ही इस प्रकार का विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

अस्थायी आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने का मानदण्ड

1502. श्री रामसहाय पांडे :
श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य के कारणों से और समारोह सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए आपात कालिन आधारपर अस्थायी रूप से दिल्ली में जनता को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करने के लिए कोई निर्धारित कोटा है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन आधारों पर अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये जाते हैं और जिस तरीके से उन्हें मंजूर किया जाता है, उसके बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि अनेक कठिन मामलों में सामान्यतया अस्थायी कनेक्शन की मंजूरी नहीं दी जाती है; और

(ग) क्या अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के बारे में कोई निधरित प्रक्रिया का पालन करने और ऐसे कनेक्शनों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। एक निर्धारित अवधि के लिए चिकित्सा के आधार पर या दूसरे विशेष उद्देश्यों के लिए आकस्मिक और अस्थायी कनेक्शन देने के लिए प्रत्येक एक्सचेंज में उपलब्ध क्षमता के कुछ प्रतिशत (जो ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत है) कनेक्शन जनरल मैनेजर टेलीफोन के विवक पर छोड़ दिए जाते हैं।

(ख) जी नहीं। एक्सचेंज की फालतू क्षमता से यदि कनेक्शन दिया जा सकता हो तो सभी जायज मामलों में अस्थायी कनेक्शन मंजूर कर दिये जाते हैं।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

प० बंगाल से बाहर ले जाए गए उद्योगों की वहां पुनः स्थापना

1503. श्री राम सहाय पांडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विधि एवं व्यवस्था की समस्या के कारण प० बंगाल से बाहर ले जाए गए सभी औद्योगिक एकक इस बीच वहां पुनः लाकर स्थापित किए जा चुके हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो वहां उचित विधि एवं व्यवस्था की स्थापना के पश्चात् कितने उद्योग वापस नहीं लाए गए ; और

(ग) क्या सरकार ने प० बंगाल की अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए इन उद्योगों को राज्य में पुनः स्थापित करने हेतु कोई विशेष वित्तीय सहायता दी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 16 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित होने तथा राज्य सरकार की प्रोत्साहन की नई योजना घोषित होने से कई संकटग्रस्त कारखाने पुनः स्थापित हो गये हैं (1 जनवरी 1971 से 30 अप्रैल 72 तक 79 एकक तथा मई 1972 में 12 एकक) तथा उद्यमकर्त्तागण राज्य में उद्योग स्थापित करने में रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। बताया जाता है कि 1-7-72 से 25-7-72 की अवधि में लाइसेंस प्रदान करने हेतु सहायता के लिये 74 आवेदन पत्र राज्य सरकार के पास आये हैं वे इन लाइसेंसों के आधार पर बनी औद्योगिक परियोजनाओं में 112.63 करोड़ रुपये का नियत पूंजीगत निवेश होगा तथा 31,353 लोगों को रोजगार देने की क्षमता होगी। साथ ही 28 आवेदन पत्र परियोजनाओं के पंजीकरण के लिये हैं जिनमें 10.04 करोड़ रुपये का पूंजी- गत निवेश होगा तथा 4580 लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता होगी। इसके अतिरिक्त राज्य औद्योगिक विकास निगम के हाथ में कुल 233 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश वाली परियोजनाएं भी हैं जिनमें 47,722 लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। अधिकांश प्रस्ताव इस्पात की वस्तुएं, सीमेंट, कागज, नाइलोन-6 रसायन, टायर/ट्यूब तथा आटोमोबाइलस् के उत्पादन करने के लिये हैं।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों का सम्मेलन

1504. श्री राम सहाय पांडे :
श्री फतहसिंहराव गायकवाड :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों का एक सम्मेलन अपनी समस्याओं और कार्य में सुधार करने के बारे में विचार करने के लिए हाल ही में हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर विचार किया गया ; और

(ग) औद्योगिक उपक्रमों के कार्य में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रत्येक उपक्रम के प्रतिनिधियों के साथ, उनके द्वारा किये जा रहे कार्य का विश्लेषण करने तथा उसमें आने वाली प्रमुख कठिनाइयां का जिनसे कि कार्य में बाधा पड़ती है सुनिश्चय करने के लिए, विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया था। ये कठिनाइयां मालूम हो गई हैं और इनके दूर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा नये सिनेमा गृहों के लिए जारी किये गये लाइसेंस

1505. श्री शशि भूषण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने चुनावों के बाद नये सिनेमा गृहों के लिए कुल कितने लाइसेंस दिये ;

(ख) दिल्ली में अस्थायी सिनेमा गृहों के लिए कितने लाइसेंस दिय गये, ये लाइसेंस किन-किन पार्टियों को दिये गये, कितने अस्थायी सिनेमा गृहों के लाइसेंसों की अवधि बढ़ायी गयी और उनकी अवधि बढ़ाने वाले लाइसेंस किन व्यक्तियों को दिये गये ; और

(ग) ये अस्थायी सिनेमा गृह कब से चल रहे हैं और उनके लाइसेंसों की अवधि कितनी बार बढ़ाई गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1972 में महानगर परिषद् के चुनावों के पश्चात् दिल्ली प्रशासन द्वारा किसी स्थायी सिनेमा के लिए लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है किन्तु एक अस्थाई सिनेमा का लाइसेंस मई, 1972 में दिया गया है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 3326/72] ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित समितियां

1506. श्री शशि भूषण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में गठित समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समितियों के सदस्यों के क्या नाम हैं और उनके कृत्य क्या है; और

(ग) किन समितियों के बारे में इस बीच उप-राज्यपाल की सहमति प्राप्त कर ली गई है और किन समितियों के बारे में अब तक उप-राज्यपाल की सहमति प्राप्त नहीं की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (ख) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने हालमें केवल नौ समितियों को पुनर्गठित किया है। उनकी रचना तथा कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल०टी० 3327/72] । ये सभी समितियां उप राज्यपाल की स्वीकृति से पुनर्गठित की गई है।

भारतीय आधिकार में पाकिस्तानी क्षेत्रों से लोगों का प्रव्रजन

1507. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री विश्वनाथ झुनझुन वाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 के पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात् भारत के अधिकार में आये नगर पारकर क्षेत्र के बहुत से वहां पर उत्पीड़न हिन्दुओं ने शिमला करार के पश्चात् के डर से भारत की ओर प्रव्रजन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या इन प्रव्रजकों को भारत में प्रवेश करने से रोका जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोकने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का विचार उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). हमारे सुरक्षा बलों के अधिकार में नगर पारकर क्षेत्र में बसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के हमारे क्षत्रों में प्रवेश करने का पता है। भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए कानून के अन्तर्गत विशेष प्राधिकार

की आवश्यकता पड़ती है। हमारी सुरक्षा बल द्वारा अधिकृत सीमा क्षेत्रों में बसे हुये पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को अपने घरों तथा गांवों में ही रहना चाहिये तथा उनको भारतीय सीमा में प्रव्रजन नहीं करना चाहिये तथा शरणार्थी नहीं बनाना चाहिये। ऐसे प्रव्रजकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न ही नही उठता।

संकटग्रस्त मिलों के कार्य के बारे में विशेषज्ञ की समिति

1508. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय सरकार के नियंत्रणाधीन ऐसी संगटग्रस्त मिलों के कार्य के बारे में जांच करने के लिए एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की थी ताकि वे इन मिलों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धांतो का सुझाव दें ;

(ख) क्या उस समिति ने अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ साथ, इनका दो वर्षों के अन्दर आधुनिकीकरण करने, इन मिलों के लिए पर्याप्त कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था करने और प्रत्येक निदेशक को विशेष जिम्मेवारी सौंप कर निदेशक बोर्ड का विस्तार करने का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिदेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ। सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों सम्बन्धी अन्य बातों के साथ साथ उनके कार्यकरण का पुनरीक्षण करने हेतु अक्तूबर, 1971 में विदेश व्यापार मंत्रालय ने एक समिति बनाई थी।

(ख) और (ग). समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अभी भी विचाराधीन है और इस समय उसमें दी गई बातें बताना लोक हित में नही होगा।

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाईन, अहमदाबाद के निदेशक को हटाया जाना

1509. **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी :**
[श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वाइस-एडमिरल, श्री बी० एस० सोमन को जुलाई, 1972 में नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाईन, अहमदाबाद के अध्यक्ष पद पर से हटा दिया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इन्स्टीट्यूट के कार्यकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ; और

(ग) यदि हां, तो जांच की मांग के लिये राज्य सरकार ने क्या कारण बताए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) श्री बी० एस० सोमन, वाइस एडमिरल (रिटायर्ड) की नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद में 10 अक्तूबर, 1970 से निदेशक (प्रशासन) के पद पर केवल अस्थायी रूप से नियुक्त की गई थी। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार संस्थान की अधिशासी परिषद ने 3 जुलाई, 1972 से उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी क्योंकि वे अधिवार्षिकी आयु से अधिक के थ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में प्रगति

1510. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय चल रहे रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा वास्तव में रोजगार दिए जाने के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख). ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाने की द्रुत योजना, केन्द्रीय क्षेत्र की गैर-योजना स्कीम के रूप में 1971–72 में शुरू की गई थी। इसके लिए 50 करोड़ रुपय का परिव्यय निर्धारित किया गया था। 1972–73 से इसे योजनागत स्कीम के रूप में जारी किया जा रहा है। इस स्कीम में अनिवार्यतः श्रम सघन परियोजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार की प्रत्यक्ष रूप में व्यवस्था किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परियोजना एक वर्ष में कामकाज की दस माह की अवधि में प्रत्येक जिले में औसतन 1000 व्यक्तियों को निरंतर रोजगार प्रदान करे। दूसरे, प्रत्येक परियोजना स्थानीय विकास योजनाओं के अनुरूप स्थायी कार्यों अथवा परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करे।

1971–72 के दौरान 34 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। वास्तविक खर्च 32 करोड़ रुपये होने तथा श्रम दिनों के रूप में 740 लाख श्रम-दिनों के रोजगार की व्यवस्था होने का अनुमान है।

परियोजना की कार्यपद्धति से हुए अनुभव के आधार पर 1972–73 में कुछ परिवर्तन किए गये हैं। य परिवर्तन इनसे संबंधित है–निधियों का एक जिले से दूसरे ऐसे जिले में परिवर्तन करना जिसके लिए ऐसा करना न्यायसंगत है, भारत सरकार को भेज बिना कुछ विशेष प्रकार की योजनाओं को मंजूर करने के संबंध में राज्य सरकारों को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्रदान करना इत्यादि। शुरू में केवल उन्हीं परियोजनाओं को आरंभ करने की अनुमति दी गई जो कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने में सहायक होंगी। हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि वे अन्य परियोजनाएं भी प्रारंभ की जायं जो जिले के विकास में सहायक हों। उदाहरणार्थ, प्राथमिक स्कूलों की इमारतों में कक्षाओं के लिए कमरे बनाने, समाज के कमजोर तथा गरीब वर्गों के रहने के लिए कालोनियों का निर्माण करने, ग्रामीण गोदामों की व्यवस्था करने, इत्यादि से संबंधित परियोजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी ऐसी परियोजना जो श्रम-सघन हो तथा जिले के विकास के लिए उपयोगी हो, आरंभ की जा सकती है।

1971–72 के दौरान कुछ राज्यों में बहुत छोटी कई परियोजनायें आरंभ की गई। 1972–73 में यह संकेत किया गया था कि साधारणतया परियोजनाओं का आकार ऐसा हो कि वे कम से कम 50 व्यक्तियों को लगातार 15 सप्ताह के लिए रोजगार प्रदान कर सकें लेकिन शर्त यह है कि यदि विद्यमान परिस्थितियों में आवश्यक हुआ तो छोटी परियोजनाएं भी प्रारंभ की जा सकती है। परंतु एसी छोटी परियोजनाओं की लागत 5000 रुपये से कम की नहीं होनी चाहिए तथा उनकी संख्या इतनी होकि उनपर जिले की आवंटित की गई निधि का 20 प्रतिशत से अधिक भाग खर्च न हो। इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि इन स्कीमों से स्थायी परिसम्पत्तियां निर्मित होनी चाहिएं। राज्यों पर इस बात के लिए भी ज़ोर डाला गया कि वे परिसम्पत्तियों को बनाये रखने के उत्तरदायित्व के प्रश्न को अधिक महत्व दें।

1972–73 के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 48.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पहली तिमाही की खेप जो कि लगभग 12 करोड़ रुपये की है, दी जा चुकी है।

स्कीम के पहले वर्ष के अनुभव से यह बात सामने आई है कि प्राप्त लाभों के संबंध में ऐसी प्रवृत्ति पाई गई है कि उन्हें सारे जिले में फैलाने की भावना कम है और जब तक कम से कम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अधिक

सकेन्द्रित प्रयत्न नहीं किए जाते तब तक स्कीम के प्रभाव के संबंध में मूल्यांकन करना तथा व्यापक कार्यक्रम तयार करने के लिए उपयोगी बातें जानना कठिन होगा। तदनुसार कृषि मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि 1972-73 में चुने हुए 15 खण्डों में ग्रामीण रोज़गार की द्रुत योजना के एक अंग के रूप में सघन ग्रामीण रोज़गार की एक मार्गदर्शी परियोजना आरंभ की जाये।

Industrial Survey of Rewa (M. P.)

1511. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any industrial survey or research has been conducted for the development of Eastern Districts (Rewa region) of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the result thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a)and(b). The small Industries Service institute, Indore, has conducted industrial potential survey of Sidhi district of the Rewa region of Madhya Pradesh. he findings of the Survey indicate prospects for development of certain resources and demand based industries as follows :

Cattle feed
Condensed milk
Ragi Malt food
Poultry food
Saw dust bricates
Straw Board
Cycle carrier
Cycle Chain cover
Umberella assembly
Confectionery
Chains
Plastic toys and utility items
Chain repair workshop
Aluminium utensils
Chalk rayons
Fountain pen ink
Lens grinding
Cement jellies
Cement hollow blocks
Storage batteries
ACSR Conductors
Miniature lamps
Oxygen Cot
Paper envelops
Electrical wood and accessories
Photo Prints
Bolts, nuts and washers

The report is prepared at the request of the State Government and is sent to them for preparation of programmes of development. With the concessional finance scheme of Central financial institutions and the information of industrial possibilities available, the State Government should soon be able to interest entrepreneurs into this region.

New Districts declared Backward in M. P.

1512. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have increased the number of backward Districts for the purpose of establishing industrial units ; and

(b) if so, the names of the new districts in Madhya Pradesh declared backward ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) & (b). Government has recently decided to increase the number of districts/areas eligible for the 10% Central Outright Grant or Subsidy Scheme, 1971 for development of industries in backward areas. The names of the additional districts areas are to be finalised in the Planning Commission, in consultation with the State Governments.

डाक प्रणाली में आमूल परिवर्तन

1513. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
[श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग समस्त डाक प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवति नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). एक समिति बनाने का प्रस्ताव है जो विभाग की डाक शाखा में कार्य विधि सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए सुझाव देगी।

भारत के अत्यन्त आधुनिक इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों का विकास करने में सोवियत प्रोद्योगिक सहायता

1514. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
[श्री पी० गंगादेव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए गठित किए गए इलैक्ट्रानिक आयोग ने अत्यन्त आधुनिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों के भारत में विकास में प्रोद्योगिकी सहायता लेने के लिय दो दल मास्को भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस यात्रा के परिणामस्वरूप दोनों दल प्रोद्योगिकी सहायता प्राप्त करने में सफल हुए हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). इलैक्ट्रानिक विभाग में जुलाई-अगस्त 1972 के महीनों में रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपियन देशों का दौरा करने के लिये दो प्रतिनिधि मंडल भेजे। इनमें से एक कंप्यूटर से और दूसरा पूर्णरूप से इलैक्ट्रानिक से संबंधित है।

प्रतिनिधि मंडल भारत तथा इन देशों के मध्य विशाल तकनीकी सहयोग की सम्भावना को जिसमें कंप्यूटरों के आयात, कंप्यूटर पेरीफिरल तथा विभिन्न दूसरी इलैक्ट्रानिक्स मदों का जिनकी आवश्यकता देश में पड़ती है, और साथ ही उन इलैक्ट्रानिक्स मद्दों का निर्यात जिनका भारत में किया जाता है, प्रतिनिधि मंडल अब भी इन देशों में है और आशा की जाती है कि वह महीने के अंत तक लौट आयेगा

विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों को कर्मदल (टास्क फोर्स) में भर्ती करने की योजना

1515. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् एक योजना तैयार कर रही है जिसके अन्तर्गत उन विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के छात्रों को जिन्हे राष्ट्रीय सेवा करनी है, कर्मदल में भर्ती किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा अपने पुत्र-पुत्रियों को इसी निदेशालय में रोजगार दिलाना

1516. श्री मौलाना इसहाक संभली : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय, नई दिल्ली के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने गत एक वर्ष में अपने पुत्र तथा पुत्रियों को इसी निदेशालय में रोजगार दिला दिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने अधिकारी इस समय सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश पर है या हाल ही में सेवा निवृत्त हुए है;

(ग) क्या इन अधिकारियों, उनके पुत्र-पुत्रियों के इस प्रकार रोजगार पाने में सेवा निवृत्ति के बाद भी अपना सरकारी निवास प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ;

(घ) क्या इन अधिकारियों ने सरकार को उसी कार्यालय में अपने पुत्र-पुत्रियों के रोजगार प्राप्त करने की सूचना दी थी जिसमें ये स्वयं जिम्मेदार पदों पर थ ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक मामले में चयन और नियुक्ति की निष्पक्षता की जांच की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय कार्य संचालन प्रभाग के एक उप निदेशक की जो 4 जून, 1972 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये, उनके पुत्रों को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के प्रकाशन प्रभाग में सहायक अधीक्षक के रूप में रोजगार पर लगाया गया है। फिलहाल, प्रकाशन प्रभाग क्षेत्रीय कार्य संचालन प्रभाग का अंग नहीं है।

(ग) जी नहीं। फिर भी महिला कामचारी ऐसे मामलों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ही सरकारी आवास को हकदार होगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चयन लिखित परीक्षा के आधार पर चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा लेने के बाद किया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सांख्यिकी विभाग के पदेन संयुक्त सचिव ने समिति की अध्यक्षता की।

इलैक्ट्रानिक्स आयोग/इलैक्ट्रानिक्स विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी

1517. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन तकनीकी तथा गैर-तकनीकी व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो इस समय इलैक्ट्रानिक आयोग/इलैक्ट्रानिक्स विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनका चयन किस तरीके से किया गया था ;

(ख) ये अधिकारी अपने मूल कार्यालयों में किस-किस पद पर थे और उनकी नियुक्ति की कालावधि क्या है, और

(ग) इलक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में इन अधिकारियों के पास तकनीकी तथा अन्य व्यवसायिक जानकारी क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग). इलैक्ट्रानिक्स आयोग तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग में अनेक पद सचिवालय स्तर के समान हैं, जैसे संयक्त सचिव, निदेशक, उप-सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक, उ० श्रे० लि०, अ० श्रे० लि० इत्यादि।

कुछ सचिवालय पदों को उन्हीं व्यक्तियों से भरा जाता रहा जो कि पहले ही आयोग की स्थापना से उन पदों पर कार्य रहे थ। ऐसे पदों पर लगाते समय अधिकारियों की कालावधि को परसोनल-विभाग की सलाह पर तय किया गया।

फिर भी संबंधित विभाग की सलाह पर परसोनल विभाग द्वारा कुछ अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया।

कुछेक सहायकों तथा निम्न काडर के स्थानों को सरकारी विनियमों को ध्यान में रखते हुये उन प्राथमिकताओं से संबंधित जो विशेष-वर्ग को प्रदान की गई हैं। जैसे संवर्गबाह्य सेवा कर्णिक, अनुसूचित जातियां/आदिम जातियां इत्यादि को खुले विज्ञापनों की कार्य विधि द्वारा भरा गया।

कुछ तकनीकी स्थानों को बाहर से अपेक्षित प्रवर समितियां बना कर करार के अधार पर भरा गया।

तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्थानों को जो प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गये से संबंधित विवरण संलग्न किया जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल टी० 3328/72]।

ईंटो के मूल्यों में वृद्धि

1518. **श्री पी० के० देव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष ईटों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान 8 जून, 1972 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). "ईट" उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित उद्योग नहीं है। फिर भी, सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी है कि देश के कुछ भागों में ईटों का कारखाने से बाहर निकलते समय का मूल्य लगभग 5% बढ़ गया है। यह वृद्धि सम्भवत: कोयला आदि का मूल्य अधिक होने के फलस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय चलचित्रों में रुस का प्रभाव

1519. श्री पी० के० देव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1972 में "साप्ताहिक आर्गेनाइजर" में पृष्ठ 6 पर "रशियन पेनेट्रेशन इन इण्डियन फिल्मस" शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित हुए एक लम्बे लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार का अध्ययन किया है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) . जी, हां ।

(ग) उसमें व्यक्त राय को देख लिया गया है ।

विदेश जाने वाले फिल्म प्रतिनिधिमंडलों के गठन की प्रक्रिया के संबंध में शिकायत

1520. श्री पी० के० देव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्र पार्टी के मुख्यालय ने विदेश जाने वाले फिल्म प्रतिनिधिमण्डलों के गठन की प्रक्रिया के विरोध में प्रधान मंत्री को पत्र भेजा है; और

(ख) क्या सरकार ने स्वतंत्र पार्टी द्वारा लगाये गए आरोपों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) शिकायत विदेश जाने वाले एक फिल्म प्रतिनिधिमण्डल के साथ भेजने के लिये फिल्म प्रभाग के एक विशिष्ट अधिकारी के चयन के विरूद्ध है ना कि प्रतिनिधिमण्डल के गठन के विरूद्ध ।

(ख) आरोप निराधार पाये गये हैं ।

आनन्द बाजार पत्रीका, कलकत्ता का स्वर्ण जयन्ती समारोह

1521. श्री जोतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मई, 1972 में आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता के स्वर्ण जयन्ती समारोह में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री को यह पता है कि इस समाचार पत्र के मालिकों पर अखबारी कागज के कोटे के दुरुपयोग सहित गंभीर कदाचार के आरोप हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1959–60 में अखबारी कागज़ के अनधिकृत निपटान के लिए समाचार पत्र के प्रकाशकों के विरूद्ध 1965 में विभागीय कार्रवाई की गई थी ।

Construction of Quarters for C. R. P. at Neemuch

1522. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the work for construction of 442 family quarters and 8 single-men's barracks for Central Reserve Police in Neemucch is going on in accordance with the sanction; and

(b) the time by which the quarters and the barracks would be ready ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) Barracks are expected to be ready by the end of 1974 and quarters by 1975.

Number of People living below Subsistence Level

1523. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the number of consumers in India below subsistence level;

(b) the percentage increase or decrease in their number during each of the last three Five Years Plan; and

(c) the number of years by which these people would be able to achieve the minimum subsistence level ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). Economic development in the last two decades has resulted in an all round increase in the per capita income. The proportion of the poor, defined as those living below a basic minimum standard of consumption, has slightly come down. Yet the absolute number of people below the poverty line today is just as large as it was two decades ago. And these people living in abject proverty constitute between two-fifths and one-half of all Indian citizens.

(c) Available projections suggest that if one has to rely on growth alone without directly tackling problems of unemployment and income distribution, it may take another 30 to 50 years for the poorer sections of the people to reach the minimum consumption levels. It will be neither feasible nor desirable to contemplate a waiting period of anywhere near such a duration. The economy now has reached a stage where larger availability of resources makes it possible to launch a direct attack on unemployment, underemployment and poverty, and also assure adequate growth. The strategy of development in the Fifth Plan is, therefore, being directly anchored to the objective of removal of poverty.

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल

1524. डा० कर्णी सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में लाभ होना आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष उसे कितना लाभ हुआ और यदि नहीं, तो यह कब तक 'न लाभ न हानि' की स्थिति प्राप्त कर लेगा ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इसे वर्षवार कितनी हानि हुई और उसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क), (ख) और (ग). वर्ष 1971-72 से अस्थायी लेखों से 85 लाख रु० के लाभ होने का पता चलता है। वर्ष 1971-72 के कम्पनी के लेखाओं की इस समय उनके लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की जा रही है।

1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों में हुई हानि नीचे दी गई है :

	1969-70	1970-71
	(लाख रुपयों में)	
सभी प्रकार के समायोजना के पश्चात शुद्ध हानि (आकड़े निकट पणाको में)	1,000	611

हानि के होने मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :

1. भारत विद्युत उद्योग के मामले में अधिक पूंजी लगने तथा प्रारम्भिक लम्बी अवधि होने के कारण ब्रिटिश परामर्शदाताओं ने इस परियोजना के लिए 1956 में तैयार की गई अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया था कि परियोजना लागू होने के प्रथम 11 वर्षों में हानि होगी।

2. जब मूल परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी तबसे उसके क्षेत्र में काफी परिवर्तन हो गए हैं और नए उत्पाद के तरीके अपनाए गए हैं। इसलिए, विभिन्न उत्पादों के लिए सिफारिश की गई प्रारम्भिक, अवधि के बाद में शुरु किए भारी उत्पादों के मामले में अभी तक पूरी नहीं हुई है।

3. हैवी इलेक्ट्रिकल (इण्डिया) लि० भोपाल को देशी तथा विदेशी दोनों सम्भरणकर्ताओं द्वारा कच्चे माल तथा पुर्जों की सप्लाई में गम्भीर कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। देशी माल की घटिया किस्म होने तथा देशी माल देर से मिलने और आयातित वस्तुओं के मामले में अत्यधिक विलम्ब होने से उत्पादन कार्यक्रम में व्यवधान पड़ा है।

4. 1969-70 में श्रमिक अशान्ति रही और इसके कारण अनुशासनहीनता होने तथा धीमें काम करने के तरीके अपनाए गए जिसके फलस्वरूप उत्पादन की अधिक हानि हुई।

5. कम्पनी को अत्यधिक इकट्ठी हानियों बस्ती के लिए सहायता देने तथा अन्य सामाजिक ऊपरी चों पर ब्याज दर अधिक देनी पड़ी।

कलकत्ता पत्तन क्षेत्र की रक्षा का कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को सौंपा जाना

1525. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता पत्तन के सम्पूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस पत्तन क्षेत्र में सुरक्षा बनाये रखने का दायित्व अब तक राज्य की पुलिस के हाथों में रहा है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). कलकत्ता पत्तन क्षेत्र में सुरक्षा बनाये रखने का उत्तरदायित्व अब तक पश्चिम बंगाल पुलिस और कलकत्ता पत्तन सुरक्षा संगठन का रहा है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को आंशिक रूप में पत्तन के भीतर सुरक्षा कार्यों के लिए रखा गया है। समस्त कलकत्ता पत्तन क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का प्रश्न विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में सीमेंट उद्योग

1526. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल का अपना कोई सीमेन्ट उद्योग नहीं है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में सीमेंट की मांग बढ़ गई है और वह प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ग) क्या सीमेन्ट के कारखाने स्थापित करने के लिए पुरुलिया और बर्दवान जिले उपयुक्त समझ जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . जी हां ।

(ग) और (घ). जी, हां । पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को पुरुलिया जिले के भलदा स्थान में 2 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये आशय पत्र दिया गया है ।

दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स को 6.0 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का एक स्लेग सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु काम जारी रखने का एक लाइसेंस प्रदान किया गया है ।

कलकत्ता के समाचार पत्रों में केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन

1527. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से इस समय प्रकाशित होने वाले (1) बड़े (2) मध्यम स्तर के और (3) छोट दैनिक समाचार पत्रों की संख्या क्या है ;

(ख) कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले (1) बड़े (2) मध्यम स्तर के और (3) छोटे दैनिक समाचार पत्रों को विगत तीन वर्षों में, वर्षवार केन्द्रीय सरकार द्वारा (केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों सहित) कुल कितने मूल्य के विज्ञापन दिए गए; और

(ग) कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले (1) बड़े (2) मध्यम स्तर के और (3) छोटे दैनिक समाचार पत्रों को विगत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितना अखबारी कागज आवंटित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(1) बड़े	6
(2) मंझौले	2
(3) छोटे	22

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापनों का मूल्य इस प्रकार है :—

	1969–70 रुपये	1970–71 रुपये	1971–72 रुपये
बड़े . . .	15,82,273	25,11,103	22,03,798
मंझौले . .	91,208	1,05,924	1,47,577
छोटे	49,516	89,086	63,681

केन्द्रीय सरकार के उन विज्ञापनों,जो रेलवे मन्त्रालय तथा पर्यटन विभाग जैसे विभागों द्वारा सीधे दिए गए, के बारे में सूचना एकत्र की जारही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायगी । केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों, जो स्वायतशासी हैं, द्वारा दिए गए विज्ञापनों से सम्बन्धित आंकड़े सरकार को सूचित नहीं किये जाते और वे तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रत्येक श्रेणी की मीटरी टन में अलाट किए गए अखबारी कागज़ की मात्रा इस प्रकार है :—

	1969-70	1970-71	1971-72
(1) बड़े . . .	22,160.32	20,627.11	22,105.55
(2) मंझौले . . .	1,438.52	1,313.84	1,344.71
(3) छोटे . . .	310.60	634.43	536.87

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के सुझाव

1528. श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री राम प्रकाश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के समाचार पत्रों के प्रेस संवाददाताओं को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विदाई समारोह में भाग लेने की अनुमति न देना

1529. श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के समाचारपत्रों और समस्त प्रादेशिक समाचारपत्रों के चण्डीगढ़ स्थित संवाद दाताओं को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विदाई समारोह के अवसर पर हवाई अड्डे में प्रवश की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) क्या समारोह में भाग लेने की अनुमति केवल कुछ विदेशी समाचारपत्र एजन्सियों और आकाश-वाणी के संवाद्दाताओं को ही दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त भेदभाव के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) और (ग). यह सही है कि चण्डी-गढ़ स्थित संवाददाता को राष्ट्रपति भुट्टो से, उनकी वापसी यात्रा पर चण्डीगढ़ हवाई अड्डे पर रुकने के समय मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकी । इस अवसर पर हवाई अड्डे में प्रवश को हवाई अड्डे के लाउन्ज में स्थान की कमी, सुरक्षा आवश्यकताओ, इत्यादी जैसे विभिन्न कारणों से सीमित करना पड़ा था । भेदभाव कोई नहीं था ।

(ख) इस अवसर को कवर करने की किसी भी विदेशी संवाद्दाता को अनुमति नहीं दी गई थी । केवल पी०टी०आई०, यू०एन०आई०, पत्र-सूचना कार्यालय, आकाशवाणी, फोटो प्रभाग तथा आकाश-वाणी (टेलीविजन) के प्रतिनिधि ही उपस्थित थे । दो अन्य समाचार एजन्सियां अर्थात हिन्दुस्तान समा-चार तथा समाचार भारती के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, क्योंकि अल्पसूचना पर उनसे सम्पर्क नहीं किया जा सका ।

सीमा पर प्रचार के बारे में अन्तर-मन्त्रालयी अध्ययन-दल

1531. श्री वी० मायावन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी सीमा के विभिन्न क्षेत्रों में परिस्थितियों का स्वयं, अध्ययन करने और प्रचार सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में सिफारिशों करने के लिए 1967 में गठित अन्तर-मत्रालयी अध्ययन-दल की रिपोर्ट उनके मन्त्रालय में कब से विचाराधीन है ;

(ख) इस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई है ; और

(ग) सरकार का विचार उन्हें कब तक क्रियान्वित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) सीमा प्रचार पर अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 12 नवम्बर, 1971 को दी थी।

(ख) तथा (ग) रिपोर्ट में निहित सिफारिशें कई राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों से संबद्धित है जो उनके परामर्श से विचाराधीन है।

सूचना नीति संकल्प

1532. श्री वी० मायावन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सूचना नीति संकल्प कब तक तैयार कर लेगी; और

(ख) सूचना नीति संकल्प के बारे में मन्त्रालय को नीति-निर्धारण सलाहकार समिति द्वारा किये गये मार्गदर्शन की विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सूचना नीति संकल्प अपनाने के प्रश्न पर नीति निर्धारण सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि इसकी विभिन्न संबंधित हितों के परामर्श से गहराई से जांच की जाय। जांच अब की जा रही है।

(ख) इस बारे में नीति निर्धारण सलाहकार समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार थी :—

(1) मीडिया यूनिटों को उनके कार्यकरण के लिए निर्देश पर उपलब्ध करना और इस प्रकार उनकी गतिविधियों के निमित्त उनको औपचारिक अधिकार देना;

(2) आधारभूत मूल्यों का समर्थन करना, विश्वास प्राप्त करना तथा सूचना और प्रचार के क्षेत्र में मीडिया यूनिटों का नेतृत्व स्वीकार करना; और

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यकरण विस्तृत राष्ट्रीय जीवन के सन्दर्भ में चलाना।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रचार सैल

1533. श्री वी० मायावन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में अभी हाल में गठित प्रचार सैल का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों में जनता का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने में केन्द्रीय नागरिक परिषद के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखना है; और

(ख) क्या नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा निकाले जाने वाले पोस्टरों, पुस्तिकाओं और विज्ञापनों आदि पर प्रचार सैल के माध्यम से कार्यवाही की जाती है और यदि नहीं, तो यह कार्य अब किस प्रकार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रचार सामग्री संबंधित मीडिया यूनिटों द्वारा अपने आप तथा जहां आवश्यक हो केन्द्रीय नागरिक परिषद् से परामर्श करके तैयार की जाती है। जब भी आवश्यक होता है, प्रचार सैल द्वारा मार्ग दर्शन किया जाता है।

कच्चे माल के मूल्य

1534. श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशा, कैलकिन्द पेट्रोलियम, कोक ग्रेफाइट इलेक्ट्राडस आदि कच्ची वस्तुओं की कीमत में तेजी आई कपास, बिनोला, जूट और पिस्ता, गोला, मूंगफली आदि जैसी कुछ अन्य कच्ची वस्तुओं के भाव में मन्दी आई है ।

कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि वेतन बिल, परिवहन लागत, उत्पादन कर तथा विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों में वृद्धि पर्याप्त उत्पादन और आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों के फल स्वरूप हुई है ।

(ग) सरकार इस्पात और देशी अन्य कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये तथा विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के और प्राथमिकता क्षेत्र के उद्योगों तथा निर्यात परक एककों के लिये कच्चे माल का आयात करने हेतु आवश्यक अभ्युपाय कर रही है ।

दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध शिकायत

1535. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जूलाई, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की गई है, जिन्होंने एक दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उस से 150 रुपये ले लिए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आरोप की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप यदि कोई कार्यवाही की गई तो क्या?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब पुलिस नियम 16.38(1) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का आदेश दिया है ।

(ग) जांच की रिपोर्ट अभी आनी है।

इलैक्ट्रोनिकी आयोग में तकनीकी विशेषज्ञ पैनल

1536. श्री के० लकप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेट्रोनिकी के क्षेत्र में "तकनीकी विशेषज्ञ पैनलों" का गठन करने का सरकार ने निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक कोई ऐसा पैनल गठित किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, इलेक्ट्रोनिक्स आयोग ने इलेक्ट्रोनिक्स में विशिष्ठ क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों का परीक्षण करने के लिये विशेषज्ञ तकनीकी पैनलों का निर्माण करने का निश्चय किया है ।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों के लिये अब तक ऐसे छः पैनलों की स्थापना की जा चुकी है :—

1. इलेक्ट्रोनिक डेस्क केलक्यूलेटर्स,
2. फेराइट,
3. अर्ध-कंडक्टर डिवाइसेस,

4. टेलीविजन सैटों के लिये ग्लास वल्व,

5. इलेक्ट्रानिक्स कनैक्टर्स,

6. लघु कंप्यूटर्स

तकनीकी पैनलों के अतिरिक्त, देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोज्यता क्षेत्रों के लिये कंप्यूटर संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के लिये मूल्यांकन समिति का निर्माण किया गया है जैसे, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर तथा मद्रास। परमाणु ऊर्जा आयोग के लिये घरेलू कंप्यूटर आयोग की आवश्यकताओं का परीक्षण करने के लिय ऐसी ही एक समिति का गठन किया गया है।

साइकिलों के लिए आटो इंजनों का निर्माण करने हेतु आवेदन पत्र

1537. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साईकिलों के लिए आटो इंजिनों का निर्माण करने हेतु लाइसेंसों के लिए गत वर्ष कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) आवेदकों के नाम क्या है और आवेदनपत्रों की तिथियां क्या है; और

(ग) क्या कोई लाइसेंस जारी किया गया और यदि हां, तो कब और किस को ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1971 के प्रारंभ से प्रैक्शनल मल्टिपिल हार्स पावर पेट्रोल इंजिनों के उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेन्स हेतु एक आवेदन 15-3-71 को बम्बई के श्री के० एस० प्रकाश से तथा दूसरा आवेदन 28- 4- 1972 को अहमदाबाद के मै० अम्बिका मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स से प्राप्त हुआ है।

(ग) अभी तक किसी भी पार्टी को लाइसेन्स जारी नहीं किया गया है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदन

1538. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास में उत्तर प्रदेश से लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा प्रत्यक पार्टी के नाम और पते क्या है और उन्होंने किस प्रकार के लाइसेंस मांगे ;

(ख) कितने आवदनों पर निर्णय किया जा चुका है; और

(ग) कितने आवेदनों पर लाइसेंस दिए गए है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): जनवरी से जून 1972 की अवधि में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये उत्तर प्रदेश से 162 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अनिर्णीत आवेदन पत्रों का ब्यौरा साधारणतया बताया नहीं जाता है। इन 162 आवेदन पत्रों में से 125 नये उपक्रम स्थापित करने, 9 पर्याप्त विस्तार करने, 24 नई वस्तुएं बनाने, 3 कार्य चालू रखने तथा एक स्थानान्तरण के लिये है। इसी अवधि में 119 आवेदन पत्र निबटा दिये गये हैं जिनमें से 13 उसी अवधि में प्राप्त हुए थे।

(ग) इस अवधि में 23 लाइसेंस तथा 61 आशयपत्र दिये गये है।

मोटरसाइकिलों के निर्माण के लिए आवेदन पत्र

1539. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 मास से अधिक समय से औद्योगिक लाइसेंस के कितने आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में मोटर-साइकिलों के निर्माण के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनके नाम तथा पते क्या है; और

(ग) इन में से कितने आवेदन मंजूर किये गये हैं और कितने ना मंजूर कर दिए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 2194 ।

(ख) और (ग): गत दो वर्षों में मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु नये उद्योगियों के तीन आवेदन पत्र और मोटर साईकिलों के विद्यमान निर्माताओं से अपने उपक्रम का विस्तार करने के लिये भी तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु

क्रम संख्या	प्रार्थी का नाम और पता
1	मैं० चौगुले इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, चौगुले हाउस, मार्मुगोवा हारबर, गोवा ।
2	श्री विश्वनाथ दत्तात्रेय मुकेरीकर, कनसल्टैंट इंजीनियर, 56, दरबार रोड, राजपिपला (गुजरात) ।
3	मैसर्स मेहता-निहान आटोक्राफ्टस, नागर जूनासागर रोड, कुसुमनगर, हैदराबाद- 35 ।

विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के भौतिक विस्तार हेतु

क्रम संख्या	आवेदक का नाम और पता
4	मैसर्स एनफील्ड इण्डिया लिमिटेड, रोयल एनफील्ड बिल्डिंग, पोस्ट बैग नं० 5284, तिरुवत्तिपुर मद्रास- 19 ।
5	मैसर्स आईडियल जावा (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मैसूर-2 ।
6	मैसर्स एस्कार्टस लि०, मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा) ।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 और 6 के आवेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

क्रम संख्या 2 का आवेदन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन नहीं आता है अत: प्रार्थी को तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण का परामर्श दिया गया था।

क्रम संख्या 4 के मामले में प्रार्थी को उद्योगों के (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक औद्योगिक लाइसेंस दे दिया गया है।

क्रम संख्या 3 और 5 के प्रार्थियों को आशयपत्र जारी कर दिये गये हैं।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सरकारी उपक्रमों में स्थानान्तरण

1540. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारी सरकारी उपक्रमों में स्थानान्तरित किए गए ;

(ख) उन के नाम तथा स्थानान्तरण से पहले उन के पद-नाम क्या थे और सरकारी उपक्रमों में उन्हें किन-किन पदों पर भेजा गया; और

(ग) क्या इन में से किसी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा या विभागीय जांच हो रही थी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मैसूर से उद्योगों के विस्तार तथा उनकी स्थापना के लिये लाइसेंसों के लिए आवेदन

1541. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में मैसूर सरकार से उद्योगों की स्थापना तथा उनके विस्तार के लिए लाइसेंसों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। किंतु नए उपक्रमों की स्थापना के लिए वर्ष, 1971 की अवधि में 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं और मैसूर राज्य औद्योगिक विनियोजन और विकास निगम से वर्ष 1972 में (30 जून, 1972 तक) 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवधि में विस्तार के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस प्रकार विवरणों को असान्य रूप से बताया नहीं जाता है।

(ग) वर्ष, 1971 और 1972 (30-6-72) तक की अवधि में प्राप्त आवेदनों में से नए एककों की स्थापना के लिए 4 आशय पत्र जारी कर दिए गए थे। दो आवेदनों का अन्यथा निपटारा कर दिया गया है। शेष तीन आवेदन विचाराधीन है।

जलिक का कीट नाशकों के रूप में प्रयोग के बारे में अनुसंधान

1542. **श्री बेकारिया** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० टी० के प्रतिस्थापन और कीटनाशकों के रूप में जलिक का प्रयोग करने के बारे में परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र द्वारा किया गया अनुसंधान उपयोगी सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापारिक कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करने के बारे में कोई प्रस्ताव किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की प्रयोगशाला में लहसुन के सत का अध्ययन सभी प्रकार के मच्छरों, घरेलूमक्खियों के अण्डों, आलू के कीड़ों, कई में लगन वाले लाल कीड़ों, ताड़ वृक्ष में लगने वाली घुन तथा अनेक प्रकार के अन्य हानिप्रद कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये किया गया है। यह पता लगाने के लिये कि क्या इसका प्रयोग डी०डी०टी० के स्थान पर किया जा सकता है, अभी बड़े पैमाने पर परीक्षण किये जाने शेष है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Persons belonging to Scheduled Castes among Sikhs

1543. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the number of Sikhs shown in the Census of 1971 includes those Sikhs who belong to Scheduled Castes;

(b) if so, the number of those Sikhs who belong to the Scheduled Castes; and

(c) whether the number of Sikhs has increased in the Census of 1971 in comparison to 1961 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :
(a) Yes, Sir.

(b) The information is not available.

(c) The sikh population has increased from 7,845,098 in 1961 to 10,378,797 in 1971.

मृत कर्मचारियों के परिवारों के प्रति डाक–तार विभाग का दायित्व

1544. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर (म०प्र०) के एक सब-पोस्ट आफिस के मृत कर्मचारियों, जिनकी कार्यालय में ड्यूटी के समय सेंध मारने वाले चोरों ने हत्या कर दी थी, के परिवार के सदस्यों की देख भाल करने की जिम्मेदारी डाक-तार विभाग ने संभाली है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप रेखा क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार की परिस्थितियों में अन्य सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी ऐसी ही सुविधाएं देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, कुछ हद तक।

हर एक मृत व्यक्ति की अन्त्येष्टि के खर्च के अलावा हर एक परिवार को चौबीस घंटों के अंदर 500 रुपये नकद अनुदान दिया गया था।

गन कैरिज फैक्ट्री ने भी प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये अदा किए हैं। इसके अतिरिक्त परिवारों को मृत्यु व सेवा निवृत्ति उपदान भी दिया गया है।

दो कर्मचारियों के पुत्रों को विभाग में उचित नौकरी पर लगा दिया गया है। तीसरे व्यक्ति का पुत्र 4 वर्ष का है। उसकी शिक्षा के लिए विभाग ने छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया है। बताया गया है कि इस लड़के की मां का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विभाग ने इस के इलाज का खर्च अदा करने की पेशकश की है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृतक कर्मचारी के परिवार के लिए 10,000 रुपये के अनुदान की मंजूरी भी दी गई है।

(ख) और (ग). इस मामले में समान्य मार्ग निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित करना संभव नहीं है। "डाक-तार कल्याण निधि" में उपलब्ध राशि के अनुसार हर एक मामले पर उस के गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

1546. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री विरन्द्र सिंह राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सीमेन्ट की कमी है और क्या यह काले बाजार में बहुत महंगा बिक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नियन्त्रित मूल्यों पर इसे जनता को उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : गत मास में कुछ समय के लिए सीमेन्ट कम आने से राजधानी में सीमेन्ट की अस्थायी कमी हो गई थी। स्थिति को काबू में लाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाये है :—

(1) केवल अगस्त, 1972 की अवधि में प्रतिदिन $2\frac{1}{2}$ ब्लाक रेक की दर पर लगभग 90,000 मी० टन सीमेन्ट लाने की व्यवस्था की गई है।

(2) भारत सुरक्षा नियम के अधीन दिल्ली में 28-4-1972 से सीमेंट का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है।

(3) दिल्ली सीमेंट (लाइसेन्सीकरण तथा नियंत्रण) आदेश, 1972 लागू कर दिया गया है।

(4) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से सीमेंट के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।

(5) रेलवे साइडिंग से सीमेन्ट की सप्लाई लेने से पहले अब रेलवे रसीद पर पावती पृष्ठांकन अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) छापे मारे गये है और स्टाक की स्थिति न बताने और अधिक दाम लेने आदि के बारे में पुलिस म मुकदमें दर्ज करा दिये गये हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के धोखा घड़ी के मामले के अभियुक्त की मृत्यु के संबंध में जांच

1547. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के धोखा घड़ी के मामले के अभियुक्त की मृत्यु, जो कि 2 मार्च, 1972 को हुई थी, के सम्बन्ध में जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या जांच रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां।

(ख) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों के अनुसार 2 मार्च 1972 को श्री आर० एस० नागर वाला को दिल का दौरा अर्थात मियो कार्डियल इनफ्र्कशन हुआ था और सभी उपाय करने के बावजूद वह बच नहीं सका।

(ग) जांच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखीं गयीं देखिये। संख्या एल०टी 3329/72**]।

आकाशवाणी प्रशासन का विकेन्द्रीकरण

1548. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के बारे में जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था, उस पर निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

अलीपुर रोड, दिल्ली पर एक घातक दुर्घटना होने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करना

1549. **श्री भोला मांझी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 19 अप्रैल, 1972 को अलीपुर रोड, दिल्ली पर एक घातक दुर्घटना हुई थी ;

(ख) क्या मृतक के भाई ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय डाकघर में एक चपड़ासी है, इसकी रिपोर्ट सिविल लाइन्स पुलिस थाने में लिखाई थी ;

(ग) क्या 5 जून, 1972 के "टाइम्स आफ इण्डिया" नई दिल्ली में प्रकाशित श्री राज चटर्जी नामक व्यक्ति के पत्र में इस घटना का ब्यौरा दिया गया था ;

(घ) इस दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त कार एक सेवा निवृत्त मेजर जनरल की थी जो उसी के नाम से रजिस्टर्ड है ;

(ङ) क्या पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(च) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा विधवा की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) श्री राम सुधार चश्मदीद गवाह के बयान पर सिविल लाईन्स पुलिस स्टेशन पर एक मामला दर्ज किया गया था। मृत श्री कान्ता प्रसाद के भाई ने, जो विश्वविद्यालय के पोस्ट आफिस में कार्य कर रहा है, घटना के पन्द्रह दिन बाद एक आवेदनपत्र भेजा था।

(ग) श्री चटर्जी का पत्र 5 जून, 1972 के "स्टेटमैन" में छपा था।

(घ) कार नं० डी० एल० बी० 176 जो घटना में अन्तर्ग्रस्त थी सेवानिवृत्त मेजर जनरल के नाम में दर्ज है।

(ङ) और (च) . मामले की जांच अभी तक जोरो से लगातार की जा रही है और कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। मृतक की विधवा भी अदालत में क्षति के लिये दावा कर सकती है।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में डाक-तार सुविधाएं

1550. **श्री अजीत कुमार शाहा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में वर्तमान डाक तथा तार की संचार सेवाएं वहां की जनता की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस जिले में बेहतर संचार व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) . पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूदा डाक सुविधाएं आमतौर पर पर्याप्त है। इस जिले में इस समय 269 डाकघर काम कर रहे हैं। यहां का हर डाकघर औसतन 22.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 5938 जनसंख्या को सेवाएं देता है जबकि देश भर में औसतन प्रति डाकघर क्रमशः 28.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 4901 जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। तथापि पुरुलिया जिले में डाक सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 20 नये डाकघर और खोल दिए जायं। जहां तक तार सुविधाओं का संबंध है, इस जिले में इस समय 17 तारघर

है। यह प्रस्ताव है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में 10 और डाकघरों में तार सुविधाएं दे दी जायं। इसके अलावा आसनसोल या कलकत्ते के लिए भारी तार-यातायात के निपटारे के लिए अतिरिक्त तार सर्किट और टेलीप्रिंटर सर्किट देने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

इस्पात की पाइपों का उत्पादन

1551. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में इस्पात के कुल कितने पाइपों का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या पिछले कुछ समय से इन पाइपों का उत्पादन कम हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में गत तीन वर्षों में संगठित क्षेत्र में इस्पाती पाइपों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा : —

वर्ष	उत्पादन		
	पानी, ढांचे आदि के लिए ब्लैक तथा गल्वेनाइज्ड इस्पाती ट्यूबें	साइकिलों ट्रांस-फार्मरों आदि के लिए ई० आर० डब्ल्यू० ट्यूब	बिना जोड़ की इस्पाती ट्यूबें
1969 . .	2,99,293 टन	25,998 टन	24,429 टन
1970. .	2,15,578 टन	32,680 टन	29,254 टन
1971. . . .	2,19,417 टन	31,458 टन	26,058 टन

(ख) 1970 तथा 1979 के वर्षों में ब्लैक तथा गल्वेनाइज्ड इस्पाती पाईपों तथा ट् बों का उत्पादन 1969 में हुए ट्यूबों के उत्पादन की तुलना में कम हुआ जबकि अन्य श्रेणी की ट्यूबों का उत्पादन 1969 की अपेक्षा 1970 तथा 1971 में अधिक हुआ था।

(ग) इन वर्षों में इस्पाती पाईपों तथा ट्यूबों का निर्माण करने के लिये आपेक्षित देशी संकल्प स्टिपों की कमी थी। तथापि घरलू सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिए उद्योग को इस्पात आयात की अनुमति दी गई है तो भी आयात की मंजूरी और आयातित इस्पात की वास्तविक प्राप्ति में जो समय लगता है उसके कारण उत्पादन में कमी हो गई है।

आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम में उड़ीसा के बारे में प्रसारण

1552. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के बारे में 8 जून, 1972 को आकाशवाणी से 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह पूर्णतः पक्षपातपूर्ण था और इस संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 5 जून, 1972 को 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के बारे में कोई प्रसारण नहीं हुआ था।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Production and requirement of Tractors

1553. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether India has become self-sufficient in regard to tractors; and

(b) the annual demand and production of tractors in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Excepting that there is a large pending demand for one popular model, the production of different models of tractors in the country is more than sufficient to meet the current demand.

(b) The demand had been estimated by the Ministry of Agriculture at 90,000 tractors per annum by 1973-74. However, considering the low offtake at present, the actual demand is much less. National Council of Applied Economic Research is carrying out a scientific study with a view to assess a realistic demand. The production of tractors durirg the year 1971-72 was about 18,000. Factlities would be provided to the manufacturers during 1972-73 provided there is adequate offtake.

डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की अदायगी

1554. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोकामेह, बरौनी, बेगुसराए, हाथीडाह और फर्टिलाइजर कारपोरेशन रांची से 20 किलोमीटर की परिधि में स्थित कार्यालयों में नियुक्त डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) क्या बेगुसराए, हाथीडाह, मोकामेह तथा बरौनी एक्सचेंज और बरौनी तेलशोधक कारखाना डाकघरों के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर परियोजना भत्ते की अदायगी बंद कर दी गई है ; और

(ग) क्या सरकार मोकामेह, बेगुसराए और हाथीडाह में नियुक्त डाक तथा तार कर्मचारियों को पहले की तरह यह सुविधा देने के बारे में विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां।

(ग) उर्वरकनगर डाकघर में काम करने वाले कर्मचारियों को परियोजना भत्ता अदा करने और बरौनी एक्सचेंज और बरौनी आयल रिफाइनरी डाकघर के कर्मचारियों को इस तरह का भत्ता मंजूर करने के लिए पात्र मानने के प्रश्न विचाराधीन है। दूसरी जगहें परियोजना इलाके में नहीं आतीं, इसलिए वहां काम करने वाले कर्मचारी यह भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं।

अतिरिक्त विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट

1555. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) अतिरिक्त विभागीय जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर कितना अतिरिक्त व्यय आने की सम्भावना है; और

(ग) डाक तथा तार विभाग के अधीन काम करने वाले अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को क्या मुख्य लाभ होंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). इस समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

दिल्ली के वकीलों और एडवोकेटों द्वारा दिल्ली में दरियागंज के पुलिस थाना इंचार्ज को मुअत्तिल करने की मांग

1556. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री अमर नाथ चावला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के वकीलों और एडवोकटों ने दिल्ली में दरियागंज के पुलिस थाना इंचार्ज को मुअत्तिल करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस थाना इंचार्ज के विरुद्ध एक वकील को हथकड़ी लगा कर उसे न्यायालय ले जाये जाने के आरोपों की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 13-7-1972 को एक एडवोकेट, श्री बलवीर सिंह को उनके मकान मालिक से झगड़ा होने के परिणामस्वरूप जिसमें मकान मालिक को चोटें आई थीं, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन दरियागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। श्री बलवीर सिंह को 14-7-1972 को पुलिस स्टेशन से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाते हुए हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। इस पर बार के सदस्य कुपित हो गये जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) और फिर जिला मजिस्ट्रेट के पास एस० एच० ओ० दरियागंज और जांच अधिकारी के मुअत्तिल करने की मांग लेकर गये। बार के सदस्यों का आरोप था कि एस० एच० ओ० दरियागंज और जांच अधिकारी दोनों ने श्री बलबीर सिंह एडवोकेट के साथ अत्याचार किया है और उनका महान अपमान किया है। डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट ने पंजाब पुलिस नियम 16.38 (1) के अधीन एक जांच करने का आदेश दिया और इस मामले में जांच अधिकारी को मुअत्तिली करने का फैसला किया। तत्पश्चात् उप-राज्यपाल ने एस० एच० ओ० दरियागंज पुलिस स्टेशन को मुअत्तिली के आदेश दिये।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) जांच अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचा कि श्री बलवीर सिंह एडवोकेट के साथ हाथापाई करने तथा पीटने के बारे में आरोप सही नहीं है। किन्तु उनको 13-7-1972 को हवालात में रखे जाने की सम्भावना पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती है। हथकड़ी लगाने के आरोप अभी साबित किये जाने हैं।

बिहार के पतरातू तापीय बिजलीघर में और उसके चारों और ट्रांसमीटरों का फेका जाना

1557. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पतरातू तापीय बिजली घर में तथा उसके चारों और हाल ही में कुछ ट्रांसमीटर फेंके गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनके स्रोत का पता है ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्य से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के बारे में सचिव समिति का भिन्न मत

1558. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिव समिति ने प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश पर असहमति प्रकट की है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को कार्यात्मक सेवा (फंक्शनल सर्विस) बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश अभी सरकार के पास विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में इलैक्ट्रानिक्स एककों की स्थापना

1559. श्री राम प्रकाश : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में इलैक्ट्रोनिक्स एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). बंगाल राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, दि वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कारपोरेशन, कलकत्ता ने जुलाई के मध्य दो आवेदन-पत्र प्रस्तुत किय हैं। ये आवेदन पत्र वर्तमान में विचाराधीन है।

उड़ीसा की आदिवासी लड़कियों की बिक्री के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

1560. श्री एम० एस० संजीवी राव :
श्री ई० बी० विखे पाटिल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आदिवासी लड़कियों की बिक्री के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की जा रही जांच पूरी हो चूकी है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उड़ीसा में आदिवासी लड़कियों की बिक्री के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है। किन्तु, आसूचना ब्यूरो समेत विभिन्न राज्यों में आदिवासी लड़कियों के अनैतिक व्यापार के बारे में एक जांच कर रहा है। आसूचना ब्यूरो से जांच को शीघ्र पूरा करने को कहा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी पंच वार्षिय योजना का प्रारुप

1561. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही :**
श्री बी० वी० नायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारुप तैयार करने के लिये सरकार ने कार्यवाहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रारुप कब तक तैयार हो जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत रुपरेखा योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये एक प्रपत्र, जिसका नाम "पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण" हैं, में बतलाई गयी है और उसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी 30 और 31 मई, 1972 को हुई बैठकों में स्वीकार कर लिया है। यह प्रपत्र सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

(ग) रूपरेखा के मसौदे को जून 1973 तक अन्तिमरूप दे दिये जाने की सम्भावना है।

Stationing of Military Battalion near Barauni Oil Refinery

1562. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to station a Military Battalion near *Barauni* Oil Refinery; and

(b) if so, whether the said decision has been taken by Central *Government* or *by* State Government or with mutual consultation of both ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise .

कम्प्युटरों का उत्पादन

1563. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कम्प्यूटरों का उत्पादन करने के बारे में सरकार ने नये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत में कंप्यूटरों का उत्पादन करने के विषय में नये निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा उन का अंगीकरण जो इलैक्ट्रानिक्स विभाग की 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट में भी दिये जा चुके हैं, नीचे दिये जा रहे हैं :--

(1) कंप्यूटरों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये स्वदेशी डिजाइन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(2) भविष्य में कम्पूटर प्रणाली के लिए सभी निर्माण कार्यक्रम उन शर्तों पर आधारित होंगे जो देश में दूसरे निर्माण कार्यक्रमों पर सामान्यतः लागू होती हैं।

(3) मेजोरिटी विदेशी सहयोग निर्माण कार्यक्रम आम तौर पर तभी स्वीकार किया जायेगा जिसका आधार 100% निर्यात होगा। यह 100% विदेशी इक्वीटी व्यवसाय पर आवश्यक लागू होगा।

(4) राष्ट्रीय नीति के रूप में 'एज इज' मशीन के नवीकरण पर आधारित किसी भी भावी निर्माण कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं दी जायगी। 'एज इज' मशीनों पर आधारित वर्तमान कार्यक्रम को क्रमशः समाप्त कर दिया जायगा।

उद्योग में कच्चे माल की कमी

1564. **श्री एस० ए० मुरुगन्तनम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के विस्तार के कारण सरकार के समक्ष कच्चे माल की समस्या उपलब्ध हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करने में सरकार को कठिनाई आ रही है; और

(ग) इससे हमारे औद्योगिक उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). कुछ तो प्रमुख कच्चा माल बनाने वाले कुछेक उद्योगों में मन्दी आ जाने के कारण तथा कुछ इन का प्रयोग करने वाले नये उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप कच्चे माल के सम्भरण में कमी रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव इस्पात का प्रयोग करने वाले उद्योगों पर पड़ा है।

मानसून के दौरान आदिवासी जिलों में संचार सम्पर्क भंग होना

1565. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के दौरान सरगुजा और सिद्धी जैसे आदिवासी जिला मुख्यालयों का सम्पर्क देश के शेष भागों से काफी समय तक टूटा रहता है;

(ख) संचार सम्बन्धों में इस व्यवधान का क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). : प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना

1566. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) मध्य प्रदेश के वास्तविक निर्वासियों के, वहां, के पिछड़ेपन और गरीबी को देखते हुए अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश के लिए केन्द्रीय सरकार क्या सुविधाएं देने पर विचार कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) लोकसभा प्रश्न संख्या 1102 दिनांक 2-6-1971 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) संविधान के सार्वजनिक रोजगार के सम्बन्ध में जन्म अथवा निवास के आधार पर भेद करने की मनाही की गई है।

लघु उद्योग क्षेत्र के माल के लिए व्यापार केन्द्रों की स्थापना

1567. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित माल के अन्त: प्रादेशिक, अन्त:राज्यीय निर्यात व्यापार के संवर्धन के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में 16 व्यापार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या केरल राज्य सरकार की मंजूरी के साथ केरल राज्य लघु उद्योग एसोसियेशन द्वारा एर्णाकुलम में उक्त प्रकार के व्यापार केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है; और यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव इस समय किस दशा में है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अभी नहीं। देश में व्यापार केन्द्रों की स्थापना के लिए एक माडल (आदर्श) योजना सरकार के विचाराधीन है। माडल योजना की स्वीकृति के तुरन्त पश्चात एरणाकुलम में व्यापार केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

केरल में अखबारी कागज बनाने के संयंत्र की स्थापना

1568 श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अखबारी कागज संयंत्र का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) (1) इस परियोजना के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है। चुनी हुई भूमि तथा इसके निकट की भूमि की कीमत पर केरल सरकार ने रोक लगा दी है। आवश्यक भूमि अधिग्रहण कार्य शुरु कर दिये गये हैं।

(2) प्रयोगशाला तथा वाणिज्यिक स्तर पर कच्चे माल की उपयुक्तता का परीक्षण कर लिया गया है।

(3) प्रारंभिक भूमि वर्गीकरण परीक्षण तथा भूमि का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ।

(4) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा राज्य सरकार के साथ अवस्थापना सुविधाओं के बारे में बात चीत की जा रही हैं ।

(5) राज्य सरकार ने कागज प्रौद्योगिकी संस्थान, सहारनपुर में प्रशिक्षण के लिये कुछ उम्मीदवारों को भेजा है ।

किसान आन्दोलन के संबंध में कार्यवाही करने के बारे में तमिलनाडु के प्रतिपक्ष में नेताओं से अभ्यावेदन

1569. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में किसान-आन्दोलन के प्रति राज्य सरकार के रूख के बारे में तामिलनाडू के विरोधी दलों के नेताओं से कोई अभ्यावेदन उन्हें प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) उनके बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). सरकार को तमिलनाडु में आन्दोलन को दबाने के लिए पुलिस की ज्यादतियों और उसके समाज-विरोधी तत्वों के साथ गुप्त रूप से सहयोग करने के आरोपों के बारे में जनता के लोगों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों से अनेकों अभ्यावदेन प्राप्त हुए । 5 जुलाई, 1972 को पुलिस के गोली चलाने की न्यायिक जांच के लिये विशिष्ट मांग की गई थी ।

(ग) जैसा कि प्रेस में छपा है, राज्य सरकार और कृषकों की कार्यसमिति के बीच हाल ही में एक समझौता हो गया है । समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायिक जांच, जो पुलिस के गोली चलाने के संबंध में प्रारम्भ की गई थी, और आन्दोलनकारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये सभी आपराधिक मामलों को समाप्त करने की व्यवस्था है ।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को वित्तीय सहायता

1570. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को केन्द्रीय सरकार से नियमित रूप से वित्तीय सहायता मिलती रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक कुल कितनी सहायता मिली है; और

(ग) क्या इस संस्थान के कार्यकरण पर सरकार का कोई नियंत्रण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1961 में संस्था की स्थापना से जुलाई, 1972 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने कुल 1,15,99,681.00 रुपये का अनुदान दिया है ।

(ग) जी, हां ।

Launching of an India made Satellite from Russia

1571. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Space** be pleased to state:

(a) whether an India made satellite will be launched with the help of a Russian Rock e Carrier from Soviet land in 1974; and

(b) whether an agreement to this effect has also been signed by the two countries in Moscow ?

The Prime Minister, Minister of Automic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b) . Yes Sir.

Scheme for Clearing the Chambal-Jamuna Ravines in Dacoit in fested Areas

1572. **Shri Phool Chand-Verma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the High Level Study Team of the Central Government have considered an 800-crore rupee scheme in May, 1972 in regard to clearing the Chambal-Jamuna ravines in dacoit-infested areas of Madhya Pradesh, Utter Pradesh, Rajasthan and Gujarat and to reclaim them; and

(b) if so, the action taken so far in this regard and the steps proposed to be taken in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b). No Sir. The high Level Study Team has constituted four Sub-Committees and entrusted them with the job of preparing Integrated Development Plans for the Chambal Valley area of Madhya Pradesh, Utter Pradesh and Rajasthan. Their reports have not yet been received.

टेलीफोन सेवा की बिगड़ती हुई दशा

1573. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीफोनों का कार्यकरण दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। देश में टेलीफोन जाल में तेजी से विकास होने के बावजूद टेलीफोन प्रणालियों में सेवा का स्तर बरकरार रहा है या उसमें सुधार हुआ है।

(ख) टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। देश की टेलीफोन सेवा में आगे और सुधार लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं।

ग्राम स्तर पर योजना बोर्ड

1574. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्राम स्तर पर योजना बोर्ड स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) ऐसे बोर्डों का क्या कार्य होगा ; और

(ग) ये बोर्ड कब तक स्थापित हो जायेंगे तथा कार्य करना आरम्भ कर देंगे ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). योजना आयोग ने ग्राम स्तर पर योजना बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना निरूपित नहीं की है । तथापि, योजना आयोग ने यह सलाह दी है कि राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष योजना निकायों की स्थापना की जाये । इसमें पूरे समय के लिए एक गैर-सरकारी उपाध्यक्ष हो तथा वित्त एवं योजना मंत्री, तकनीकी विभागों के कुछ अध्यक्ष, तथा कुछ गैर-सरकारी अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ इसके सदस्य हों ।

बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने पहले ही राज्य आयोजना बोर्डों/आयोगों की स्थापना कर दी है । अन्य राज्यों में आयोजना बोर्डों की स्थापना के सम्बन्ध में विचार हो रहा है ।

सिम्पसन कम्पनी को अधिकार में लेना

1575. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिम्पसन समूह की कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को सिम्पसन ग्रुप कम्पनियों के प्रबन्ध को हाथ में लेने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । ये विचाराधीन हैं ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूंजीनिवेशकों द्वारा नियंत्रित औद्योगिक क्षमता

1576. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में विदेशी पूंजीनिवेशकों द्वारा नियंत्रित क्षमता कितनी है; और

(ख) लाभ, लाभांश तथा स्वामित्व आदि के रूप में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विदेशी पूंजी-निवेशकों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ संचित तथा अनुसूचित उद्योगों में बहुत पहले से कार्य कर रही हैं । औद्योगिक क्षमता कुल योग से ही नहीं आंकी जाती है क्योंकि औद्योगिक लाइसेंस मूल्य, टन भार या उद्योग की प्रकृति पर आधारित संख्या के आधार पर दिए जाते हैं ।

(ख) लाभ, लाभांश तथा स्वामित्व आदि के रूप में वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक बाहर गई विदेशी मुद्रा का विवरण अनुबन्ध 1 और 2 में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3330/72**

भारत में कम्प्यूटर बनाने के लिए रुसी सहयोग

1577. **श्री राम कंवर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के सहयोग से कंप्यूटर बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1972 के 'स्टेट्समेन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान में कोई सहायता नहीं दे सकता; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सरकार भारत में निकट भविष्य में कंप्यूटर के उत्पादन तथा कंप्यूटर पेरीफिरल्स के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक है इस प्रसंग में, इलैक्ट्रोनिक्स कमीशन आफ इंडिया के निर्माण कार्यक्रम को, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, सरकारी समर्थन प्राप्त है । कंप्यूटर के क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने हेतु जहां ऐसी जानकारी आवश्यक है, सरकार अनेक देशों में इस क्षेत्र में सामर्थ्य तथा क्षमता का अध्ययन कर रही है । इस उद्देश्य के लिये हाल ही में जुलाई, 1972 में एक कंप्यूटर विशेषज्ञों का प्रतिनिधि मंडल रूस तथा दूसरे पूर्वी यूरोपीय देशों को भेजा गया है । प्रतिनिधिमंडल के इस महीने के अंत तक लौट आने की आशा है । जैसा कि निश्चित है रूस के सहयोग से कंप्यूटर निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । 26 जून, 1972 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है । आगामी कार्रवाई प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त सरकार द्वारा की जायेगी ।

दिल्ली में लगे टेलीफोनों में भारी गड़बड़ी

1578. **श्री राम कंवर** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1972 के 'मदरलैंड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में लगे टेलिफोनों में भारी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है; और

(ख) क्या सरकार ने उस समाचार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । उक्त समाचार में जो असंगतियां, अतिशयोक्तियां और तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था, उनका हवाला देते हुए एक प्रत्युत्तर जारी कर दिया गया था ।

दिल्ली में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन

1579. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में इस समय दिये गये अस्थायी टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है ; और

(ख) प्रत्येक अस्थायी कनेक्शन को अधिक से अधिक कितने एक्सटेंशन दिये जाते हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1363 ।

(ख) आमतौर पर अस्थायी टलिफोन कनेक्शन की अधिकतम अवधि 4 साल की निर्धारित की गई है । किन्तु अपवादस्वरूप कुछ ऐसी अपरिहार्य स्थितियां भी होती है जिनमें निर्धारित

अवधि के बाद भी अस्थायी टेलिफोन चालू रखे जाते हैं जैसे—अस्थायी सरकारी विभागों, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, नगर निगम के पार्षदों, एम० एल० ए० और एम० एल० सी० आदि को दिए गए अस्थायी टलिफोन कनेक्शन । इसके अलावा इस नियम के अपवादस्वरूप कुछ अन्य उपयुक्त मामलों में भी भी जिन्हें सरकार जरूरी समझती है, अस्थायी कनेक्शनों को निर्धारित अवधि के बाद भी चालू रखने की इजाजत देती है ।

टेलीफोन तथा तार उपकरणों (स्टोर्स) की कमी

1580. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलिफोन तथा तार उपकरणों (स्टोर्स) की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण है और इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां । कुछ वस्तुओं की कमी है ।

(ख) यह कमी देश में अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की कमी और श्रमिक समस्याओं के कारण है । इसे पूरा करने के लिए अन्य रास्ते भी निकाले जा रहे हैं । सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का विस्तार किया जा रहा है और जहां-कहीं सामान का आयात करने के अलावा कोई चारा न हो, वहां आयात किया जाता है ।

दिल्ली में पुलिस थानों का पुनर्गठन

1581. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस थानों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न भारतीय बोलियों में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम

1582. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से कितने और किस-किस बोली में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें इस प्रयोजन के लिए नई बोलियां सम्मिलित करने की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3331/72**]

(ख) तथा (ग). जब भी नई बोलियों में कार्यक्रम चालू करने के अनुरोध प्राप्त होते है, उन पर, गुण-दोष आधार पर विचार किया जाता है ।

दिल्ली में दर्ज किये गये हत्या के मामले

1583. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 1971 और वर्ष 1972 की प्रथम छ महियां के दौरान दर्ज किये गये हत्या के मामलों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

1971 की प्रथम छमाही में	1972 की प्रथम छमाही में
63	59

कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों का वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के साथ विलय

1584. श्री डी० के० पन्डा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों की लम्बी अवधि तक बैठकें नहीं होती; जहां वे अब भी विद्यमान हैं और उन्हें अभी तक संयुक्त सलाहकार व्यवस्था द्वारा नहीं बदला गया है;

(ख) क्या कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों की सर्वसम्मत सिफारिशों को भी लागू नहीं किया जाता अथवा बहुत दिनों तक क्रियान्वित नहीं किया जाता; और

(ग) क्या कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों को उनकी वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के साथ मिलाने तथा उनके स्थान पर संयुक्त सलाहकार व्यवस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कर्मचारी सलाहकार व्यवस्था को अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित करके सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों को तत्सम्बन्धी वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । संयुक्त सलाहकार व्यवस्था को राष्ट्रीय परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में सभी मंत्रालयों/विभागों को जुलाई, 1967 में अनुदेश जारी किए गए थे कि ज्योंहि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अधीन संयुक्त परिषदें क्षेत्रीय, आंचलिक तथा कार्यालय स्तरों में कार्य करना शुरू करेंगी, त्योंही उनके द्वारा स्थापित कर्मचारी परिषदों को समाप्त कर दिया जायेगा । सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश भी जारी किये जा चुके हैं कि वे क्षेत्रीय/कार्यालय परिषदों की शीघ्र स्थापना के लिए योजना बनाएं ।

बन्द पड़े औद्योगिक कारखानों का नियन्त्रण अपने हाथ में लेने के लिए निगम

1585. श्री के० मालन्ना : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपड़ा मिलों के अतिरिक्त बन्द पड़े अन्य औद्योगिक कारखानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए एक नया निगम बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) : मामला विचाराधीन है ।

विदेशी मुद्रा का अवैध विनिमय करने वाले गिरोह

1586. श्री के० मालन्ना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि विदेशी मुद्रा के अवैध विनिमय करने वाले कई गिरोह देश में सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में देश में ऐसे कितने गिरोहों का पता लगाया गया है; और

(ग) सरकार ने इन गिरोहों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जुलाई, 1972 तक, एक वर्ष की अवधि के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अवैध विनिमय के 8 महत्वपूर्ण मामलों में जांच कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कारण बताओं नोटिस जारी किये हैं।

(ग) प्रवर्तक निदेशालय, उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में जिनका उसे पता चलता है, विधि के अनुसार कार्रवाई करता है। विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों को रोकने के लिए समय समय पर यथोंचित विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश की सेवाओं का क्षेत्रीयकरण

1587. श्री अरविन्द नेताम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सेवाओं का क्षेत्रीयकरण करने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार कुछ समय से यह महसूस करती रही है कि सेवा संवर्गों का क्षेत्रीयकरण कुछ सेवा संवर्गों में नियुक्ति की वर्तमान राज्य व्यापी प्रत्येक यूनिट (अर्थात् एकाकी) के स्थान पर नियुक्ति की एक से अधिक यूनिट बनाकर और नियुक्ति को यूनिटों के योक्तीकरण द्वारा किया जाना चाहिए। नियुक्ति यूनिटों के योक्तिकीकरण के आधार पर प्राप्त प्रशासनिक स्वरूप के कुछ लाभ इस प्रकार है, प्रशासन के बढ़ते हुए विकेन्द्रीकरण तथा विभागों के लिए दक्षतापूर्ण कार्यकरण को सुनिश्चित करने के संदर्भ में जिलों में कार्य कर रहे अधिकारियों के लिए स्थानीय परिस्थितियों का विशिष्ट तथा पारस्परिक ज्ञान प्राप्त करना जो अति आवश्यक है ; प्रत्येक श्रेणी में कार्मिकों का स्थानान्तरण लघु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तक सीमित किया जाए ताकि मितव्ययता तथा कर्मचारियों की अनावश्यक कठिनाइयां दूर की जा सकें, और राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई कतिपय सेवा समस्याओं का भी सन्तोषप्रद ढंग से समाधान किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा करीब 30 विभागों के लिए तैयार की गई प्रारूप योक्तिकरण योजनाओं की केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की गई है और राज्य सरकार को योजनाओं के लिए सामान्य अनुमोदन सूचित किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इस सम्बन्ध में सेवा नियमों में संशोधनों का औपचारिक अनमोदन प्रदान करे जिनकी राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है और जो योक्तिकीकरण योजनाओं तथा प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होगी।

केरल में डाकघर और टेलीफान की शाखाओं का विकास

1588. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान केरल में डाक तथा तार विभाग की डाक तार और टेलिफोन की शाखाओं के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : केरल राज्य में वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान डाक-तार विभाग की डाक, तार और टेलिफोन शाखाओं का विकास कार्यक्रम अनुबन्ध में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3332/72]**

Setting up of Industries in Rajasthan

1589. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to set up some new industries in Rajasthan;

(b) if so, the nature and locations thereof and the time by which the industries are proposed to be set up; and

(c) whether Rajasthan Government have also requested the Central Government to set up new factories in the State and if so, Central Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Presently there is no proposal to set up new industries in the public Sector in Rajasthan during the 4th five year plan. It is understood that the State Government has requested for setting up of some new industries in the State. These proposals will be considered on merits by the various authorities concerned.

Abolition of Privileges of I. C. S. Officers

1590. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the action taken, so far, in pursuance of the amendment made in the Constitution in regard to the abolition of privileges of I.C.S. officers; and

(b) the time by which necessary steps will be taken to abolish those privileges ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b). The Constitution (Twenty-eighth Amendment) Bill, 1972 providing for the omission of Article 314 of the Constitution and the insertion of a new Article 312 A for enabling Parliament to vary or revoke the conditions of service of officers of certain services guaranteed by article 314, has been referred to the State Legistaltures for ratification, in view of the fact that it seeks to make changes in some of the entrenched provisions specified in the proviso to clause (2) of Article 368 of the Constitution. After ratification by the Legislatures of not less than one half of the States and the Bill receiving the assent of the President, necessary legislation will be undertken for effecting suitable changes in the special conditions of service guaranteed by artcle 314 of the Constitution.

अन्तरिक्ष आयोग तथा रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन के बीच समन्वय

1592. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष आयोग प्रक्षेपणास्त्र और मार्गदर्शन उपकरणों के क्षेत्र में देश की रक्षा आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा ; और

(ख) अंतरिक्ष आयोग तथा रक्षा अनुसंधान और विवरण संगठन के प्रयत्नों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अन्तरिक्ष आयोग के कार्य से विकास के अन्य सभी क्षेत्रों की भांति भारत की रक्षा क्षमता में भी योगदान मिलेगा ।

(ख) जहां आवश्यक हो वहां बैठकों, विचार-विनिमय एवं मेल-जोल द्वारा सूचना का आदान-प्रदान कर समन्वय स्थापित किया जाता है ।

परमाणु संयंत्रों के प्रयुक्त ईंधन से यू–233 को अलग करने में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों को प्राप्त सहायता

1593. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या हमारे परमाणु संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन से यू-233 को अलग करने में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक सफल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यू-233 को अलग करने के लिए प्रोटोटाइप संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :(क) जी, हां ।

(ख) जब हमारे फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर में से यू-233 काफी मात्रा में प्राप्त होने लगेगा तभी यू-233 को अलग करने वाले प्रोटोटाइप संयंत्र को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की संख्या

1594. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति के उन अध्ययन ग्रुपों की संख्या कितनी है जिनमें प्रत्येक सदस्य कार्य करता है; और

(ग) प्रत्येक सदस्य के पूर्णकालिक उत्तर दायित्व क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति में दस सदस्य हैं । इनमें से कोई भी पूर्णकालिक आधार पर नहीं है ।

(ख) समिति ने नामिकाएं (पैनल) गठित की है । प्रत्येक नामिका में तीन-चार सदस्य हैं जिन्हें समिति मे से लिया गया है । औसतन प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व पांच नामिकाओं में होता है । नामिकाओं ने आगे, वैज्ञानिकों, तकनीज्ञों और अन्य विशेषज्ञों की मण्डिलयां और उप मण्डिलयां बनाई है ।

(ग) चूंकि सदस्यों में से कोई भी पूर्णकालिक आधार पर नहीं है इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रयासों में समन्वय

1595. श्री अमर नाथ चावला : क्या **गृह** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं सहित कुछ समस्याओं को हल करने के लिए अपने प्रयासों में समन्वय लाने को सहमत हो गए हैं;

(ख) क्या कुछ अन्तर्राज्यीय सिंचाई और विद्युत योजनाओं पर विचार करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त समिति का भी गठन किया गया है;

(ग) क्या योजना आयोग को भी इस कार्य से सम्बद्ध किया जायगा और यदि हां, तो किस रूप में;

(घ) इन दोनों राज्यों की समस्याओं के कब तक हल हो जाने की संभावना है; और

(ङ) देश के इन दोनों राज्यों के कितने जिलों को "पिछड़ा जिला" घोषित किया गया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). 10 जुलाई, 1972 को हुई केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद की अन्तिम बैठक में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि विभिन्न सिंचाई व बिजली परियोजनाओं, जिन्हें अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं के रूप में लिया जा सकता है, का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित करने को सहमत हो गये थे। यह भी सहमति हुई थी कि बुन्देलखण्ड के विकास में समन्वय लाने के लिये अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग के सम्बन्धित सलाहकार के साथ राज्यों की संयुक्त समन्वय समिति होनी चाहिए।

(घ) चूंकि पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास की समस्या में लम्बी अवधि की योजना निहित है, अतः कोई समय-सीमा निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में 27 जिलों और मध्य प्रदेश में 22 जिलों को सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा पिछड़े हुए जिले माना गया है।

अभ्रक के कागज का निर्माण

1597. श्री अमर नाथ चावला :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के बिजली उद्योग के अनुसंधान और विकास संगठन ने अभ्रक से कागज बनाने का तरीका निकाला है;

(ख) क्या इस संगठन ने अभ्रक से कागज बनाने के लिए बंगलौर में एक फर्म के साथ करार किया है और यदि हां, तो बंगलौर की इस फर्म का नाम क्या है और करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) अभ्रक से कागज कब तक बनाया जा सकेगा; और

(घ) इस समय अभ्रक से बने कितने कागज का आयात किया जाता है और इसके आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बिजली उद्योग के लिये अनुसंधान और विकास संगठन भोपाल ने बंगलौर के मे० सेनापति ह्वाइटली (प्रा०) लि० के साथ अभ्रक से कागज बनाने की तकनीकी बताने के लिए एक उद्योग करार किया है। करार की विस्तृत शर्तें ये हैं कि बिजली उद्योग के लिये अनुसंधान और विकास संगठन, भोपाल को 1 लाख रुपये की एक मुश्त राशि प्राप्त होगी तथा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रारम्भ हो जाने के बाद पांच वर्षों की अवधि तक कुल बिक्री से होने वाली आमदनी को 2-1/2 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में मिलता रहेगा।

(ग) बंगलौर की फर्म में 1974–75 तक अभ्रक से कागज तैयार किये जाने की सम्भावना है ।

(घ) अभ्रक से बने कागज के आयात और उस पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस वस्तु का "रिवाज्ड इण्डियन ट्रेड क्लासिफिकेशन" (संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण); जिसके आधार पर विदेशी व्यापार सम्बन्धी आंकड़े संकलित किए जाते है, अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

दिल्ली की एक मोटर गाड़ी फर्म द्वारा स्टीम कार का निर्माण

1598. श्री निहार लास्कर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एक मोटर गाड़ी फर्म ने भारत में स्टीम कार बनाने का प्रयास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्देश्वर प्रसाद) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फोनी बिजनेस आफ बॉम्बे टेलीफोन्ज

1600. श्री भान सिंह भौरा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 'ब्लिट्ज' दिनांक 10 जून, 1972 में "फौनी बिजनेस आफ बांम्बे टलीफोन्ज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) जांच के निष्कर्ष क्या है और क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस पत्रिका में छपे समाचार में दिए गए आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश के मछरिया गांव में दस हरिजनों को जिन्दा जला देने की घटना का समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री राम निवास मिर्धा उत्तर प्रदेश के मछरिया गांव में दस हरिजन स्त्रियों और बच्चों को जिन्दा जला दिये जाने के सम्बन्ध में पुनः एक वक्तव्य देंगे ।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 11 मई, 1972 को मुरादाबाद जिले के मछरिया गांव में अकस्मात एक आग लगी । गांव में अधिकांशतः हरिजन बसे हुए हैं । आग के कारण एक लड़के तथा तीन लड़कियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । एक वृद्ध महिला को सिविल

[श्री राम निवास मिर्धा]

हस्पताल, मुरादाबाद में दाखिल किया गया जहां घावों के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई । आग से पीड़ित व्यक्तियों को तत्तकाल उदार सहायता प्रदान की गई । राज्य सरकार का आग से पीड़ित व्यक्तियों को घरों के निर्माण के लिये भी सहायता देने का विचार है ।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Sir, I want to raise a point of order ....

Shri Hari Singh (Khurja) : I want to know whether the Harijans of the village had made a complaint to the District Magistrate that non-Harijans of the village were torturing them. I also wish to know the number of Harijan houses that were burnt and what financial assistance was provided to them ?

Shri Ram Niwas Mirdha : According to the information given by the State Government, the fire is said to be accidental and nobody had intentionally set the houses of Harijans to fire. 108 houses were damaged. There was a loss of Rs. 38,750.

The Tehsildar provided a sum of Rs. 8 thousand for immediate relief and the State Government has assured additional financial assistance for rebuilding of houses.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : It may be that in this case fire was accidental but the news of victimisation of Harijans are daily received from the other parts of the country. Does the Government propose to enact some special law for the protection of Harijans to save them from such atrocities.

Shri Ram Niwas Mirdha : There is no question of enacting any new law. What is needed is the effective implementation of the existing law and we have time and again advised the State Governments accordingly.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Speaker, Sir, the Harijans of the village have been subject to various atrocities for the last several days and reports of this were lodged with the police as well as the District Magistrate from time to time. The information given by the State Government is far from truth. The fire was not accidental. It was pre-planned. If Government institutes an enquiry, it will know the truth.

The hon. Minister has stated that in addition to the relief already given, the State Government has promised further assistance. I wish to know what aid has been given so far and what further assistance is to be given ?

Such an incident has occured in Maharashtra also..

Mr. Speaker : Don't go off the point.

Shri Hukam Chand Kachwai : Does the Government propose to set up any agency for immediate investigations of such incidents ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not fair to say that the report sent by the State Government is bogus. Nobody had set fire intentionally.

As the matter is exclusively a state subject, we have to depend on the State for such investigations.

श्री बी० पी० मौर्य : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं यह बात सही नहीं है कि राज्य सरकार या जिलाधीश को इस घटना के बारे में खबर नहीं है । यह बिल्कुल गलत वक्तव्य है । मैं इसे चुनौती देता हूं । आप एक जांच समिति नियुक्त कीजिए और वास्तविक तथ्यों का पता लगाइए ।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not yet been replied to. We have no faith in the State Government. The Government should institute an independent inquiry.

Secondly, I want to know what aid has been given so far and what further assistance is to be given.

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have already stated, the Tehsildar has provided a sum of Rs. 8 thousand for immediate relief and the State Government has assured additional financial assistance for rebuilding of houses.

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether Rs. 8,000 were distributed to the whole village or to a particular man only.

Shri Ram Niwas Mirdha : This information is not available with me.

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया नियमों के अनुसार मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री बूटा सिंह : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसमें कई व्यक्तियों की जिन्दगी का सवाल है । एक माननीय सदस्य ने मंत्री के वक्तव्य को चुनौती दी है । सदन में दिए गए तथ्य वास्तविक तथ्यों से परे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप और श्री मौर्य मंत्री महोदय से मिलकर उन्हें वास्तविक तथ्यों से अवगत करा दें ।

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : 8,000 रुपये की राशि बहुत कम है

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, my quesiton has not been replied to. I want to know whether the sum of Rs. 8,000 was distributed to the whole village or given to a particular man only....

Mr. Speaker : The hon. Minister has already replied to your question.

Shri Ramkanwar (Tonk) : The hon. Minister has stated that the fire was accidental. How far is it true ?

The sum of Rs. 8,000 which has been given by way of relief comes to Rs. 350 per family which, in the present times of high prices, is hardly sufficient to build even a straw hut.

Therefore, I propose that a committee of the Members of the Parliament be appointed to investigate into the matter in cooperation with Advrasis and Harijans find out whether the version of the State Government is true.

Shri Ram Niwas Mirdha : It were only the straw huts that were burnt. The sum of Rs. 8,000 is, of course, insufficient, but the State Government has assured further help and we are also thinking of providing some help out of the Prime Minister's Relief Fund.

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अनुसूचित जातियों क कल्याण का राष्ट्रपति पर विशेष दायित्व है । माननीय सदस्य यह कैसे कहते हैं कि यह कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न है । केन्द्रीय सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : I thank the hon. Minister for his statement that some help will be given out of the Prime Minister's Relief Fund such incidents are of frequent occurance in one or the other State. It may be a question of law and order for the concerned States but the Central Government also owes some responsibility in this regard.

There are essentially two reasons for such occurances. One is the land and the other is that whenever the Harijans wish to give up their ancestral occupation, the villagers deter them from doing so by coercion and undue influence. The persons responsible for this should be dealt with sternly according to law.

The relief promised by the State Government should be made available without delay as the rainy season is about to set in due to what the rebuilding of houses will be hampered.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is really a matter of regret that after 25 years of independence such incidents are taking place in the country. ...

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलिपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि आग अचानक नहीं लगी ? यदि आग अचानक लगी थी, तो उन्हें खेद क्यों हुआ ? इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट गलत है ।

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not correct to say that the report sent by the State Government is bogus. The State Government is equally worried. As far the question of providing more relief is concerned, we will certainly apprise the State Government of the feelings of the hon. Members of this House.

Shri Hukam Chand Kachwai : The truth will be known if C. B. I. investigates the matter.

सभा-पटल पर रख गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी. सुब्रह्मण्यम) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूँ । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3309/72]**

[चल चित्र अधिनियम 1952 श्री अंतर्गत चलचित्र (सैंसरशिप) संशोधन नियम]

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं श्री इन्द्र कुमार गुजराल की ओरसे चल-चित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चल-चित्र (सेंसरशिप) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 821 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या 3310/72]**

जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जांच आयोग (केन्द्रिय) नियम तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जांच आयोग (केन्द्रीय नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 899 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3311/72]**

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तगत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 793 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 794 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 933 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3312/72]

केन्द्रिय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचंद्र पन्त): मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1752 में प्रकाशित हुए थे।

(2) एस० ओ० 1753, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा जिस में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 का शुद्धि पत्र दिया गया है, जो दिनांक 14 नवम्बर, 1969 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4632 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3313/72]

गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

16 वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्त शासीजिलें) : अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 16 वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री नागालैंड में चलाई गई गोलियों के बारे में वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल के कथित दुराचरण के बारे में

REALLEGED MISCONDUCT OF P. A. C. IN FIROZABAD DISTRICT OF U. P.

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । हाल ही में मैंने फिरोज़ाबाद ज़िले का दौरा किया है । वहाँ कुछ दंगे हुए हैं और जिस ढंग से प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस ने वहाँ व्यवहार किया है वह वस्तुतः खेदजनक है और इसके लिए केन्द्र सरकार को कुछ उपचारात्मक कार्यवाही करनी होगी । उत्तर प्रदश के मुख्य मंत्री ने स्वयं विधान सभा में यह स्वीकार किया है कि जो कुछ फिरोज़ाबाद में हुआ है, वह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है । वास्तव में वहाँ अल्प संख्यक समुदाय के प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस ने अनुचित व्यवहार किया है । मैंने स्वयं उस स्थान का दौरा किया है और यह दखकर मुझे अत्यन्त दुख हुआ है कि वहां इस्लामिक इंटरमीडिएट कॉलिज को पूरी तरह से जला दिया गया है । इस से लगभग 5,40,550 रुपये की क्षति हुई है । कई घरों को लूटा गया । वहां की स्थिति देखकर मुझे जैसोर की याद आ गई । जिस प्रकार पाकिस्तानी सेना ने अवामी लीग के सदस्यों के घर-बार नष्ट किए उसी प्रकार प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के व्यक्तियों ने अल्पसंख्यंक समुदाय के लोगों के घरों में घुस कर गहने आदि निकाल लिए । वहाँ पुलिस स्टशन के सामने ही सब्जी मंडी को लूट लिया गया । मैं ने सदर बाज़ार की एक मस्ज़िद का भी दौरा किया और वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि मौलाना अब्दुल सलाम को कालीन में लपेट कर जिन्दा जला दिया गया । हिन्दू मुसलमान दोनों जातियों के लोगों ने यह स्वीकार किया है कि यह अत्याचार एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर नहीं किए गए । अतः मेरा निवेदन है कि मामले की जाँच कराई जाए ।

अहमदनगर की बैंगल्स कटिंग फैक्टरी को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है । यह बताया गया है कि जब फैक्टरी की तोड़-फोड़ का कार्य चल रहा था, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के व्यक्ति वहां मौजूद थे ।

इन घटनाओं से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के व्यक्तियों ने दुर्व्यवहार किया है । मैं इस मामले को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के संबंध में हुए प्रदर्शनों के साथ मिलाना नहीं चाहता । मैंने केवल आपको आंखों दखा हाल बताया है । संसद के कई अन्य सदस्यों ने भी उस स्थान का दौरा किया है । मेरा निवेदन केवल यही है कि गृह मंत्रालय इस मामले की जाँच करे । इस संसद को विश्वास में लेकर उसे वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया जाए । यह मामला इतना गंभीर है कि मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस संबंध में वक्तव्य दें ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : प्रो० मधु दण्डवते की बात का समर्थन करते हुए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहले दिन ही हमने तथाकथित दंगों के बारे में, चाहे वे अलीगढ़ में हो या बनारस में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था कुछ संसद सदस्य मुख्य मंत्री से भी मिले । उन्होंने बनारस तथा फिरोज़ाबाद में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के बर्बरतापूर्ण व्यवहार के विषय में बताया । मैं आपने माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अल्प संख्यक जातियों में फिर से विश्वास पैदा करने के संबंध में एक वक्तव्य दें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : राज्य सरकार ने फिरोज़ाबाद की घटनाओं की जांच करने के लिये आयुक्त के साथ पुलिस के महाअधिक्षक को नियुक्त किया था और बनारस में भी एक अन्य आयुक्त के साथ पुलिस के महाअधिक्षक को नियुक्त किया था । कुछ संसद सदस्यों ने भी इसके पश्चात्, फिरोज़ाबाद और बनारस का दौरा किया और केन्द्र तथा राज्य सरकार को घटनाओं के विषय में बताया । राज्य सरकार ने केन्द्र को बताया कि फिरोज़ाबाद के 28 मामलों तथा बनारस के बीस मामलों में, जो विशिष्ट आरोपों से सम्बन्धित हैं, उत्तर-प्रदेश सरकार का गुप्तचर विभाग जांच कार्य कर रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मुख्य सचिव के साथ जांच कार्य करने के लिये केन्द्र से हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी को मांगा है । अतः हमने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को फिरोज़ाबाद भेज दिया है और उन्होंने संयुक्त रूप से एक जांच भी की है जिसका प्रतिवेदन हमें अभी प्राप्त होना है । ये दोनों अधिकारी जांच करने के लिये बनारस भी जायेंगे ।

राजनीयक सम्बन्ध (वियना कन्वेंशन) विधेयक—जारी

DIPLOMATIC RELATIONS (VIENNA CONVENTION) BILL—*Contd.*

डा० हरि प्रसाद शर्मा (अलवर) : कल मैंने बताया था कि इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है कि देश के प्रतिनिधि के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये जिससे वे अपने कर्तव्यों को स्वतंत्रतापूर्वक पूरी कर सकें । इस संदर्भ में मैंने यह भी कहा था कि प्रतिनिधि निमंत्रक देश के आपराधिक तथा सिविल क्षेत्राधिकार से मुक्त होना चाहिये । वियना कन्वेशन में आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति मिली है परन्तु सिविल क्षेत्राधिकार से ऐसी उन्मुक्ति केवल संशोधित रूप में प्रदान की गई है । इस प्रक्रिया को यदि फलदायी बनाना है, तो राजदूतों को, पुलिस क्षेत्राधिकार से भी मुक्त रखना होगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Speaker, sir I want your ruling. There is no quorum in the House.

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाईये . . .

अब गणपूर्ति हो गई है, माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पुलिस के क्षत्राधिकार से मुक्त करने के मामले मे देश के यातायात नियमों की उल्लंघन समस्या बनकर सामने आता है । इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि राजदूतों को देश के यातायात नियमों तथा ऐसे ही अन्य नियमों का पालन करना ही चाहिये ।

जहाँ तक सीमाशुल्क संबंधी विशेषाधिकारो का प्रश्न है, बहुत से देश राजदूतों को आयात शुल्क क बिना ही वस्तुएं आयात करने की सुविधाएं देते हैं । परन्तु ऐसा करना आन्तर्राष्ट्रीय कानून का आवश्यक नियम नहीं है। हमारे देश में इस अधिनियम के बहुत से अपवाद पाये जाते हैं । इन अपवादों को कम करने के लिय नियम बनाने पड़े । केवल हमारे देश में ही ऐसा नहीं हुआ है । कनाडा जैसे दूसरे देशों में भी ऐसा ही किया गया है ।

[श्री हरिप्रसाद शर्मा]

अब मेजबान देश की सुरक्षा तथा उसके कल्याण का प्रश्न सामने आता है । यदि राजदूत अपने विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, जो मेजबान देश की सुरक्षा के विरुद्ध है, तो उस देश के द्वारा अपने हितों की रक्षा करना न्यायोचित है । राजनयिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये असीमित क्षेत्र नहो दिया गया है । उनके अधिकारों का प्रयोग दो आधारभूत नियमों से बंधा हुआ है । एक नियम यह है कि जो देश उन्हें भेजता है, उसके प्रति वे कर्तव्यपरायण हैं और दूसरा यह है कि उन्हें मेजबान देश की सार्वभौमिकता का सम्मान और आदर भी करना है । जब कभी वे इनका अतिक्रमण कर जाते हैं तब यह व्यवस्था करना सर्वथा वैध एवं उचित है कि उन्होंने अबाध्यता के अपने विशेषाधिकार को अस्वीकार कर दिया है । हम सभी इस बात से सहमत है कि जब कभी राजनयिकों के विशेषाधिकारों तथा देश की सुरक्षा के बीच संघर्ष पैदा होता है तब राज्य की सुरक्षा सर्वोपरी होगी ।

इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पारिस्परिकता प्रक्रिया सम्बन्धी सिद्धान्त ने विभिन्न राज्यों की प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया है । इस प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्यों ने दूसरे राज्यों के राजदूतों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया है । पुस्तकालयों को बन्द करने, मिशन के प्रकाशनों को रोकने, यात्रा पर रोक लगाने तथा सीमा शुल्क संबंधी नियंत्रण लगाने में राज्यों ने इसी सिद्धांत का पालन किया है । न्यायालयों ने भी पारस्परिकता के इस सिद्धान्त को अपनी स्वीकृति प्रदान की है ।

इस सभा में वियना कन्वेंशन के अनुच्छेदों को देश के कानून में शामिल करने की आवश्यकता संबंधी प्रश्न उठाया गया है । कहा गया है कि ऐसा न करने से हमें कार्यवाही तथा प्रत्युत्तर देने की अधिक सुविधा रहती । यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने भी उन अनुच्छेदों को अपने देश के कानून में शामिल नहीं किया है । हमें किसी कार्यवाही के करने अथवा न करने के लिये अमरिका के संकेत की आवश्यकता नहीं है । हमने दुसरे गुणों के आधार पर ही कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर किये थे । जहां तक अमरिका का सम्बन्ध है, वहाँ के कानून में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है ।

इस विधेयक में कोई अद्भत बात नहो है । विधेयक का उद्देश्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किये गये नियमों तथा ज्ञापनों को एक कानून के अन्तर्गत संकलित रखना है । यह विधेयक शंकाओं को दूर करता है और इसका उद्देश्य कानून बनाना तथा कानून पालन के लिये एक समान आधार प्रदान करना है । अतः सभा को विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री आर० डी० भण्डारे (मध्य बम्बई) : चारों ओर से इस विधेयक का समर्थन किया गया है मेरे विचार से मेरे लिये इसे और अधिक समर्थन देना आवश्यक नहो है । प्रो० एच०एन० मुखर्जी ने भी विधेयक का समर्थन किया है । उन्होंने जो आलोचना के रूप में एक दो बात कही हैं वे आधारहीन हैं तथा अवैध हैं । जैसा कि बताया जा चुका है हमारे नगर नियमों में विभिन्न अधिनियमो के रुप में बहुत से अध्यादेश तथा अधिसुचनायें आदि उपलब्ध हैं इस विधेयक का उद्देश्य उन्हें संहिताबद्ध करना है ।

सदन में सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर चर्चा के लिये केवल 25 मिनट शेष हैं । मंत्री महोदय मध्यान्ह भोजन अवकाश के पश्चात् उत्तर दे सकते हैं ।

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी, हां।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of Clock.

(मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा) दो बजकर 4 मीनट पर म० प० पर पुनः समवेत हुई)

The Lok Sabha reassembled at four minutes past Fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदस्यों ने स्वयं ही कहा है यह विधेयक बहुत ही साधारण है तथा अविवादास्पद है और इसके मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन वियना कन्वेंशन को प्रभावशाली बनाना है, भारत जिसका पहले से ही सदस्य है। यह कन्वेंशन एक सफल समझौता है और यह गरिमामय तथा व्यवस्थित ढंग में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के आचरण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। इस कारण यह आवश्यक है कि सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए कन्वेंशन को हमारे देश में कानून की शक्ति प्रदान की जाये। इसी कारण यह विधेयक संसद के समक्ष लाया गया है। वियना कन्वेंशन को कार्यकारी आदेशों, अधिसूचनाओं के माध्यम से कार्यरूप दिया जा रहा था परन्तु इस पद्धति में बहुत सी कठिनाइयां सामने आयी और यह विचार किया गया कि इसे कानून का रूप देने के लिये अब उपयुक्त समय है।

इस विधयक को बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ है। कुछ सदस्यों ने एक, दो आपत्तियां उठायी हैं। एक आपप्ति इस विधेयक को संपुष्टि तथा इसे पेश करने में विलम्ब के विषय में है। कन्वेंशन को 1961 में अपनाया गया था तथा इसको सम्पुष्टि 1965 में की गई थी। इस प्रकार चार वर्ष का अन्तर पड़ा है। बहुत से देशों ने भारत के पश्चात् ही इसकी सम्पुष्टि की है। इस दृष्टि से हम से विलम्ब नहीं कह सकते। इसको सम्पुष्टि करने से पूर्व सरकार को इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ा और विस्तृत अध्ययन में तीन-चार वर्ष का समय लग जाना साधारण सी बात है। वर्ष 1961-62 में सरकार अन्य मामलों में व्यस्त रही। अतः इस ओर ध्यान नहीं दे सकती थी।

जहां तक विधेयक को पेश करने में विलम्ब का प्रश्न है। इसका मूल कारण भी वही है जो संपुष्टि के विलम्ब में हुआ है और जो पहले बताया जा चुका है। हमें अन्य देशों द्वारा पेश किये गये विधानों को देखना था कि उनके मार्ग में क्या वास्तविक कठिनाइयां आयी हैं और उन्होंने इन कठिनाइयों को किस प्रकार सुलझाया है।

दूसरी आपत्ति इस विषय में उठायी गयी है कि हमारी सरकार का रवैया उन देशों के साथ क्या रहा है जो इस कन्वेंशन के सदस्य नहीं बने हैं। मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि यह विधेयक उन राज्यों पर लागू होगा जो वियना कन्वशन के पक्ष में हैं। जो देश इसके पक्ष में नहीं है उनके संबंध में विधेयक के खंड 3 के अनुसार यह व्यवस्था है कि यह विधेयक केवल इस प्रकार के ऐसे दशों के मिशनों पर ही लागू होगा जिन्होंने भारत सरकार के साथ कोई समझौता कर रखा हो। जो देश इन दोनों ही बातों से अलग हैं, उनके साथ राजनयिकों के विशेषाधिकार संबंधी मामले अन्तर्राष्ट्रीय सोमाशुल्क संबंधी नियमों से निर्देशित होंगे।

प्रो० मुखर्जी ने यह आशंका व्यक्त की है कि भारत सरकार अन्य देशों द्वारा इस कन्वेंशन का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध न उपयक्त कार्यवाही कर सकती है न करना चाहेगी।

[श्री सुरेन्द्रपाल सिंह]

उन्होंने यह भी शंका व्यक्त की है कि भारत विश्व को अपनी अतिशय विनम्रता के प्रदर्शन में लगा हुआ है परन्तु उनकी ये आशंकायें निर्मूल हैं। देश के राजनयिकों के साथ विश्व के किसी भाग में भी दुर्व्यवहार किये जाने पर भारत सरकार ने उन देशों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की है। यह ठीक है कि हमने कुछ गरिमा बनाये रखने के लिये कुछ देशों को जसा का तैसा जबाब नहीं दिया है। इसका कारण यह है कि भारत का व्यवहार स्तर उन देशों के व्यवहार स्तर से भिन्न है। हम सभ्य और सांस्कृतिक देश के निवासी हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं समझ लेना चाहिये कि हमारे राजनायिकों के प्रति यदि कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है, तो हम जबाबी कार्यवाही नहीं कर सकते। हम सदैव ही ऐसी कार्यवाही करते हैं।

प्रो० मुखर्जी ने यह भी कहा है कि भारत ने कभी भी किसी विदेशी राजनयिक को अवांछित व्यक्त घोषित नहीं किया। ऐसा नहीं है। हमने कई विदेशी राजनयिकों के विरुद्ध कार्यवाही की है। जनवरी 1971 में भारत ने पाकिस्तान के प्रथम सचिव को अवांछिनीय व्यक्ति घोषित किया था। प्रो० मुखर्जी के मस्तिष्क में एक सामान्य भय यह है कि सरकार यह कानून बनाकर विदेशी राजनयिकों को और अतिरिक्त विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान कर रही है तथा विदेशों में अपने राजनयिकों को हानि पहुँचा रही है। साथ ही वियना कन्वेंशन में जो कुछ अपेक्षित है, उससे कहीं ज्यादा कुछ कर रही है। वास्तव में ये सभी शंकायें निर्मूल हैं। वियना कन्वेंशन का सदस्य होने के नाते, इसकी संपुष्टि करके हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपनी सम्पूर्ण योग्यता से इस कन्वेंशन के अन्तर्गत अपेक्षित सभी व्यवहार्य आभारों को पूरा करें। इस विधेयक में उन बातों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं, जिनके प्रति हम बचनबद्ध हैं।

श्री शर्मा ने विदेशी राजनयिकों द्वारा देश के कानूनों का पालन करने की बात उठायी है। वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 42 के अनुसार ऐसा करना उनके लिये अनिवार्य है। सभी विदेशी राजनयिकों को देश के कानून के प्रति सम्मान प्रकट करना आवश्यक है और आम तौर से वे ऐसा कर भी रहे हैं। यदि हमारे देश की सुरक्षा तथा विदेशी राजनयिकों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बीच कोई संघर्ष पैदा होता है तो देश की सुरक्षा को निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाती है। यदि कोई राजनयिक देश के हित तथा उसकी सुरक्षा के विपरीत कोई करता है या कोई बात कहता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये हमारे पास पर्याप्त शक्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961 को प्रभावी करने और उससे संबंद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में, विचार किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि खंड 2 से 11, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का लम्बा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 11, अनुसूचि, खंड 1, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 11, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the long Title of the Bill were added to the Bill.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि विधेयक को प्रवर, समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में' पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) संशोधन विधेयक

SUPREME COURT (ENLARGEMENT OF CRIMINAL APPELIATE JURISDICTION) AMENDMENT BILL

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हुँ, "कि उच्चतम न्यायालय (दांण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1970, का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

9 अगस्त, 1970 तक इस देश के नागरिकों को ऐसी परिस्थितयों में उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था, यदि किसी मामले में आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष से कम का दण्ड दिया गया नहीं होता था। श्री मुल्ला जो इस समय राज्य सभा के सदस्य हैं, के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरुप विधेयक संविधि पुस्तिका में आया है। जब यह विधेयक पारित किया गया था तो काश्मीर राज्य के विधान मण्डल ने संविधान के अनुच्छद 134 (2) के अनुसार संकल्प पारित नहीं किया था। अत: इस विधेयक के उपबंध जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू नहीं किये जा सकते थे।

इस विधेयक के पारित होने के बाद उन्होंने अब संकल्प पारित किया है और यह कहा है कि इस विधेयक को जम्मू और काश्मीर राज्य की जनता पर भी लागू किया जाये। यह विधेयक इसी संबंध में है।

श्री माधुर्य हालदार (मथुरापूर) : यह विधेयक बहुत ही साधारण प्रतीत होता है। परन्तु काश्मीर को विशेष स्तर प्राप्त होने के कारण तथा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण कुछ सदस्यों को शंका होती रही है कि इसे यह विशेष स्थिति प्रदान कर सरकार उस राज्य के एक धर्म विशेष की जनता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। अत: ऐसे दल विधेयक का समर्थन करने में प्रसन्न होंगे क्योंकि जम्मू और काश्मीर को भी अन्य राज्यों के समान स्तर पर लाया गया है। किन्तु हमारी आपत्ति इससे नितान्त भिन्न है। हमें काश्मीर के स्तर को नीचा करने पर आपत्ति है। हम यह मांग करते हैं कि अन्य राज्यों के दर्जे को काश्मीर के दर्ज के समान लाना चाहिये। इस कारण हम इस विधेयक पर आपत्ति करते हैं।

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsaur) : We agree that the provisions of the Bill be extended to the State of Jammu & Kashmir. Would it not be better if we remove Article 370 instead of making it applicable after a resolution is passed or the approval of the Assembly is sought ? If Article 370 is removed, the legislations passed or to be passed in future would automatically be applicable there.

श्री जे० माता गौडार (नीलगिरी) : मंत्री महोदय ने बताया है कि हाल ही में जम्मू और काश्मीर विधानमंडल द्वारा पारित किये गये संकल्प के अनुसरण में यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है। यदि राज्य विधानमंडल ने अब इस अधिनियम को अपने राज्य पर लागू करना स्वीकार कर लिया है तो इसे 1970 में ही स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति थी ? क्या उस समय केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह समझाने का प्रयास किया था कि इस कानून को राज्य पर लागू करने से कार्य कुशलता बढ़ेगी।

दो वर्षों की इस अवधि के दौरान क्या राज्य सरकार ने अपने राज्य के निवासियों को अपराधिक मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में करने के अधिकार से वंचित रखा है, यदि नहीं तो आपराधिक मामलों की अपीलें किस न्यायालय में दर्ज की जाती थीं इस कानून को जम्मू और काश्मीर में दो वर्ष के पश्चात् लागू करने का क्या कारण है ? पता नहीं क्या सरकार ने राज्य सरकार पर कोई दबाव डाला है कि वे इस कानून को अपने राज्य में भी लागू करें जिसके परिणामस्वरूप राज्य विधान सभा ने संकल्प पारित करके इस कानून को उनके राज्य में भी लागू करने का अनुरोध किया है।

कृपया मंत्री महोदय वाद विवाद का उत्तर देते समय इन बातों को भी स्पष्ट करें।

श्री नितिराज सिंह चौधरी : मैं सबसे पहले श्री गौडर के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकी है। हमने जम्मू तथा काश्मीर सरकार को सब बात की सूचना दे दी है। उनकी विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है और हमने उस पर कोई कार्रवाई की है। यह विधेयक दूसरी सभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात् सभा के सामने आया है। अनुच्छेद 370 समय-समय पर समाप्त होता जा रहा है और स्वत: ही उसमें कुछ भी करने को नहीं रह जायेगा।

म उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विधयक के संबंध में सरकार के रुख क समर्थन किया है। मैं इस विधेयक को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1970, का। शोधन करने वाले विधयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नितिराज सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

कि विधेयक को पारित किया जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक
INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।

"यह एक बहुत ही साधारण सा विधेयक है और मैं आशा करता हूँ कि सभा इसे स्वीकार करेगी।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये"।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक से व्यक्ति और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को आघात लगेगा।

इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार को "आपात स्थिति" और "जन सुरक्षा" की आड़ में किसी भी तार को रोकने का अधिकार दिया गया है। कहीं भी 'जन सुरक्षा' और 'आपात स्थिति' की व्याख्या नहीं की गई है। एक मजिस्ट्रेट अथवा कोई छोटा सा अधिकारी भी इसकी आड़ लेकर किसी भी समाचार को रोक सकता है।

विधयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में किसी अधिकारी द्वारा तार को रोका जायेगा। उनमें से एक "आपात स्थिति" है और एक "जन सुरक्षा"। पर इसकी व्याख्या कही नहीं की गई है।

जन तंत्र की बात की जाती है एकाधिकारियों को आर्थिक एकाधिकार देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनितिक ज्ञानी को भी केन्द्रीयकरण करके सारी शक्ति केन्द्र के हाथ में दी जा रही है। कोई भी समझदार आदमी इस विधेयक का समर्थन नहीं करेगा। आपात स्थिति अब भी मौजूद है और किसी भी समाचार को कहीं भेजे जाने से रोका जा सकता है फिर सरकार इसको विधान का रूप क्यों दे रही है।

टलीफोन भी सने जाते हैं। हमारे घरों के सामने सफेद कपड़ों में जांच ब्यूरों के आदमी बैठाए जाते हैं। आखिर क्यों ? क्या हमसे कोई खतरा है ? इसका कोई उत्तर गृह मंत्री से हमे नहीं मिला है।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

और अब श्री बहुगुणा जी समाचार पत्र पर और रोक लगा रहे है। मैं यह मानता हूँ कि युद्ध अथवा साम्प्रदायिक दंगों के समय के लिए सरकार ऐसी शक्तियों अपने पास रखे पर शान्ति के दौरान इसकी क्या आवश्यकता है?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बजायी जा रही है।

अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इससे केन्द्र–राज्य संबंधों में भी कठिनाइयाँ खड़ी हो जायगी। यह आवश्यक नहीं है कि सभी राज्यों में एक ही दल की सरकार हो। कुछ मतभेद होने पर दोनों के बीच कोई सूचना पाना और भेजना कठिन होगा। क्योंकि तार और टेलीफोन विभाग केन्द्र के अधीन है। अतः हर ओर से इस विधेयक से जन साधारण को बोलने तथा अन्य भागों के समाचार जानने में कोई मदद नहीं मिलेगी। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

***श्री सी० चित्तीबाबू** (चिंगलपट) : यद्यपि मैं इस विधेयक क विरोध नहीं कर रहा हूँ तथापि माननीय मंत्री से इसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

देश को सुरक्षा के हित में राष्ट्रपति ने आपात स्थिति की घोषणा कर रखी है और भारत सुरक्षा नियम भी लागू है। स्वतंत्रता की रजत जयन्ती मनाते समय भी ये दोनों लागू हैं। जिसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें किसी भी समाचार के एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर रोक लगा सकती है।

यद्यपि यह बड़ा छोटा और साधारण सा विधेयक है पर इसके पाठ को देखने पर लगता है कि यह व्यक्ति के मूल भूत अधिकारों पर सीधी चोट करता है।

इसमें प्रयुक्त "जन सुरक्षा" और "जन व्यवस्था" शब्दावलियों की कोई व्याख्या नहीं की गयी है। ये बड़े ही सन्देहास्पद शब्द हैं। कृपया इनको स्पष्ट किया जाये।

जैसा कि मेरे साम्यवादी मार्क्सवादी मित्रों ने बताया कि यह आवश्यक नही कि प्रत्येक राज्य में एक ही दल की सरकार हो। यदि केन्द्र और राज्यों में किसी प्रकार का मतभेद होना है तो एक जगह से दूसरी जगह समाचार भेजने में कठिनाई होगी, क्योंकि तार और टेलीफोन व्यवस्था केन्द्र के हाथ में होने के कारण हो सकता है कि कुछ समाचारों को किन्ही विशेष कारणों से वह एक जगह से दूसरी जगह भेजना खतरनाक समझती हो तो उन पर वह रोक लगा सकती है। एसा ही एक राजनितिक दल द्वारा किसी विचार को फैलाने पर भी रोक लगाई जा सकती है क्यों कि इससे जन व्यवस्था को ठेस पहुँच सकती है।

मुझे माननीय मंत्री के उद्देश्य के प्रति तनिक भी संदेह नहीं है। पर मैं चाहूंगा कि जिन संदेहों की ओर मैंने संकेत किया है, उनको स्पष्ट करे।

यदि इस विधेयक को लागू करने में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई, तो जन तंत्रसमाप्त हो जायेगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि यह विधेयक संविधानिक गारंटियों पर आधारित है। तो क्या इस से कुछ सीमातक समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगी है। यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ है और समाचार पत्रों को मंत्री महोदय की नेकनियत पर संदेह नहीं करना चाहिए।

*तमिल में दिये गय भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : My hon. C. P. M. friend says that the Bill curtails our fundamental rights, but I say that it protects our fundamental rights. It says that in the time of emergency and in the interest of public security, Central Government or State Government would give such powers to their officers so they may take appropriate action.

To oppose this Bill is treachery towards the country, because it simply puts a control on sending such news which are not in the interest of the public and the country.

Therefore, I say it is very important Bill. It should have been brought earlier. With these words I support the Bill.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, I would like to ask as to what was the difficulty which compelled the hon. minister to bring forward such an act. By this, they are authorising the state and Central Government to stop any telegram and take any telephone, which they were doing even before this Bill. But who will decide that there is danger to the country. Ruling party do such a thing which is in its interest. This Bill is not only against the spirit of constitution but it is even against the constitution.

By introducing this Bill, we are giving encouragement to bribery. The officers can be bought by money. No body can put the sovereignty of the country in danger simply by a telegram or by writing a letter. There is no need of this bill. Therefore I will request the hon. Minister to withdraw the Bill.

Shri Rudra Pratap Singh (Barabansi) : It has been stated in the bill that such a restriction will be put only in the event of 'Public emergency' and 'Public Order', therefore, every body should support this Bill. Nations' safety is above all.

With these words I congratulate the hon. minister for bringing forward this Bill.

Shri Hukam Chand Kachwai : This Bill is not mostly of such a good natured ministers. According to this Bill taking and censoring any telephone and telegram depends on the officers deputed by the government and they are always liable to do injustice. More over who will decide that certain matter is objectionable. I oppose to giving such powers to State Governments. This is not justified. With these words, I oppose the Bill strongly.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी बात का विरोध करने का एक संसदीय तरीका किसी मामले को उलझा देना भी है और दूसरी ओर बैठे सदस्य इसमें कुछ देर के लिए सफल भी हो गये हैं। पर वास्तविकता यह है कि इस विधेयक से हम सरकार की शक्तियाँ बढ़ाने के बजाय घटा रहे हैं।

इस संबंध में मैं अपने विरोधी मित्रों का ध्यान मूल अधिनियम के उन उपबंधों की ओर खीचना चाहता हूं जिन्हें छोड़ दिया गया है वर्तमान अधिनियम के अनुसार जन सुरक्षा के हित में कोई कार्य करने के लिए मात्र राज्य सरकार का अथवा जैसा भी मामला हो, का एक प्रमाण पत्र ही पर्याप्त था। पर इस उपबंध को निकाल दिया गया है। पर यह अधिकार भी कभी उपयोग में नहीं लाया गया, यद्पि कई राज्यों में संयुक्त मोर्चा सरकारें रहीं। अब भी द्रवीड़ मुन्नेत्र कझगम सरकार के साथ हमारे कोई मतभेद नहीं है। यह संशोधन करने की बात यों उठी कि विधि आयोग ने बताया कि ये उपबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के विरुद्ध हैं।

इस संशोधन के द्वारा हम मूलभूत अधिकारों पर आघात करने के बजाय सरकार को प्राप्त उस निरंकुश शक्ति को समाप्त करने के लिए लाये हैं, जो उसे 1885 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त थी।

यह कहा गया कि "जन सुरक्षा" आपात की क्या व्याख्या है। ये शब्द वहां है जैसे कि विधान में उपयोग किए गए हैं। हमने इन्हें उसी रूप में नहीं लिया है केवल उन्हीं

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

नियंत्रणों को हमने इसमें रखा है जिन्हें भारत सुरक्षा नियमों में शामिल नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय विधि मंत्रालय तथा विधि सम्मत राय यह थी। यह शक्ति आवश्यक है यद्यपि पिछले पांच वर्ष में इसका उपयोग करने के अवसर केवल दो बार ही आए।

इस विधेयक में वे ही शब्द उपयोग में लाए गये हैं, जो वर्तमान अधिनियम में थे हमने तथा राज्य सरकारों से कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया।

इस अवसर पर दर्शक दीर्घा से दो दर्शकों नें नारे लगाये और सभा में पर्चे फेंके ।

At this stage two visitors from the Public Gallery shouted and threw some leaflets on the Floor of the House.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अभी तक इस शक्ति के उपयोग का एक भी मामला सामने नहीं आया। अतः मैं जैसा भी कि कहा गया है वह डर लोगो के मन से निकाल देना चाहता हूँ। इसमे जो भी शक्ति सरकार को दी जा रही है वह संविधान के अन्तर्गत ही होगी।

हमने कभी भी तमिल नाडु सरकार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रचार को नहीं रोखा। गत 25 वर्षों में हमने कभी भी यह नहीं किया। मैं भावना में बह कर कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं तो यह चाहता था कि कोई यह कहे कि "आपके पास व्यापक शक्तियां है, पर आपके उसका कभी उपयोग नहीं किया" और फिर हमें बधाई देना। पर इसके विपरीत हम पर दोशारोपण किया जा रहा है और भी बिना किसी तथ्य के/यह संबंधित प्रश्न को उलझाना है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आशा करता हू कि सभा स्थिति को समझेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adoped.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड वार विचार करते हैं। खण्ड 2 के लिए एक संशोधन है श्री बी० वी० नायक का । क्या वे उसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक
DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

राष्ट्रीय समन्वय को बढ़ाने और हमारे प्रजातंत्रीय ढांचे के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखने के लिये सरकार वचन बद्ध है तथा सरकार ने इस और संकेत किया है कि साम्प्रदायिक समस्याओं से निपटने के किसी भी प्रयास में वह कोई कभी नहीं करेगी।

जनता के विभिन्न वर्गों में अविश्वास और दुर्भावना उत्पन्न करने वाले तत्वों से निपटाने के लिये हमने 1969 में कानून के उपबंधों की और अधिक कठोर बनाया था। दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 को बनाकर हमने इस दिशा में एक कदम उठाया। तभी सरकार ने उत्तेजक सामग्री के प्रकाशन को रोकने की शक्तियों को भी अपने हाथ में ले लिया था।

अब इस विधयक के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को शीघ्र दंड दिया जायगा जो साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंध अपराधों के लिए दोषी हैं। जून, 1968 में श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बेठक में यह सिफारिश की गई थी कि साम्प्रदायिक घटनाओं से संबद्ध अपराधों से निपटने के लिये संक्षिप्त शक्तियों वाले विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए तथा इस बारे में एक बार दायर किये गये मुकदमों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। अत: राष्ट्रीय एकता परिषद्, की सिफारिश पर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया गया कि साम्प्रदायिक दंगों के दौरान किये गये अपराधों की सुनवाई अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने के अतिरिक्त विशष न्यायालयों द्वारा और विशेष अविलम्ब प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है।

वर्तमान कानून के अन्तर्गत यह संभव नहीं होगा कि विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष प्रक्रिया के अनुसार की जाये। अत: ऐसा विधान बनाया जाना आवश्यक है जिसे संसद अथवा विधान मंड़लों द्वारा बनाया जाये।

इस विधेयक के अतर्गत संक्षिप्त विचारण हेतु विशेष न्यायालय को दी गई शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक में दी गई शक्ति से अधिक है।

अत: इस विधेयक के अन्तर्गत साम्प्रदायिक दंगों के दौरान भारी संख्या में किये गये अपराधों के मामले में अविलम्ब प्रक्रिया की व्यवस्था की जायेगी ऐसे मामलों में मुकदमों के जल्दी निपटाये जाने से जनता के सभी वर्गों में विश्वास की भावना घर करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण का और संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर लिचार किया जाय।"

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : भारनाय उप-महाद्वीप में स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने विचार के लिये प्रस्ताव पर संशोधन की सूचना दी है। वह यहां उपस्थित नहीं है। श्री मूलचन्द डागा। क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने केवल एक ही संशोधन की सूचना दी है और वह इस विधेयक के परिचालन के बारे में है। क्या आप उसको प्रस्तुत कर रहे ह ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्री बीरेन दत्त : मैं यह कह रहा था कि भारतीय उप–महाद्वीप में स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इस परिवर्तन की झलक शिमला समझौते में भी हमें मिलती है। इस बात से कोई इन्कार नहीं करेगा कि फूट डालने वाली शक्तियों के षड़यंत्रों को परास्त करके देश ऐसी स्थिति का साक्षी है जहां भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों में प्रगति शील शक्तियां जनता के अधिकाधिक प्रजातंत्रिक अधिकारों को प्राप्त करने पर बल दे रही है। बंगला देश के संकट के समय देश की जनता ने यह दिखा दिया था कि साम्प्रदायिक और फूट डालने वाले शक्तियां भारत पर अब और अधिक प्रभाव नहीं डाल सकती हैं।

ऐसे समय में इस सभा में ऐसे विधेयक के लाये जाने से न केवल भारत में प्रगतिशील शक्तियों की प्रतिमा ही चूर हो जायगी अपितु, पाकिस्तान की प्रगतिवादी शक्तियाँ भी प्रभावित होंगी। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि इस विधेयक के द्वारा ऐसी शक्तियां प्रदान की जायेगी कि भारत के किसी भी भाग को इस आशंका के आधार पर विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जा सकता है कि वहां साम्प्रदायिक दंगे होंगे।

अब समूचे उप–महाद्वीप में फूट डालने वाली इन शक्तियों को परास्त किया जा रहा है और श्रमिक वर्ग के लोगों के नेतृत्व में प्रगतिशील शक्तियां पनप रही हैं। उन्होंने साम्राज्यवादियों के साथ लड़ाई लड़ी है और उन्हें इस उप–महाद्वीप से निकाल दिया है। इन्होंने बंगला देश से अमरीकी साम्राज्यवादियों को निकालने में सहयोग दिया है और वे उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने भारत में ऐसी साम्प्रदायिकता तथा फूट पैदा की है।

इस समय सरकार का ऐसा विधेयक लाने का जो आशय है मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। सरकार ने मुसलिम लीग जैसी साम्प्रदायिक शक्ति के साथ केरल में सरकार बनाने के लिये हाथ मिलाया है। इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह जनता की वास्तविक प्रजातंत्रिक एकता के विरुद्ध है।

ऐसे ही एक विधेयक का मैंने उस समय भी विरोध किया था जब श्री कृष्ण चन्द्र पन्त एक विधेयक सभा में लाये थे जिसमें समूचे मनीपुर, त्रिपुरा, मेघालय को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया था। उस अधिनियम के पारित करने के पश्चात् त्रिपुरा को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहां क्या गड़बड़ है? संसद को अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है और न समाचार पत्रों में कोई समाचार प्रकाशित हुआ है परन्तु सच यह है कि त्रिपुरा में खाद्य पदार्थ नहीं है और लोग भुखमरी से मर रहे हैं। वे पहाड़ी गांवों में नहीं मरना चाहते हैं। वे मैदानों में

आना चाहते हैं। अतः इसे विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अंत में मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि मेरे पूर्व वक्ता ने इस विधेयक पर आपत्ति की है। यह सच है कि साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्तियां क्षीण होती जा रही है। परन्तु वे पूर्णरुपेण समाप्त नहीं हुई हैं। वे अब भी विद्यमान हैं और इसीलिये हम भारतीय दंड संहिता में संशोधन सहित विभिन्न विधान लाने पड़ते हैं।

हमने देखा कि देश में मुकदमों के निपटाने में काफी विलम्ब होता है जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रयोजन काफी हद तक बहुत से मामलों में ही समाप्त हो जाता है जिसके लिये किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है।

दण्ड विधान का अभिप्राथ है अपराध के लिये दण्ड देना तथा ऐसे अपराध की प्रवृत्ति को रोकना परन्तु यदि किसी अपराध का दण्ड 5, 6 या 10 वर्ष बाद दिया जाता है तो उसका न तो अपराधी पर और न ही दूसरे लोगों पर यथेष्ठ प्रभाव पड़ता है। अत : ऐसे मामलों का निपटारा तो शीघ्रताशीघ्र ही किया जाना चाहिये।

इस विधेयक में योजना है कि यदि राज्य यह समझे कि इसके किसी क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं तथा धर्मों के व्यक्तियों जातियों समुदायों में भाषा अथवा धर्म के विवाद को लेकर कोई ऐसा गंभीर झगड़ा हो सकता है जिसके कारण सामान्य लोगों की शांति तथा व्यवस्था में बाधा पड़ती है तो वह राज्य अपने क्षेत्र उस को अशान्त क्षेत्र घोषित कर सकता है, इसमें मैं यह नहीं समझता कि ऐसे क्षेत्रों की घोषणा में भी कोई राजनैतिक स्वार्थ अन्तनिहित हो सकता है।

"अशांत क्षेत्रों में अनुसूचित अपराधों के लिये कानूनी कार्यवाही करने हेतु सरकार यदि विशेष न्यायालय स्थापित करना चाहती है तो उसे केवल अस्थायी न्यायालय ही स्थापित करने चाहिए अन्यथा स्थायी न्यायालयों पर भारी खर्च आयेगा। फिर इन अस्थायी न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए जो अर्हताएं निर्धारित की गई हैं वे बहुत उंची हैं और संभव है उनके लिये पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार न मिल सकें। जब इन विशेष न्यायालयों में आने वाले मामले सत्र न्यायालयों में आने वाले मामलों से अधिक गंभीर नहीं होंगे तो फिर इन विशेष न्यायालयों में किसी उच्च न्यायालय में अनुभव प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों अनिवार्य रखी गई है? फ़िर यह भी सर्वनिर्दिष्ट है कि कोई अत्याधिक अर्हता प्राप्त व्यक्ति इस अस्थायी नियुक्ति के लिए आयेगा भी क्यों?

मेरी सबसे गम्भीर आपत्ति विधेयक की उस व्यवस्था से है जहाँ यह कहा गया है कि इस विधेयक में अनुसूचित सभी अपराधों के बारे में इन विशेष न्यायालयों मे मुकदमें चलाये जा सकेंगे। यदि आप "अशान्त क्षेत्र" के सभी मामलों को चाहे वे धर्म, भाषा अथवा समुदाय संबंधी विवादों में संबद्ध हों अथवा नहीं तो फिर विशेष न्यायालय स्थापित करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है और मामले भी शीघ्रता से निर्णीय न हो सकेंगे। विशेष न्यायालय तो केवल उन्हीं मामलों को निपटाने के लिये स्थापित किये जा रहे हैं जो कि किसी "अशांत क्षेत्र" में भाषा, धर्म, सम्प्रदाय आदि संबंधी झगड़ों के फलस्वरूप दर्ज होते हैं और सचमुच के मामले ऐसे होते हैं जिनके कारण संबंधित क्षेत्र को अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः इस विधेयक में वर्जित अपराधों की सूची गलत है क्या उनमें केवल इस प्रकार के अपराधों की सूची रखी जानी चाहिये। तभी हम मामलों के प्रान्त निपटाने की आशा कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसे न्यायालय इस अधिनियम के उपबंधों को अबैध घोषित नहीं करेगा।

खण्ड 6 में विधान है कि जिस मामल में तीन वर्ष के अधिक के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है उसे अभिपत्र – मामले के रूप में तथा शेष मामलों को संक्षिप्त विवरण हेतु मामलों

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

के रूप में निर्णयाधीन लिया जायेगा"। मेरा अनुरोध है कि गंभीर हत्याओं वाले मामलों को इस अधिनियम की सीमा से बाहर रखा जाये क्योंकि हत्या के मामलों में अपराधी को कानूनी सामान्य प्रक्रिया की सुविधा मिलनी चाहिए अतः अनुसूची से धारा 302 से 304 तक हटा देनी चाहिए।

दूसरे न्यायालयों को यह निर्णय करने का भी अवसर दिया जाना चाहिये कि अयुक्त मामला संक्षिप्त विचारण हेतु हो अथवा समन की प्रक्रियानुसार हो। अपराध प्रक्रिया संक्षिप्त में व्यवस्था है कि यदि कोई न्यायालय समझता है कि किसी विशिष्ट मामले को संक्षिप्त-विचारण हेतु नहीं लिया जाना चाहिए तो वह उसे समन प्रक्रियानुसार निर्णयार्थ ले सकता है। इस अधिनियम के अधीन भी ऐसी व्यवस्था ही होनी चाहिये।

खण्ड 6(3) में आपने व्यवस्था की है विशेष न्यायालय संक्षिप्त विचारण के किसी मामले में दो वर्ष तक के कारावास का दण्ड दे सकते हैं परन्तु अपराध प्रक्रिया संहिता के अनुसार कई मामलों में अधिकाधिक छः मास के कारावास का ही दण्ड हो सकता है। अतः यह कहना चाहिये था कि जिन मामलों में दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की दण्ड की व्यवस्था हो उन मामलो में न्यायालय दो वर्ष के कारावास का दण्ड दे सकेंगे।

फिर खण्ड 7 में विशेष न्यायालयों को बिना कोई मार्गदर्शी नियम अथवा नियमबद्ध अधिकार बताये ही यह अधिकार देना उचित नहीं है कि वे चाहे जिस मामले को अपने विवेकानुसार किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकते हैं। खण्ड 7 को समाप्त कर देना चाहिये।

इस प्रकार मैं देखता हूँ कि इस विधेयक को ठीक से तैयार नहीं किया गया है। मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें तथा जो बातें मैंने उठाई हैं उनका उत्तर भी देंदे।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, I rise to oppose this Bill. The hon. Minister has stated that this Bill was recommended by the Congress Session in Amritsar so as to control the communial riots and immediately punish the convicts.

[SHRI K. N. TIWARY *in the chair*
श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

I do wish that the communal riots should be curbed and the riotors punished; but this Bill is not competent to check either the crime or the criminals; but on the other hand there is very much likelihood of its being misused, particularly against the minorities.

To cite an example of misuse of power against minority people, I would remind you of the grave notice atrocities on the Muslims in Banaras, Ferozabad and Aligarh when they peacefully opposed the Aligarh Muslim University Bill by wearing black batches etc. But interestingly, police took no action, neither do the Govt. care for the dirty propoganda by the Jan Sangh against the Simla Agreement. But on the other hand, that particular community became the specific victim of the police. I am of the opinion that the people of minority community cannot creat communal riots and it is the Hindu communals whose leaders give birth and life to such upheavals, but no one takes any action against them, and country but powers are being given to such people who worked misuse them against the minority community. So this Bill is not going to give equal rights which may facilitate the minority community also to express their opposition to any law or Act which they feel is against their interest. So I believe that this Bill is meant to harass a particular minor community.

Then there should be certain provisions in the Bill to differtiate also deal with separately the crimes and criminals connected and unconnected with the communal disturbances in a "disturbanced area".

Thirdly I am against the provisions of summary trial which empowers an imprisonment upto two years, because in a summary trial full judicials justice is not available, and we cannot trust the people who are asked to render judgment or those who bring cases for judgment. The atrocities, harassment and injustice done by the police is well known. So giving so much punishment on the basis of summary trial is against the spirit of the Constitution wherein all possible opportunities should be given to a person to defend himself against any allegation. Thus there should be no provision for a summary trial.

We all should be secular in true sense if we want to eliminate communal disturbances; and without fully injecting true secularism in the power-holding people, such an act should never be legislated. How can, otherwise, we afford that the judgment in regard to communal cases should be left upon the people who themselves are communal minded and biased ?

So, I don't think that there had been so much need of such a Bill. If you want to curb the Muslims you should also not spare the members of Jan Sangh who have been indulging in so much communal activities and false propoganda. Ago there should be provisions for differentiate between communal and non-communal cases otherwise justice cannot be done.

With these words, I oppose the Bill.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Those who oppose this Bill are mistaken to say that the non-communal cases would also be tried by the special courts. Let them carefully read Clause 7.

I support this Bill since it provides for speedy disposal of the cases of communal disturbances and language disputes etc., which had earlier, been being laying for quite a long time. This Bill was a must.

As regards giving powers to the police, after all we have to depend on som emachinery.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Chairman, Sir, there is no quorum in the House.

Mr. Chairman : The Bell is being rung. Now there is quorum and the hon. Member may continue.

Shri Bibhuti Mishra : Then it is not wise to oppose the giving of power to bureaucracy. China has the strongest bureaucracy in the world.

Regarding giving powers to the States to declare a particular area as a disturbed area, I propose that there should be more or less centres's hand also in this act.

As regards the qualifications of the judges under clauses 3(a) and 4, we showed depute the judges of permanent cadres only to try such cases. Temporary judges try to impose more and more punishment so as to oppose the Government. So justice will not be done if you deploy judges of temporary cadres to try such cases.

While going for summary trials the Government should be extra-cautious in this behalf and ensure that the trial judges work properly.

It is a befitting Bill and very essential for the integration of the country. I, therefore rise to support it.

*श्री जे० माता गौडर (निलगिरी) : श्रीमन्, मैं विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक का स्वागत करता हूं यद्यपि मैं यह समझता हूँ कि इसे बहुत ही विलंब से यहां पेश किया गया है।

स्वाधीनता से पूर्व, ब्रिटीश शासक गण भाषा तथा धर्म के नाम पर हमारा शोशेण किया करते थे और देश का विभाजन तथा महात्मा गांधी का जीवन-बलिदान हमारे सामने उसका उदाहरण हैं।

जैसा कि विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताया गया है, साम्प्रदायिक दंगों, भाषायी विवादों तथा धार्मिक झगड़ों संबंधी अपराधों के मामलों के निपटारे में बहुत विलंब हो जाया करता था। अतः उन्हीं मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु तथा इसी संदर्भ में इस विधेयक में अधिसूचित अपराधों के लिये दण्ड का विधान करने के लिये और इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के विवादों, दंगों तथा अपराधों को रोकने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों के गठन का विधान इस विधेयक में किया गया है। वर्ष 1969 में राष्ट्रीयएकता परिषद् ने इस प्रकार का विधेयक पेश करने की सिफारिश की थी परन्तु आश्चर्य है कि सरकार इसे पेश करने में चार वर्ष का समय लगा दिया। सरकार पर मेरा यह आरोप है कि इस के इस अनावश्यक विलंब के कारण ही अनेक साम्प्रदायिक तत्वोंको प्रोत्साहन मिला तथा काफी खून-खराबा हुआ। अनेक मासूम लोगों को जाने गईं। इसे रोका जा सकता था। स्पष्ट है कि क्यों कि हम में से कोई महात्मा गांधी जैसा दिलेर तो है नहीं कि दंगों के स्थलों पर जाकर उन्हें रोके अतः इनको रोकने का एकमात्र सहारा कानून है, शान्ति का प्रयोग है। अतः सरकार को हम संबंध में कानून बहुत पहले ही बनाना चाहिये था।

दूसरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, केरल के क्रिस्तियन कालेज तथा हिन्दू कालेज आदि धर्मों पर आधारित संस्थान हमारे देश में हैं। इस प्रकार के नाम रखने से भी साम्प्रदायिक तथा धार्मिक तनाव बढ़ते हैं और फ़िर फलतः मानव जीवन की हानि होती है। गत मास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संदर्भ में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण अनेक स्थानों पर हिंसा की घटनायें हुई तथा लोगों की जाने गईं।

कुछ लोग समझते हैं कि देश में मुख्यतः भाषायी विवाद के कारण ही बार-बार दंगे-फसाद होते हैं अतः इसे रोकने के लिये राज्यों को कोई अधिकार न देकर स्वयं केन्द्र कोही सब कुछ संभालना चाहिये। वस्तुतः किसी भी भाषा का कार्य देश की एकता को मजबूत करना होता है; इसके कारण हिंसा और घृणा को उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये अतः केन्द्र सरकार को इस संदर्भ में पूरी निष्पक्षता तथा भावनात्मक से उपर उठकर कार्यवाही करनी चाहिये सरकार को इस विधेयक के माध्यम से कारगर ढंग से कार्यवाही करनी चाहिये।

आजकल हम प्रति दिन हरिजनों पर निर्भर अत्याचार के समाचार सुनते हैं। दिन-दिहाड़े हरिजनों की हत्या की जा रही है उन्हें जीवित जलाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि जहां जहां पर इस प्रकार की घटनायें होती है उन क्षेत्रों को भी विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करके उन मामलो को विशेष न्यायालय को सौंपना चाहिये। हिन्दु समुदाय में ही सवर्ण हिन्दूओं द्वारा हरिजन हिन्दूओं पर अत्याचार किया जाना कितना भयंकर अपराध है। यद्यपि सरकार के हरिजनों को संवैधानिक रूप से कक्षा प्रदान कर रखी है जिनके अन्तर्गत उन्हें सवर्ण हिन्दूओं के समान ही हर अधिकार उपलब्ध है फिर भी सरकार उनकी जीवन-रक्षा तथा सन्मान की रक्षा करने में असफल ही रही है।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।

Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

अन्त में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वह उन क्षेत्रों को भी विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करें और वहां भी विशेष न्यायालय बैठाये जहां हरीजन पर अत्याचार होते हैं जहां उन्हें जीवित जला दिया जाता है।

Shri M. C. Daga (Pali) : This Bill in fact, does not conform to the recommendation made by the National Integration Council, and it covers only a part of those recommendations. If you refer to section 3 of Clause 5, regarding disturbed area, you would find the Bill lacking in many respects and that is why I have put a motion for referring this Bill to the Select Committee for examination. particularly in regard to the offences scheduled therein.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है।

Shri M. C. Daga : Although it speaks of the offences under Sections 147, 143, 148 151 but nothing has been said in regard to the offences under Section 302 and the rest.

Then there will be a lot of confusion about taking a case as a Summary trial case or warrant case. Summary trial does not provide for any statement or explanation etc. from the accused. Then if the case is transferred another count it is not clear whether the case there, would be taken up a new or will be proceeded with further.

Also there are no indications from the disposal of the cases will be speed up. Section 170 of C. P. C. reaquires quick a number of legal Formations of challange, remand etc. etc.

I do appreciate the spirit behind this Bill that the criminal and offenders should be punished immediately, but the way in which all these things would go actually defeat the purpose of establishing special courts for speedy disposal of the cases.

Thus I find that although this Bill has been brought here with a nice spirit of curbing communal disturbances, riots etc. but it lacks many procedual and legal provisions and clarifications and that is why I request that it should be referred to the Select Committee for re-examination.

श्री आर० डी० भण्डारे : मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप इसको अनुमति मुझे देंगे।

सभापति महोदय : यदि आप पेश करना चाहते हैं तो मैं अनुमति दे दुंगा।

श्री आर० डी० भण्डारे : धन्यवाद! इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में कई दोष है; खामियां है और यहां तक कि इसका मसौदा भी ठीक से तैयार नहीं किया गया है।

पहले तो खण्ड 3 में विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने संबंधी अवधि नही निर्धारित की गई है अर्थात् यह नहीं कहा गया है कि यह अवधि अन्यता अधिकतम कितनी होगी दूसरे खण्ड 5 (2) में सभी प्रकार के लोगों को दण्ड देने का विधान है। इस संबंध में अनेक बातें विचारणीय आती हैं।

खण्ड 6 में 2 प्रकार के अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। कुछ अपराध ऐसे है जिनके लिये वारंट प्रक्रिया द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि वारंट प्रक्रिया का उल्लेख इसमें किया जाना है तो जिस उद्देश्य के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है वह पूरा नहीं हो सकेगा। वारंट प्रक्रिया से किये जाने वाले मुकदमे को संक्षिप्त मुकदमा नही कहा जा सकता है। जहा तक संक्षिप्त मुकदमें का संबंध है, जिन अपराधों के लिये तीन वर्ष से अधिक सजा नहीं दी जा सकती उन्ही के सम्बन्ध में संक्षिप्त मुकदमा चलाये जा सकता है। फिर ऐसे अनेक अपराध है जिनके लिये तीन वर्ष की सजा देने की व्यवस्था की गई है।

[श्री आर० डी० भण्डारे]

सरकार कितने मामलों मे संक्षिप्त मुकदमा चलाने का विचार रखती है। खण्ड 7 में विशेष न्यायालय को उन्मुक्त विवेकाधीन अधिकार दिये गये है। इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए, मुझे आशा है कि सरकार मेरा संशोधन स्वीकार कर लेगी कि यह विधेयक संयुक्त समिति को भेज दिया जाये।

श्री राम निवास मिर्धा : कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के कुछ उपबन्धों के बारे में संदेह व्यक्त किया है। उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने पर सहमत है।

श्री आर० डी० भण्डारे : मैं प्रस्ताव करता हुं :

"कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण का और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों—इस सभा से 30 सदस्य अर्थात् :—

(1) श्री एस० सी० बेसरा
(2) श्री बीरेन दत्त
(3) श्री मधु दण्डवते
(4) श्री पी० के० देव
(5) श्री सी० सी० देसाई
(6) श्री देवेन्द्र सिंह गरचा
(7) श्री कर्ण सिंह यादव
(8) श्री सरजू पाण्डेय
(9) श्री लीलाधर कटकी
(10) श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
(11) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
(12) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(13) श्री अनन्त राव पाटील
(14) श्री बनमाली पटनायक
(15) श्री एस० राधाकृष्णन्
(16) श्री जो० एस० मिश्र
(17) श्री पी० अंकीनीडू प्रसाद राव
(18) श्री एम० सत्यनारायण राव
(19) श्री वयालार रवि
(20) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
(21) श्री इराजमुद सेकैरा
(22) श्री शम्भु नाथ
(23) श्री नवल किशोर शर्मा
(24) श्री शिव चन्डिका
(25) श्री बी० आर० शुक्ल

(26) श्री मुख्तियार सिंह मलिक
(27) श्री एन० टोम्बी सिंह
(28) श्री तैय्यब हुसैन
(29) श्री तुलसी दास दासप्पा
(30) श्री जो० विश्वनाथन

तथा राज्य सभा के 15 सदस्य

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति अक्तूबर, 1972 के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन सभा को पेश करेगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस सम्बन्ध में अन्तिम सूची कल तक के लिये स्थगित कर दी जाये ताकि इस बारे में सभी दलों के साथ विचार विमर्श किया जा सके।

श्री आर० डी० भण्डारे : इसी लिये मैंने कहा था कि नामों की सूची बाद में दी जा सकती है।

श्री बी० वी० नायक : मैं इस विधेयक पर चर्चा को कल तक स्थगित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : यदि केवल सूची के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जाता है तो मेरे सहयोगी मंत्री इस बात पर सहमत होंगे कि इस कार्य को कल तक स्थगित कर दिया जाये।

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि यदि सूची में कुछ परिवर्तन करना है तो केवल इस प्रयोजन के लिये इसको स्थगित किया जा सकता है। मेरे विचार में यह उचित नहीं है। मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं :—

प्रश्न यह है :

"कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण का और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों—इस सभा से 30 सदस्य अर्थात् :—

(1) श्री एस० सी० बेसरा
(2) श्री बीरेन दत्त
(3) श्री मधु दण्डवते
(4) श्री पी० के० देव
(5) श्री सी० सी० देसाई
(6) श्री देवेन्द्र सिंह गरचा
(7) श्री कर्ण सिंह यादव

[सभापति महोदय]

(8) श्री सरजू पाण्डेय
(9) श्री लोलाधर कटकी
(10) श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
(11) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
(12) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(13) श्री अनन्त राव पाटिल
(14) श्री बनमाली पटनायक
(15) श्री एस० राधाकृष्णन्
(16) श्री जी० एस० मिश्र
(17) श्री पी० अंकीनीडू प्रसाद राव
(18) श्री एम० सत्यनारायण राव
(19) श्री वयालार रवि
(20) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
(21) श्री इराजमुद सेकैरा
(22) श्री शम्भू नाथ
(23) श्री नवल किशोर शर्मा
(24) श्री शिव चन्डिका
(25) श्री बी० आर० शुक्ल
(26) श्री मुख्तियार सिंह मलिक
(27) श्री एन० टोम्बी सिंह
(28) श्री तैय्यब हुसैन
(29) श्री तुलसी दास दासप्पा
(30) श्री जी० विश्वनाथन्

तथा राज्य सभा के 15 सदस्य

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति अक्तूबर, 1972 के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन सभा को पेश करेगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

चीनी की वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. CURRENT SUGAR SITUATION

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : महोदय, मैं चीनी की मौजूदा स्थिति पर एक वक्तव्य दे रहा हूं। मुझे खेद है कि इस स्थिति से न केवल माननीय सदस्य बल्कि जनता भी काफी चिन्तित है। इस स्थिति का समुचित ढंग से अवलोकन करने के लिए मैं उन घटनाओं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, जब 25 मई, 1971 से चीनी के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण उठाया गया था। जैसा कि सदन को अच्छी तरह मालूम है, सरकार ने नियन्त्रण उठाने का निर्णय 1969–70 के दौरान चीनी के 42.6 लाख मीटरी टन के रिकार्ड उत्पादन के संदर्भ में लिया था, जिससे खुले बाजार में चीनी के मूल्य लेवी चीनी के बिल्कुल निकट आ गए थे और कुछ क्षेत्रों में उस से भी नीचे चले गए थे। इस घटना के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, विशेषतया ऊंची लागत के ज़ोनों में लेवी चीनी का उठान मन्द पड़ गया था और इन ज़ोनों की मिलों के पास चीनी का स्टाक अन्य ज़ोनों की मिलों के स्टाक की अपेक्षा बहुत अधिक इकट्ठा होना शुरू हो गया। राशन व्यवस्था की उपयोगिता भी समाप्त हो गयी। मूलतः इन्हीं कारणों से सरकार ने चीनी से नियन्त्रण उठाने का निश्चय किया था।

2. विनियंत्रण के बाद लगभग दो महीने देश भर में चीनी के मूल्य खासे सुगम रहे। इसके बाद 1971–72 के मौसम में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में लगभग 3 प्रतिशत की कमी होने और भारत के उत्तरी भागों में बाढ़ों और अत्यधिक वर्षा और दक्षिण क्षेत्र के कुछ भागों में लम्बे सूखे से गन्ने की खड़ी फसल को क्षति पहुंचने जिससे 1971–72 के दौरान चीनी के उत्पादन में गिरावट आएगी, की खबर भी फैल गयी थी। इसके फलस्वरूप चीनी के मूल्यों में धीरे धीरे बढ़ोतरी की प्रवृत्ति आने लगी। सरकार द्वारा अधिकृत व्यापारियों पर चीनी का स्टाक रखने पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाने और मिलों को चीनी की मासिक निर्मुक्ति का कम से कम 20 प्रतिशत प्रत्येक सप्ताह में बेचने के लिए विवश करने और बाज़ार में मूल्यों में वृद्धि की दृष्टि में जमाखोरी की प्रवृत्ति पर काबू पाने के प्रयास से निर्मुक्त स्टाक उपलब्ध होने पर भी चीनी बेचने से मनाही न करने सम्बन्धी कार्यवाही से इस प्रवृत्ति पर काबू पाने में कुछ हद तक सफलता मिली। तथापि, 1971 के अन्त में बंगला देश से भारी तादाद में शरणार्थियों के आने से उत्पन्न आपातिक स्थिति और बाद में पाकिस्तान के साथ संघर्ष होने से सरकार उद्योग के साथ अनौपचारिक समझौता करने में सफल हुई जिससे उद्योग पहली जनवरी, 1972 से मासिक निर्मुक्ति के 60 प्रतिशत चीनी 150 रुपये प्रति क्विंटल के निकास निर्धारित मूल्य पर, उत्पादन शुल्क रहित, डी-30 ग्रेड की चीनी उचित मूल्य की दुकानों से कुछेक आपातिक ज़रूरतें पूरी करने और घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए देगा। इसी प्रकार चीनी कारखाने निर्यात विषयक वायदों को पूरा करने के लिए उसी मूल्य पर मासिक निर्मुक्ति को और 3.5 प्रतिशत चीनी देंगे। यद्यपि आपातिक स्थिति अभी भी बनी हुई है और खुले बाजार में चीनी के मूल्य धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं, भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने 13 जून, 1972 को सरकार को सूचित किया कि कुछेक कारखाने 30 जून, 1972 के बाद अनौपचारिक प्रबन्धों को जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं और उनके लिए किसी और योजना के बारे में सिफारिश करना सम्भव नहीं है। इन परिस्थितियों में सरकार के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं रह गया था कि पहली जुलाई, 1972 से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मौजूदा प्रबन्धों को जारी रखती ताकि घरेलू उपभोक्ता चीनी की अपनी ज़रूरतों का समुचित भाग उचित मूल्य पर खरीद सकें।

3. इस बात के अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि सरकार द्वारा अभिसूचित लेवी मूल्य अत्याधिक अयथार्थिक, अवैज्ञानिक और गलत थे और आने वाले वर्षों में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्नों को अत्यधिक निरूत्साहित करेंगे। सरकार ने विवश होकर 30 जून, 1972 के बाद चीनी के आंशिक नियन्त्रण की प्रणाली को जारी रखने के लिए अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों का आश्रय लिया। यह प्रणाली अब तक अनौपचारिक आधार पर लागू थी। लेवी मूल्यों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार 1971–72

[प्रो० शेर सिंह]

के लिए गन्ने के अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य और सरकार द्वारा स्वीकृत टरिफ आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर निर्धारित करना था। यद्यपि टैरिफ आयोग ने पूर्व के मौसमों से सम्बन्धित लागत आंकड़ों के आधार पर अपनी पिछली रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की थी लेकिन बाद में आयोग ने सरकार से दूसरे वेज बोर्ड एवार्ड, रेलवे की भाड़े की दरों में वृद्धि, महंगाई भत्ता, पैक करने का प्रभार और अधिक मूल्यह्रास दर की दृष्टि में मूल्य में कुछेक वृद्धि करने की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा फिर परामर्श करने पर टैरिफ आयोग ने हाल ही में यह बताया कि आयोग द्वारा पहले से अभिस्तावित वृद्धि के अलावा मूल्य में वर्ष 1972 के लिए आपातिक जोखिम बीमा की देय किश्त के कारण थोड़ी वृद्धि की जा सकती है। विभिन्न ज़ोनों के लिए चीनी के लेवी मूल्य अधिसूचित करते समय सरकार ने 1969 से टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित सभी वृद्धियों को ध्यान में रखा है जिसमें आपातिक जोखिम बीमा के कारण अन्तिम वृद्धि भी शामिल है। निस्सन्देह, 2 या 3 जोनों को छोड़कर अन्य ज़ोनों में अधिसूचित मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल से कम हैं, कुछ मामलों में लगभग 25 रुपये प्रति क्विंटल तक कम है। फिर भी, अधिकांश ज़ोनों में मिलों द्वारा गन्ने के वास्तव में दिये गये या दिए जाने वाले आश्वासित अधिक मूल्य को ध्यान में रखकर मेरे मन्त्रालय ने जो विस्तृत ब्यौरे तैयार किए हैं, उनसे विदित होता है कि चीनी कारखाने चीनी का मुक्त कोटा कुल मिला कर बिना किसी हानि के उसी मूल्य या चल रहे मूल्यों से भी कम स्तर पर बेचने की स्थिति में हैं। अतः कृषि मंत्रि ने उद्योग से अनुरोध किया कि खुली बिक्री की चीनी के सुपुर्दगी मूल्यों में इस आधार पर वृद्धि न की जाए कि स्वैच्छिक योजना के अधीन तयशुदा व्यवस्था से या बाज़ार भावना के कारण लेवी मूल्य कम थे और वे अपनी नीतियों का इस प्रकार समायोजन करें जिससे, कुल मिला कर, जनता के आवश्यक हितों की सुरक्षा हो सके।

4. इसके बावजूद भी विशेषतया उत्तर प्रदेश, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की बहुत सी मिलों ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर कीं और अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए जिससे सरकार चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 को लागू नहीं कर सकती लेकिन सम्बन्धित फैक्ट्रियों-को अधिसूचित मूल्य और उनके द्वारा वास्तव में बेची गई चीनी के मूल्य के अन्तर के लिए बैंक गारंटी प्रदान की गई। इस घटना से न केवल चीनी के मूल्य और मात्रा के बारे में लेवी-चीनी के वितरण के कार्य में विघ्न पड़ा बल्कि दिन प्रति दिन खुले बाज़ार में चीनी के मूल्य में वृद्धि होने को भी बल मिला। एक पखवाड़े के लिए मानसून के बन्द पड़ने और उससे गन्ने की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने से बाज़ार भावना पर आधारित चीनी के मूल्यों में और वृद्धि हुई।

5. मौजूदा असन्तोषजनक स्थिति का उपचार इस प्रकार किया गया है :—

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लेवी-चीनी के वितरण की मौजूदा प्रणाली में सुधार करना ;

(ख) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम या अन्यथा के अधीन जमाखोरी के विरुद्ध प्रभावी उपाय करना और अपराधी व्यक्तियों को कड़ी सजा देना ;

(ग) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1972–73 के लिए चीनी और गन्ने की उचित नीति तैयार करना; और

(घ) चीनी की अत्याधिक कमी की चालू अवधि में चीनी को किफायत से बरतने और उसकी बर्बादी रोकने के लिए जनता को राज़ी करना।

भारत सरकार ने तदनुसार उपाय शुरू कर दिये हैं और यदि सभी राज्य सरकारों का पूर्ण तथा सक्रिय सहयोग मिला तो यह आशा की जाती है कि मौजूदा स्थिति पर यथा शीघ्र काबू पा लिया जाएगा। माननीय सदस्यों ने पिछले दो दिनों के दौरान दिल्ली में मारे गए छापों के परिणामों के बारे में समाचार पत्र में खबर पढ़ी होगी और यह आशा की जाती है कि अन्य राज्य सरकारें भी जमाखोरों से निबटने के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही करेंगी जैसा कि हमने उनसे अनुरोध किया है। मुझे यह भी आशा है कि 1972–73 के लिए चीनी और गन्ने की नई नीति की घोषणा इस अधिवेशन के उठने से पूर्व कर दी जाएगी।

***मध्य प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा बोंनस दिया जाना

BONUS BY SUGAR MILLS IN MADHYA PRADESH

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Sir, the hon'ble Minister had produced some figures on 13-4-1972 in which the names of mills and the bonus given by them was made clear. The owners of Sugar mills have increased the rates of sugar and Government have also accepted their plea regarding increase in the rates of sugar cane. But our Government is not prepared to consider the question of payment of bonus to the workers seriously. Sugar Mills are seasonal factories and some of the mills run for a few days only. As a result thereof the workers are deprived of their right to get bonus. I would like to know the views of the honourable Minister on this point. The minimum bonus was fixed at 4 percent and which was being increased to 8.33 percent but the same has not been implemented so far.

Certain sugar mills *e. g* . Jawra Sugar Mill, Seth Govind Ram Todi Sugar Mill have not paid bonus to their employees for the year 1969-70 and Mahidpur Sugar Mill had been defaulter not only in the year 1969-70 but earlier also. The Central Government should direct State Governments to take possible steps in the matter according to the provisions of the law of the land. There are certain mills which have not deposited their share of employees' provident fund but they are not prepared to pay bonus to the workers.

It has been reported in the "Hindustan Times" dated 1st November, 1971 that the Union Government has constituted a high power sugar Industry Inquiry Commission to go into the question of decline in sugar yields and recovery. The mill owners want to deprive the workers from the payment of bonus on account of decline in sugar yields and recovery.

The Government would agree that the worker must get bonus . But the workers are neither getting wages nor bonus intime otherwise there would have been no complaint. If Government wants to increase production of sugar they must satisfy the workers. The Central Government should issue instructions to the State Governments to direct the sugar mills to make the payment of bonus to the workers. Action should be taken against the defaulters. The quantum of bonus should be increased.

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : श्रम मंत्री ने पहले ही घोषित कर दिया है कि सभी उद्योगो में न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत से कम नहीं होगा। परन्तु चीनी मिलों ने चार प्रतिशत से अधिक बोनस नही दिया है। बोनस के मामले में चीनी मिलों के श्रमिकों की उपेक्षा की गई है। चीनी मिलो के मालिकों ने चीनी के मूल्यों में वृद्धि करके अत्यधिक लाभ अर्जित किया है। ऐसी स्थिति में क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को अनुदेश नहीं देने चाहिये कि चीनी उद्योग के श्रमिकों को कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाये ।

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : I have never stated that Jaura Sugar Mill has paid the bonus for 1970-71. I doubt whether the hon'ble Member has read my reply or not. In fact I had stated that Jaura Sugar Mill has paid the bonus for 1967-68 and 1968-69. It is strange that this has become a subject for half an hour discussion. The Labour Commissioner had informed me that Jaura Sugar Mill should have paid the bonus by the 30th June, 1972 but I do not know whether they have been paid or not. The Unions should have taken up this matter with the State Government and ask them to take action against the management. State Government is the appropriate authority to decide such matters.

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : The State Government has not taken any action and therefore the matter has to be raised here. Central Government should ask the State Government to take necessary action.

***आधे घण्टे की चर्चा :

Half an hour discussion.

Shri Balgovind Verma : Any mill Union could raise this matter. The bonus should be paid within 8 months under section 19 of Payment of Bonus Act, 1965. In case the same is not paid, prosecution can be launched against the management. Central Government cannot do anything in this matter. It should be taken up with the State Government.

Shri D. K. Panda had raised a point.

श्री डी० के० पन्डा (भंजनगर) : मैं हिन्दी नहीं समझ सकता ।

सभापति महोदय : वह अनुवाद सुन सकते हैं ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : श्री पंडा ने कहा था कि उनके राज्य में गत चार वर्षों से बोनस नही दिया गया है और केवल इस वर्ष बोनस दिया गया है । इस सम्बन्ध में विशिष्ट नियम हैं और यदि बोनस का भुगतान नही किया गया है तो मेरे विचार में राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये थी ।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर जिम्मेदारी डालती है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर जबकि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम और बोनस केन्द्रीय सरकार के अधिनियम हैं ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : जहां तक चीनी मिलों में श्रम सम्बन्धी समस्याओं का सम्बन्ध है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

श्री डी० के० पन्डा : क्या केन्द्रीय सरकार इस सूत्र को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को कुछ अनुदेश जारी करेगी ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जहां तक बोनस का सम्बन्ध है मैं राज्य सरकारों का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा ।

Dr. Laxminarain Pandey : The workers do not get bonus because the factory is a seasonal one. It does not run upto 60 days.

Shri Balgovind Verma : We cannot ignore the rules.

सभा के अवमान के संबंध में प्रस्ताव

MOTION *RE.* CONTEMPT OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि उन व्यक्तियों ने, जो अपने आप को (1) सिफाई राय और (2) राम जन्म सिंह बताते हैं, जो आज 15.05 बजे दर्शक दीर्घा से चिल्लाये और जिन्होंने सभा में पर्चे फैंके और जिन्हे वाच एण्ड वार्ड अफसर ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गंभीर अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी हैं ।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हे गुरुवार, 10 अगस्त 1972 के मध्यान्ह पश्चात् 5.00 बजे तक के लिये साधारण कारावास का दंड दिया जाये और तिहाड़ जेल दिल्ली में भेज दिया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :–

"यह सभा संकल्प करती है कि उन व्यक्तियों ने, जो अपने आप को (1) सिफाई राय और (2) राम जन्म सिंह बताते हैं, जो आज 15.05 बजे दर्शक दीर्घा से चिल्लाये और जिन्होंने सभा में पर्चे फैंके

और जिन्हे वाच एण्ड वार्ड अफसर ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गंभीर अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हे गुरुवार, 10 अगस्त, 1972 के मध्यान्ह पश्चात् 5.00 बजे तक के लिये साधारण कारावास का दंड दिया जाये और तिहाड़ जेल दिल्ली में भेज दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक—जारी

THE DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL—*Contd.*

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को, जहां तक यह विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972, को एक संयुक्त समिति को सौपने सम्बन्धी संशोधन को स्वीकार करने के सभी के निर्णय को रद्द करने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलंबित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी निरमों के नियम 338 को, जहां तक यह विक्षुब्धी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972, को एक संयुक्त समिति को सौपने सम्बन्धी संशोधन को स्वीकार करने के सभा के निर्णय को रद्द करने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलंबित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री आर० डी० भण्डारे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1972, को एक संयुक्त समिति को सौपने संशोधन को स्वीकार करने के सभा के निर्णय को रद्द किया जाये।"

सम्बन्धी **सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1972, को एक संयुक्त समिति को सौपने सम्बन्धी संशोधन को स्वीकार करने के सभा के निर्णय को रद्द किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 10 अगस्त, 1972/ 19 श्रावण, 1894 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 10, 1972/ Sravana 19, 1894 (Saka).

GIPN—S1—12 Lok Sabha/72—21-11-72—490